खण्ड-426, अंक-5
शुक्रवार, 3 आषाढ़, शक संवत् 1920
(24 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 426 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
नियम 301 तथा नियम 300 एवं आज की कार्यसूची की मद संख्या–1 से लेकर 19 तक स्थगित कर मद संख्या–20 पर निर्धारित बाढ़ पर चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव–(स्वीकृत)	1–5
प्रदेश में अतिवृष्टि के फलस्वरूप आयी बाढ़, नदियों की कटान और बन्धों के टूटने से हुई मौतों तथा जनसामान्य को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा	6–7
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	7
जनपद भदोही, सन्त रविदास नगर में नलकूप विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किये जाने हेतु जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	8
जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिखणी खाल विकास खण्ड के कुछ गांवों में आन्त्रशोध, अतिसार व पेचिस आदि बीमारियों से पीड़ित ग्रामीणों की चिकित्सा हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8
जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् मल्लावां में स्थित प्राचीन मंदिरों एवं दरगाह का सुन्दरीकरण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8-9
लखनऊ नगर स्थित कृष्णानगर मोहल्ले में आशुतोषनगर में विद्युत आपूर्ति में लो वोल्टेज की समस्या को ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9
जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा उपकरण एवं आवश्यक स्टाफ नियुक्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में स्थित साधना सहकारी समिति लौगपुर तथा ढढूली के सचिव द्वारा चोरी से खाद बेचे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
जनपद बरेली के कस्बा भरतपुर में भूमिहीन बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
उ० प्र० को आपरेटिव फेडरेशन में सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नतियों में आरक्षण कोटा को पूर्ण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र के नगर में बनाई गयी सड़कों में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मंसूरी में कतिपय मार्गों का पक्कीकरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में बालिका डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किला मोहम्मदी आदि ग्रामों की अर्जित भूमि पर कालोनी का निर्माण कर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के कतिपय ग्रामों की भूमि जलमग्न रहने के कारण ड्रेन की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद हरदोई में श्री लालता प्रसाद द्वारा न्यायालय चकबन्दी अधिकारी बहेन्दर को दिये गये प्रार्थना-पत्र के अनुसार गाटा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में राजकीय कृषि उत्पादन मण्डी की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	13
अपर निदेशक स्वास्थ्य गोरखपुर के कार्यालय में कार्यरत जांच में दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
जनपद फतेहपुर के ग्राम पाराधनई निवासी श्री शिवलाल के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में बनायी गयी सड़कों में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	14
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कतिपय स्थानों पर महिला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर में लेखपाल द्वारा कतिपय व्यक्तियों के साथ भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	15
स्व० ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारों को पकड़ने वाले अवैतनिक होमगार्ड श्री सेवाराम को वैतनिक नौकरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	15
आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में ताज फिरोज खां क्षेत्र में नाला बनाये जाने तथा पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	16
जनपद जालौन के सभी विकास खण्डों को भारत सरकार द्वारा डी०आर०डी०ए० के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि से मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	16

विषय	पृष्ठ संख्या
वाराणसी नगर के उत्तरी इलाके में गंभीर रूप से फैले हैजे की रोकथाम हेतु चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	17
उ० प्र० राज्य सेतु निगम ऐशबाग इकाई द्वितीय लखनऊ में उप परियोजना प्रबन्धक के पद पर कार्यरत श्री हेमन्त कुमार चौहान को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	17
प्रदेश में गन्ने की फसल को कीट मुक्त किये जाने हेतु विषाक्त बी० एच० सी० नामक रसायन के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	18
प्रदेश में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19
लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधीन भूगर्भ जल विभाग के यान्त्रिक विंग के अधीन खोले गये फील्ड यूनिटों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19
प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मियों को नियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19-20
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में कतिपय मार्गों का डामरीकरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्वी यमुना नहर की सफाई कार्य में की गई आर्थिक अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	21
जनपद प्रतापगढ़ में पेयजल समस्या के निदान हेतु वर्ष 1997-98 में स्वीकृत इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	21
जनपद महराजगंज के कस्बा फरेन्दा की लोक निर्माण इकाई द्वारा धानी–बृजमनगंज मार्ग में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा शीघ्र दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	21
जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत मेसर्स दायबू मोटर्स लि० ग्रेटर नोएडा में मजदूरों को निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	22
प्रदेश सरकार के विभिन्न निगमों में मनोनीत प्रशासकों/अध्यक्षों द्वारा सरकारी धन के लिये किये जा रहे दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	22

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में चल रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों आदि की नियुक्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा, हिलौली तथा पुरवा में लगाये गये हैण्ड पम्पों को ठीक कराकर चालू किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद हरदोई के कस्बा शाहाबाद में प्लाई शुगर फैक्ट्री रूपापुर द्वारा गन्दे जल के निस्तारण हेतु नाला बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23
देहरादून नगर में चाय बागानों की भूमि के भू–उपयोग में परिवर्तित कर आवासीय योजनाओं हेतु बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24
जनपद हरदोई के ग्राम पूरा बहादुर थाना कोतवाली देहात में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार में श्री वीरेन्द्र बाजपेयी को पुलिस द्वारा अपमानित किये जाने की घटना की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	24
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलाल गंज के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्यों को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	25
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज में किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	25
जनपद सुल्तानपुर के कस्बा गौरीगंज में अनौपचारिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नये केन्द्रों को खोलने एवं अनुदेशकों की भर्ती में की गई अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26
जनपद सुल्तानपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	26
जनपद कुशीनगर में तैनात जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं की जांच कराकर अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27
जनपद शाहजहांपुर के कस्बा पुवायां में स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27
जनपद मथुरा के कतिपय सहकारी क्षेत्र समितियों एवं संघों के सचिवों द्वारा की गई अनियमितताओं तथा घोटालों की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27

विषय	पृष्ठ संख्या
लखनऊ नगर के हुसैनगंज क्षेत्र में फूलबाग एवं दीप होटल के सामने टूटी पाइप लाइनों को ठीक कराकर पेयजल समस्या के समाधान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28
होम्योपैथी निदेशालय में अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण में शासन की स्थानान्तरण नीति का पालन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	29
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी में नवनिर्मित किसान मण्डी की दुकानों का आवंटन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
मण्डी की दुकानों का आवंटन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	
जनपद मुरादाबाद में डींगरपुर पकवाड़ा मार्ग को चौड़ा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद इटावा में बीहड़ सुधार योजना, ऊसर सुधार योजना तथा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद जौनपुर की तहसील मछली शहर में डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर में तैनात थानाध्यक्ष की गतिविधियों की जांच कर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद सीतापुर के ग्राम सरोसा के ग्राम प्रधान द्वारा मिट्टी के तेल एवं चीनी वितरण में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
नवसृजित जनपद हरिद्वार में राजकीय चिकित्सालय की स्थापना एवं डाक्टरों के कतिपय पद सृजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	32
जनपद आजमगढ़ मुख्यालय को टांस नदी की बाढ़ की विभीषिका से बचाव हेतु बनाये गये बन्धे की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्रालय में न्यायालय के आदेशानुसार अधिशासी अभियन्ता के पद के पुनर्जीवित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद सीतापुर के ग्राम सरोसा की ग्राम प्रधान द्वारा मत्स्य पालन हेतु आवंटित पट्टों में अनियमिततायें किये जाने की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद अल्मोड़ा के ग्राम कुमाल्ट निवासिनी श्रीमती कुसुमा देवी को विधवा पेंशन दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	33

विषय पृष्ठ संख्या

उन्नाव में निर्माण खंड–1, लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय स्टोर द्वारा सामग्री आपूर्ति में की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 34

जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिटौरा में पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राघवेन्द्र द्विवेदी के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 34

जनपद रायबरेली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फुरसतगंज में कार्यरत प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितता तथा कर्मचारियों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 34-35

वर्ष 1996-97 की जनपद हमीरपुर की बुन्देलखण्ड विकास निधि को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 35

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत कतिपय स्वीकृत मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 35-36

आगरा महानगर स्थित स्वामी बाग एवं दयालबाग नगर पंचायत को नगर महापालिका आगरा में सम्मिलित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

प्रदेश में भूमि अर्जन कार्य की समीक्षा हेतु प्रत्येक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की इकाई में लेखालिपिक के स्थान पर लेखाकार का पद सृजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

जनपद कानपुर देहात के ग्राम वरीसाल में स्थित महर्षि यमदग्नि के पौराणिक आश्रम तथा शिव मन्दिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सड़क बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 37

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर स्थित कर्वी कोतवाली में कार्यरत निरीक्षक श्री मदन सिंह द्वारा श्री राम सिंह की हत्या कर दिये जाने के कारण जांच एवं अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 38

जनपद छत्रपति शाहूजी नगर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की गई धांधली की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 38

लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद् की कालोनी राजाजीपुरम् सेक्टर–II में अतिक्रमण हटाकर सड़कें एवं नालियां बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 39

जनपद फैजाबाद स्थित कुमारगंज में 132 के० वी० ए० विद्युत एवं सब स्टेशन के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराकर चालू कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 39-40

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री गंगाराम निवासी बगिया मुंशीगंज डालीगंज, लखनऊ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
आगरा महानगर के आस-पास स्थित जिलों में कतिपय उद्योगों को प्रदूषण के कारण बन्द किये जाने से बेरोजगार हुये मजदूरों को रोजी-रोटी की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) एवं राज्य नियोजन संस्थान में जातिवाद एवं नियुक्ति में किये जा रहे घपलों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
जौनपुर नगर में गोमती नदी पर किले के बगल से पुल निर्माण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद आजमगढ़ में कतिपय लकड़ी के पुलों के स्थान पर पक्के पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद बदायूं में बदायूं से दातागंज तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद गाजीपुर 232 जमानियां के दरौली रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण न कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
क्रिश्चियन इण्टर कालेज झांसी की प्रबन्ध समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में गलत तरीके से सम्बद्ध अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य कतिपय व्यक्तियों द्वारा घपला किये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित श्रीमती राजदेई इण्टर कालेज खुनियांव में अल्पसंख्यक दलित एवं पिछड़ी जाति के अध्यापकों के उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
प्रदेश के भू-गर्भ जल विभाग में विगत 18 वर्षों से कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स के विनियमितीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद बलरामपुर के कतिपय ग्रामों को राप्ती नदी की कटान से बचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
लखनऊ महानगर के इन्द्रानगर क्षेत्र में सी० ब्लाक के पास खोदी गई सड़क को ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
लखनऊ महानगर के अलीगंज क्षेत्र में स्थित आवास विकास की शेखूपुरा कालोनी में सफाई आदि की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
जनपद फिरोजाबाद के ग्राम कटकोरी में स्थित सोनामिल्क प्रोडक्ट प्रा० लि० कटकोरी में विद्युत चोरी को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47

विषय	पृष्ठ संख्या
लखनऊ महानगर स्थित हाता रामदास बगिया सदर कैण्ट में विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	47-48
उत्तर प्रदेश शासन में शासन की प्रतिबद्धता के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद बदायूं में सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिये कतिपय नहरों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	48-49
राजकीय आयुर्वेदिक कालेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में पिछड़े वर्ग के बी० एम० एस० छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
पी० एम० एस० संवर्ग के उच्च डिग्री प्राप्त चिकित्सकों को अतिविशिष्ट प्रमाण-पत्र देते हुये विशिष्ट इकाई में तैनात किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद उन्नाव के कतिपय गांवों में विद्युत के कटे हुए तारों को पुनः लगाकर विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद अम्बेडकर नगर स्थित टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को नौकरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर तथा साऊघाट में अधूरी बनी सड़कों को शीघ्र बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50-51
जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रुड़की में ग्राम कोटा माल्हर हेडी व जस्सावाला के बीच पड़ने वाली नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में 8-10 साल से कार्यरत शिक्षकों को विनियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद पडरौना के विकास खण्ड–खड्डा के कतिपय गांवों का गंडक नदी की बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
जनपद मुरादाबाद की तहसील चन्दौली में कार्यरत लेखपाल श्री जवाहर का पता लगाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	52

विषय	पृष्ठ संख्या
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य-प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 एवं 1987-88 ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	52
उत्तरांचल की क्षेत्रीय पारम्परिक पन चक्कियों (घराटों) को लघु उद्योग घोषित करके सरकार द्वारा उनके विकास हेतु एक स्थाई नीति बनाये जाने विषयक श्री हरवंश कपूर आदि द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन	53
भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास अनुसंधान एवं सार्थक शिक्षा व्यवस्था के लिये प्रदेश में आयुर्वेदिक विद्यालयों की स्थापना से संबंधित डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन	53
उ० प्र० विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड-5 में शब्द साहित्य से पूर्व शब्द विधि रखे जाने संबंधी श्री गोरखनाथ पाण्डेय की तथा जनपद मथुरा में श्री गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गांवों में किये जा रहे आवागमन कर को समाप्त किये जाने संबंधी श्री अजय कुमार पोद्दार के प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	53
प्रदेश के भू-गर्भीय जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच, नवरात्री मेले में व्याप्त दुर्व्यवस्था के संबंध में मेरठ महानगर में नालों की सफाई न होने से जल भराव की समस्या, परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन की योजनाओं पर धन व्यय के उपरान्त लक्ष्य की अप्राप्ति, दारुलशफा सहित सभी विधायक आवासों में पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था, प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि में वृद्धि तथा प्रदेश की जनता के दैनिक उपयोग में आने वाले डबल रोटी की मूल्यवृद्धि से संबंधित चर्चाओं का स्थगन	53-54
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों की फीस में वृद्धि से संबंधित डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	54
कानपुर विकास प्राधिकरण स्थगित होने के बाद प्राधिकरण द्वारा वर्ष भर अर्जित की गई सम्पत्ति में की गई वर्षवार बढ़ोत्तरी के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	54-55
प्रदेश में वर्ष 1990 की परीक्षा के लिये कक्षा-9 का पाठ्यक्रम कक्षा-10 की हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा से पृथक कर दिये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	55
दिल्ली स्थित उ० प्र० भवन में पूर्व विधायकों, सांसदों तथा लखनऊ स्थित अतिथि गृहों में वर्तमान विधायकों के लिये भी ठहरने का किराया बढ़ाये जाने से संबंधित नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन।	55

विषय	पृष्ठ संख्या
टिहरी बांध [illegible] ना से विस्थापित शहरी/ग्रामीण परिवारों को पुनर्गठित किये जाने के विषय में नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	55
मेरठ में अवैधानिक रूप से बनाये जा रहे नकली गैस सिलेण्डरों के निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के विषय में नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	55
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	56
उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 तथा संशोधित नियमावली, 1993 की धारा 3 के द्वितीय भाग का शासन द्वारा लागू न किये जाने से मृतक आश्रितों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	56-57
जनपद मथुरा में अराजक तत्वों एवं भू-माफियाओं द्वारा महन्त रामोबाई को गायब किये जाने से सम्पूर्ण साधु समाज एवं विश्व हिन्दू परिषद् के आन्दोलित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	57
जनपद मथुरा में स्थित गोबर्धन ड्रेन की पुनर्स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि की अनियमिततायें एवं मनमानी कर हड़पने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	57-58
डफरिन महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ में फंगस ग्लूकोस इंजेक्शन से कई लोगों के मरने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	58
जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा क्षेत्र में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	59-60
विधान सभा क्षेत्र बछरावां जनपद-रायबरेली की कतिपय ड्रेनो के अर्द्धनिर्मित पुलों के निर्माण के संबंध में श्री श्याम सुन्दर भारतीय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	60
गोण्डा जनपद की मसकनवा, वजीरगंज तथा बभनान बाजारों को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	60-61
विधान भवन परिसर में पान, बीड़ी, सिगरेट तथा पान मसाले आदि के खाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	61
जनपद उन्नाव में राज्य स्तर से बनी सड़कों के शेष कार्य के लिये अपेक्षित धनराशि अवमुक्त न किये जाने से उनका निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण जन सामान्य के आवागमन बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री दीपक कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	61

विषय	पृष्ठ संख्या
एम० बी० बी० एस० शिक्षार्थियों पर सप्लीमेन्ट्री बैच हेतु कैरीआन करने हेतु जारी शासनादेश संख्या–203/71-3-98-20/97, दिनांक 19 जनवरी, 1998 को मेरठ मेडिकल कालेज सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न प्रदेश व्यापी स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	62-63
अनुसूचित जाति/पिछड़ी जातियों के कर्मियों के उत्पीड़न के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	63-64
जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत जूनामई ब्लाक के कतिपय ग्रामों में बाढ़ एवं गंगा के कटान से पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने एवं राहत दिलाये जाने के संबंध में श्री ओंकार सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	64
महानगर कानपुर के ऐतिहासिक श्री सिद्धनाथ मंदिर व मकदूम शाह बाबा मजार तथा गगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई एवं पूर्वी छोर के 50 गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पानी भरा रहने, जगह-जगह जानलेवा गड्ढे होने, खुले मेनहोल होने से आवागमन की उत्पन्न गंभीर समस्या के संबंध में श्री दीपक कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	64-65
प्रदेश के परिवहन विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापारियों द्वारा टोकेन रैकेट चलाकर भ्रष्टाचार एवं घोटाला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	65
आगरा महानगर में नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत कालोनियों में सीवर एवं नालों की सफाई न किये जाने तथा जलोत्सारण की समुचित व्यवस्था न होने से जन सामान्य को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	65-66
जनपद फिरोजाबाद में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लाखों रुपये की हेराफेरी किये जाने के संबंध में श्री शिवपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	66
प्रदेश के मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों को मिश्रित चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा का अधिकार अक्षुण्ण रखने के लिये प्रत्येक पंजीकरण रजिस्टर बनाकर पंजीकरण के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	67
जनपद लखीमपुर-खीरी में श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी डी० पी० ए० पी० लखीमपुर खीरी द्वारा कतिपय ग्रामों में अधोमानक कार्य कराये जाने तथा मजदूरों को स्वीकृत दर पर मजदूरी न दिये जाने के संबंध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल केवल वक्तव्य	67-68

विषय	पृष्ठ संख्या
विशेषाधिकार हनन के तथा सदन की अवमानना के प्रस्ताव की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	68-69
जनपद हरदोई के प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध डा० धर्मेंद्र मिश्र द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना ...	69-70
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल पूर्व विधायक को पकड़ने हेतु ली गई कमरे की तलाशी के संबंध में सी० ओ० हजरतगंज, लखनऊ के विरुद्ध श्री अरिमर्दन सिंह द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना ...	70-71
प्रथम सत्र 1997 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में श्री सुधाकर सिंह द्वारा दी गई पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना	71-72
आई० जी० प्रशासन श्री चमन लाल तथा सिपाही श्री राकेश कुमार द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में श्री प्रदीप कुमार द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना	72-73
कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बुलाये जाने संबंधी विधान सभा के पत्र को जिलाधिकारी बरेली द्वारा समय से उपलब्ध न कराये जाने संबंधी श्री नन्दराम द्वारा दी गई जिलाधिकारी बरेली तथा अन्य कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना	73-74
प्रथम सत्र 1997 के प्रथम बुधवार दिनांक 23-4-97 को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–29 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में श्री अंम्बरीष कुमार द्वारा सिंचाई मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना ...	74
पूर्वांचल विकास निधि को समाप्त किये जाने के विरुद्ध श्री अमरमणि त्रिपाठी आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना ...	74-75
नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गलत उत्तर दिये जाने से संबंधित राजस्व मंत्री एवं जिलाधिकारी बरेली के विरुद्ध श्री नन्दराम द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना ...	75
राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष श्री जी० एल० सोहल द्वारा भेंट न किये जाने से संबंधित श्री शिवेन्द्र सिंह की विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना	76
दिनांक 28 जुलाई, 1997 को सदन में संसदीय कार्य मंत्री के कथन से संबंधित श्री प्रमोद कुमार की विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना ...	77
वर्ष 1997 के प्रथम सत्र में नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण समय से प्रस्तुत न किये जाने से संबंधित तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध श्री शब्बीर अहमद द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना	77-78

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–34 का अधूरा उत्तर दिये जाने से संबंधित संस्थागत वित्त मंत्री के विरुद्ध श्री सरदार सिंह द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना	87-79
विधान सभा द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुधवार का निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–65 का उत्तर गलत देने से संबंधित आबकारी मंत्री के विरुद्ध श्री दलवीर सिंह द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना की सूचना ...	79-80
विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में खाद्य एवं रसद मंत्री के विरुद्ध श्री दलवीर सिंह द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना की सूचना	80
विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–71 का उत्तर गलत दिये जाने से संबंधित श्री अमर मणि त्रिपाठी द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचना ...	81
13 सितम्बर, 97 को मुख्य बाजार नौतनवा जनपद–महराजगंज में विकास संबंधी कार्यों हेतु आयोजित सभा में जिला प्रशासन द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने से संबंधित श्री अमर मणि त्रिपाठी द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना की सूचना	81-82
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	82
राष्ट्रगान	82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र कुमार, श्री	सीतापुर
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	यशवन्त, श्री	आजमगढ़
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	रमेश राही, श्री	सीतापुर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	राजधारी, श्री	बलिया
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा	राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रामप्यारे, श्री	आजमगढ़
काजिम अली खां उर्फ		राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
नवेद मियां, श्री	रामपुर	राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
के० सी० सिंह, "बाबा"	ऊधम सिंह नगर	रेवती रमण सिंह उर्फ	
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	"मणी", कुंवर	इलाहाबाद
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	लाखीराम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
परवेज हलीम खां, श्री	मेरठ	श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
बाबूलाल, श्री	आगरा	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
		हरीश चन्द्र "हरीज जी", श्री	[illegible]मी

अपर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

24 जुलाई, 1998

(विधान सभा की कार्यवाही सभा मंडप लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

नियम 301 तथा नियम 300 एवं आज की कार्यसूची की मद संख्या–10 से लेकर 19 तक स्थगित कर मद संख्या–20 पर निर्धारित बाढ़ पर चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, [x x x]

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि मद संख्या–20 पर बाढ़ की चर्चा लगी हुई है । अधिकांश सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि बाढ़ पर पहले चर्चा कर लें । इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि मद संख्या–20 को पहले से लिया जाय ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संवैधानिक स्थिति यह है कि यह सरकार कल ही 4.00 बजे गिर चुकी है ।

(अनेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है कि नियम 301 व मद संख्या 1–19 तक स्थगित करके मद संख्या–20 पहले ले ली जाय, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य वेल में आ गये और एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने आसन पर जायें ।

(व्यवधान)

सदन की गरिमा को बनाये रखे सदन ने संसदीय कार्यमंत्री के प्रस्ताव पर विनिश्चिय कर लिया है कि मद संख्या–20 पहले ले ली जाय । अब दुराग्रह करना ठीक नहीं है कृपया लोकतांत्रिक परम्पराओं का सम्मान करें ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे कल्याण सिंह इस्तीफा दो आदि नारे लगाने लगे । कुछ सदस्य रिपोर्टर्स के टेबुल पर चढ़ गये और कुछ माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष आसन की तरफ पर्चे फेंके, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपा करके अपने स्थान पर जायें । सदन का तो सम्मान करें । मद संख्या–20 पर सदन का विनिश्चय हो चुका है और सदन ने अपना निर्णय दे दिया है । अतिवृष्टि का मामला है । मैं आपकी बात को जरूर सुनूंगा । लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करें । विपक्षीगण के नेता अपने-अपने दल के माननीय सदस्यों को बैठायें और सदन को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दें । अतिवृष्टि जैसा महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर जनजीवन जुड़ा हुआ है, उस पर आप लोगों के विचार आ सके । माननीय सदस्यों के एक-एक विचार जो नियम संगत होगा, उस पर अवश्य विचार होगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, यह सरकार बहुमत में बैठी थी, कल भी बहुमत में थी और आज भी बहुमत में है । विपक्षी लोगों को यह भ्रम पैदा हो गया है कि सरकार अल्पमत में है । अगर इनमें हिम्मत हो तो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायें और उस पर चर्चा करा लें, मैं मतदान कराने के लिये तैयार हूं । ये हताश हो गये हैं, निराश हो गये हैं इनका भ्रम टूट गया है । ये अविश्वास प्रस्ताव ले आवें और आज ही उस पर चर्चा करा लें, मैं उस पर मतदान कराने के लिये तैयार हूं । इस सरकार को स्पष्ट बहुमत है और प्रचण्ड बहुमत है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्यों की आवाज जो नियमों के अन्दर सुसंगत होगी । उसे सुनने का मौका मिलेगा ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्रा, श्री उदयराज यादव व अन्य तीन चार और सदस्य रिपोर्टर टैबुल पर चढ़ गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मिश्रा जी यादव जी कृपया इस पर से नीचे उतर जाये । यह अशोभनीय है । यह ठीक नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

कृपया अपने स्थान पर चले जायें । यह उचित नहीं है ।

(सदस्यों के सदन के फ्लोर पर लगातार बोलते रहने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 11 मिनट पर श्री अदिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी)

(11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 12 बजे तक बढ़ा दिया है ।)

(12 बजे श्री अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे । जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण आप लोग कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायें । आज बाढ़ पर चर्चा लगी हुई है और कई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं । कई लोग हमसे आकर मिले थे और यह कह रहे थे कि हमारे नेतागण राजनीतिक कारणों से इसमें चर्चा नहीं होने दे रहे हैं । यह महत्वपूर्ण चर्चा है और इसमें कई लोग भाग लेना चाहते हैं ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

(श्री अम्बिका चौधरी फ्लोर से ही कहने लगे कि यह सरकार अल्पमत में आ गई है । इस सरकार को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है । कल चार बजे यह सरकार गिर गई है ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थानों पर आ जायें यह ठीक नहीं है । यह आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है । माननीय मौर्या जी और माननीय अम्बिका जी कृपया सहयोग करें ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन में नारे लगाते रहे)

यदि सुसंगत नियमों में आपकी बात आयेगी तो मैं सुनूंगा । लोकतंत्र की कुछ मर्यादायें हैं । मेरा नेतागणों से अनुरोध है कि ये कृपया सदन को व्यवस्थित करवायें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरा निवेदन है कि अम्बिका चौधरी जी कृपया सदस्यों को अपने स्थान पर वापस ले जायें । मा० प्रमोद जी कृपया अपने दल के सदस्यों को अपने स्थान पर वापस ले जायें । प्रत्येक माननीय नेता से अनुरोध है कि सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठने के निर्देश दें । सदन व्यवस्थित होगा तभी तो चर्चा हो पायेगी । एक साथ सब लोग बात करेंगे तो कैसे सुना जा सकेगा ? प्रदेश की जनता के सामने आप लोग क्या छबि देना चाहते हैं कि बाढ़ पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, अतिवृष्टि पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं । क्या जनता के कष्ट पर इस विधान सभा में चर्चा हो इसका भी विरोध होगा ?

(सदन के वेल पर आये सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य मुझसे कह चुके हैं, माननीय अध्यक्ष से अनुरोध कर चुके हैं कि वे बाढ़ पर चर्चा चाहते हैं, उनके नेता चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, राजनीतिक रंग देना चाहते हैं ।

कृपया आप लोग अपने स्थान पर वापस जायें । मैं आपसे करबद्ध अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपने स्थान पर वापस जायें ।

मैं सदन को 12 बजकर 30 मिनट पर स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 6 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

(12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 1.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है ।)

(1 बजे श्री अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बाढ़ पर चर्चा प्रारम्भ करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या सूचना भिजवाई है कि उन्होंने धारा 356 में सरकार को बर्खास्त कर दिया है ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम 301, नियम 300 सहित मद संख्या–1 से लेकर 19 तक न लेने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया, उसे सदन ने विनिश्चय कर दिया प्रतिपक्ष के भी तमाम माननीय सदस्य मुझसे मिल चुके हैं, अध्यक्ष जी के कक्ष में । बाढ़ और अतिवृष्टि जनजीवन से जुड़ा प्रश्न है । इस पर चर्चा हो जाने दें ।

(इस पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास लगाने लगे और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें ।

राष्ट्रपति जी का ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं है ।

(व्यवधान के मध्य)

हम सब लोग लोकतंत्र के आधार पर काम करते हैं, इसकी कुछ परम्परायें हैं, नियम हैं । जब सदन ने विनिश्चय कर दिया, मैंने अनुमति दे दी । आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर जायें, मैं निश्चित रूप से एक-एक बात सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सुनने के लिये आपको विश्वास दिलाता हूं । यह जनता से जुड़ा सवाल है, हमारे आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोग क्या कहेंगे ? उनके लिये यहां से क्या संदेश जायेगा ? इस पर चर्चा हो जाने दें । आपके कई माननीय सदस्यों ने चर्चा के लिये मुझसे आग्रह किया है । अगर ऐसा ही रहेगा तो यही संदेश जायेगा कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जानबूझकर बाढ़ के विषय पर चर्चा नहीं होने दी, जनता क्या सोचेगी ? जिन माननीय सदस्यों के यहां बाढ़ आई है, वह यही सोचेंगे कि हमारे ही सदस्यों ने चर्चा नहीं होने दी ? मा० बाबूराम जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया सदस्यों को समझायें, चर्चा हो जाने दें ।

(व्यवधान के मध्य)

मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है । अपना स्थान ग्रहण करें । यह अच्छा नहीं लगता है, माननीय सदस्य यह शोभा नहीं देता है । (व्यवधान) लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन न करें । माननीय अम्बिका जी बाढ़ पर चर्चा होने दें । माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह है महत्वपूर्ण चर्चा बाढ़ पर होनी है (व्यवधान) मैं आप लोगों से बार-बार सदन को व्यवस्थित करने के लिये आग्रह कर रहा हूं, यह लोकतंत्र के हित में होगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान)

मैं सदन को दो बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी ।)

(2 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3.00 बजे तक बढ़ा दिया है ।)

(3 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर बोलने लगे ।)

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन ने इस बात का विनिश्चय कर दिया है कि नियम 301, नियम 300 और मद संख्या–19 की सूचना बाद में सुनी जाय और मद संख्या–20 जो बाढ़ के संबंध में है,

(अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये तथा नारे लगाने लगे व कागज के गोले व पुस्तकें अध्यक्षासन की ओर फेंकने लगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह उचित नहीं है, यह आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है । कृपा करके स्थान ग्रहण करें । इससे जनता में क्या संदेश जायेगा ? इस प्रकार से कागज फेंकना उचित नहीं है ।

(शोर)

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाते रहे)

(माननीय अध्यक्षासन की ओर कागज फेंके जाते रहने पर।)

श्री अधिष्ठाता–

यह उचित नहीं है, आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है ।

मैं सदन की कार्यवाही 3.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर दो मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

(3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4.00 बजे तक बढ़ा दिया है ।)

(4 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है ।)

(4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य वेल में आ गये और जोर-जोर से नारे लगाने लगे, जिसके कारण अत्यधिक शोर होने लगा तथा कुछ माननीय सदस्य पीठ की तरफ पर्चियां व कागज के गोले फेंकने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

प्रदेश में अतिवृष्टि के फलस्वरूप आई बाढ़, नदियों के कटान और बन्धों के टूटने से हुयी मौतों तथा जनसामान्य को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपा करके अपने-अपने स्थान पर जायें । मैं बाढ़ पर चर्चा कराने जा रहा हूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री तौफीक अहमद, श्री मो० मुकीम, श्री समरपाल सिंह, श्री कोकब हमीद, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम प्यारे, श्री राम ललित चौधरी, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री विनोद मणि, श्रीमती गौरी देवी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री गोपाल कृष्ण, श्री श्याम सुन्दर भारतीय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्रीमती माया प्रसाद तथा श्री कैलाश यादव जी का नाम बाढ़ पर चर्चा हेतु पुकारे जाने पर, इनमें से कोई भी माननीय सदस्य बाढ़ पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु खड़े नहीं हुये ।)

सत्ता पक्ष की ओर से यदि कोई माननीय सदस्य अपने विचार बाढ़ पर प्रकट करना चाहते हैं तो करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, बाढ़ का पूरा क्षेत्र दैवी आपदा से ग्रस्त है । बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार भरसक प्रयास कर रही है । जो भी सुविधायें आवश्यक है, सरकार उन्हें मुहैय्या करवा रही है । हम सभी सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वह इस दैवी आपदा के संबंध में अपने विचार रखें ताकि उनके जो अच्छे सुझाव होंगे, उनके अनुसार भी कार्य किया जायेगा परन्तु बाढ़ जैसी विभीषिका पर भी विपक्ष जो आचरण कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि वह इस विषय पर भी राजनीति कर रहा है और राजनीति से प्रेरित होकर वह चर्चा करना नहीं चाहते हैं । सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी का नाम पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण दैवी आपदा पर विपक्ष का नकारात्मक रवैया है । यह जनता के साथ विश्वासघात है । वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिये पूरी तैयारी की है । यह एक आपदा है । 1974 के बाद इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई थी, एकाएक यह हुआ । फिर भी जितनी तत्परता से श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने बाढ़ राहत हेतु कार्य किया, उतनी तत्परता इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं दिखाई दी गई ।

बाढ़ की स्थिति को देखते हुये सरकार ने छात्रों की फीस माफ कर दी है, सिंचाई का जो बकाया था उसे माफ कर दिया है । सरकार ने गन्ना किसानों का जो 27 करोड़ रुपया बकाया था, उसको देने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं, नगरों में जो जल भराव हो जाता था, उसके लिये 10 करोड़ रुपये की राशि नगर विकास विभाग को दे दी गई है, जिससे काफी हद तक समस्या का समाधान होगा । इसके साथ ही टी० आर०–27 से जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वह उससे सीधे पैसा निकालकर बाढ़ राहत में व्यय कर सकते हैं । चावल मिट्टी का तेल, दियासलाई, नमक पर्याप्त मात्रा में

हर जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 किलो के हिसाब से चावल प्रति परिवार को दिया जा रहा है। नावों का पूरा प्रबन्ध हो गया है। एक स्थान का दूसरे स्थान से जो संबंध टूट गया था वह नाव के दुबारा जुड़ सकेगा।

इस प्रकार बाढ़ क्षेत्र में युद्ध स्तर पर राहत देने के लिये पूरे प्रबन्ध कल्याण सिंह जी की सरकार द्वारा कर दिये गये हैं, इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व में कोई सरकार नहीं कर पायी। हमारी सरकार ने पूरी तत्परता इसमें दिखाई है।

(सदस्यों के सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलते रहने तथा नारे लगाते रहने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें। प्रतिपक्ष के नेतागण मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कृपया उन्हें अपने स्थान पर जाने को कहें।

(सदस्य कागज के गोले बनाकर अध्यक्ष पीठ पर फेंकते रहने और बोलते रहने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 6.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 37 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 6 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

(6 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 7 बजे तक बढ़ा दिया है।)

(7 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 7 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(7 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 20 पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हों, वह चर्चा प्रारम्भ करें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा बोलने के लिये न खड़े होने पर)

मद संख्या 20 पर अन्य माननीय सदस्य भाग नहीं लेना चाहते हैं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 में आज कुल 108 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें 8 अग्राह्य की है और शेष 100 सूचनायें स्वीकृत हुई।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद भदोही सन्त रविदास नगर में नलकूप विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किये जाने हेतु जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद भदोही सन्त रविदास नगर में नलकूप विभाग का कार्य पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है । उक्त क्षेत्र में नलकूपों की गड़बड़ी ठीक नहीं की जाती है और उनके बारे में सही जानकारी भी नहीं दी जाती है । नलकूपों की मरम्मत हेतु जो धन सरकार से मिलता है वह मरम्मत कार्य पर नहीं लगाया जाता है और फर्जी बिल बनाकर निकाल लिया जाता है । जनपद के नलकूपों की नालियां 60 प्रतिशत खराब है, टूटी हैं । पूरे जिले में तथा विशेष रूप से ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा अनेक वित्तीय अनियमिततायें की जा रही हैं । अधिशासी अभियन्ता, नलकूप स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और जनपद की जनता उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है ।

अतः आपके माध्यम से उक्त मामला सदन के संज्ञान में लाते हुये यह अनुरोध है कि सन्त रविदास नगर जनपद में नलकूपों की व्यवस्था ठीक कराने हेतु शासन स्तर से जांच कराकर जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने का आदेश प्रदान कर जनपद की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का कष्ट करें ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिखड़ी खाल विकास खण्ड के कुछ गावों में आन्त्रशोथ, अतिसार व पेचिस आदि बिमारियों से पीड़ित ग्रामीणों की चिकित्सा हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिखणी खाल विकास खण्ड के कुछ गांवों में बहुत दिनों से आंत्रशोथ, अतिसार व पेचिस से सैकड़ों लोग पीड़ित हैं । कई लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है, शेष में व्यापक भय व रोष व्याप्त है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय समस्या को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर सरकार को शीघ्र निर्देशित करने की कृपा करें कि अविलम्ब चिकित्सकों की टीम भेजकर उपचार की व्यवस्था करायें ।]

जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् मल्लावां में स्थित प्राचीन मन्दिरों एवं दरगाह का सुन्दरीकरण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में नगरपालिका परिषद् मल्लावां जिसकी आबादी लगभग 60000 है । इस नगरी में लगभग 325 मन्दिर जो अति प्राचीन हैं बने हुये हैं । इसलिये इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है । इस ब्लाक नगर में 40 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मस्थली भी है इस नगर के दक्षिण में लगभग 3 किमी० दूर सनाथी नाथ बाबा का मन्दिर है । जो अति प्राचीन तथा जनआस्था का केन्द्र है । इस स्थल से अनेक किवदन्तियां जुड़ी हैं । हजारों लाखों की संख्या में प्रदेश के कोने-कोने से लोग पूजन अर्चन हेतु प्रतिवर्ष आते हैं तथा इसी नगर में उत्तर की ओर एक झील के किनारे प्रसिद्ध सूफी सन्त हजरत मकदूम मिस्वा हुलआशवीन चिस्ती रहमत उल्लाह दादा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मिलवा की दरगाह है । जिसमें हिन्दू व मुस्लिम जनता की गहरी आस्था केन्द्रित है । इस दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स का मेला लगता है । देश के कोने-कोने से श्रद्धालु जनता मनौती मानती है तथा चादरें चढ़ाने आती हैं । इसी तरह सावन के माह में प्रत्येक सोमवार को सनाथी नाथ बाबा के मन्दिर पर मेला लगता है । हिन्दू मुस्लिम जनता की गाढ़ी आस्था का केन्द्र मन्दिर एवं मजार है ।

अतः इस नगर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना अति आवश्यक है तथा साथ ही साथ बाबा सनाथी नाथ मन्दिर के क्षेत्र का तथा दरगाह के क्षेत्र का सुन्दरीकरण भी कराया जाना आवश्यक है । मल्लावां नगर व ब्लाक के पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में पर्यटन विभाग ने अपने पत्रांक अ०शा०प०सं० 250 सी० एम० 41-90-4228/90 दिनांक 24 अगस्त, 1990 तथा जिला विकास अधिकारी हरदोई ने अपने पत्र संख्या डी० पी० सी०/पर्यटन/मल्लावां दिनांक 25 जनवरी, 1991 द्वारा पर्यटन अधिकारी लखनऊ को भी लिखा था, परन्तु प्रभावी कार्यवाही न होने के अभाव में उक्त नगर व ब्लाक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया और न ही पर्यटन स्थल घोषित हुआ ।

अतः लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है । इसे सदन के संज्ञान में लाया जाना अति आवश्यक है । ताकि मल्लावां नगर ब्लाक में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके । इस हेतु पर्याप्त धनराशि शासन स्तर से प्रदान कराकर क्षेत्र को विकसित कराने के लिये उपलब्ध करायी जाय जिससे पर्यटकों को सुविधा प्राप्त हो सके ।।

लखनऊ नगर स्थित कृष्णानगर मुहल्ले में आशुतोष नगर में विद्युत आपूर्ति में लो वोल्टेज की समस्या को ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आशुतोषनगर कृष्णानगर में विद्युत आपूर्ति में लो वोल्टेज की तरफ ध्यान दिलाता हूं । मान्यवर, शाम होते ही इस पूरे क्षेत्र में बिजली का वोल्टेज बहुत कम हो जाता है । घरों में लगे पंखे ट्यूबलाइट तथा बल्ब बहुत ही हल्के हो जाते हैं और ट्यूबलाइट तो जलती ही नहीं है । इसका कारण यह है कि वहां अधिकतर मकानों में सिंगल लाइन के कनेक्शन हैं और एक-एक सिंगल लाइन से कई घरों में कनेक्शन दिये गये हैं । जिस मकान में 12 साल पहले कनेक्शन दिया गया उससे ही बाद में बने मकानों को जोड़ दिया जाता है और कोई नई लाइन नहीं दी जाती है जिसके कारण सभी मकानों में वोल्टेज कम हो जाता है । बिजली के प्रवाह के अभाव में अनेक दुर्घटनायें हो जाती हैं । उदाहरण के लिये मकान सं० 41 की ओर गई लाइन से कई कनेक्शन दिये गये हैं ।

अतः मैं मांग करता हूं कि वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाय और दोहरी और तिहरी लाइन की व्यवस्था की जाय ताकि लोगों को इस संकट से छुटकारा मिल सके ।।

---

* सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– । यह अंक पढ़ा हुआ समझा गया ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा उपकरण एवं आवश्यक स्टाफ नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र पाल निषाद–

[आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड मुख्यालय जसपुरा में एक राजकीय चिकित्सालय स्थापित किया गया है जिससे लगभग 50 ग्रामों की एक लाख आबादी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । इस क्षेत्र का एक मात्र शेय्यायुक्त चिकित्सालय है जनता को इससे बड़ी उम्मीदें हैं । किन्तु स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण अभी तक सम्पूर्ण चिकित्सा उपकरण नहीं लगाये गये तथा चिकित्सालय में रखी एक्सरे मशीन आज तक चालू नहीं हो सकी है और न मरीजों को भर्ती करने के लिये वार्डों का प्रयोग हो पा रहा है । चिकित्सालय में निर्धारित संख्या से पुरुष डाक्टर कम है तथा महिला डाक्टरों की अभी तक नियुक्ति ही नहीं की गई है । इसी तरह स्टाफ नर्स व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अभाव के कारण समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है । रिक्त पदों को भरकर चिकित्सा सेवा प्रदान करने की मांग की जाती है ।]

जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर में स्थित साधना सहकारी समिति लौंगपुर तथा ढढूली के सचिव द्वारा चोरी से खाद बेचे जाने के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त गंभीर प्रकरण लाना चाहता हूं. तहसील फरीदपुर जनपद बरेली की साधना सहकारी समिति लौंगपुर तथा ढढूली के गोदाम जो एक सचिव के चार्ज में है । सचिव द्वारा कई ट्रक खाद चोरी में बेंच दी गई है एवं आज के दिन तक बेची जा रही है । किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है । जिससे बुवाई के इस सीजन में किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । हजारों किसान आन्दोलित हो रहे हैं । किसानों की फसल बुवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

अतः अनुरोध है कि इस अत्यन्त जनहित के मामले में शासन द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाय तथा सचिव के विरुद्ध कार्यवाही कर किसानों को तत्काल खाद वितरण की व्यवस्था की जाय ।]

जनपद बरेली के कस्बा भरतपुर में भूमिहीन बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मोती लाल–

[मान्यवर, तहसील फरीदपुर जनपद बरेली के कस्बा भरतपुर में गाटा संख्या 256 में अनेक भूमिहीन बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे कई वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये थे किन्तु आज तक उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है । उक्त भूमि पर दबंग संवर्णों द्वारा कब्जा कर मकान बनाये गये है । इस कारण अनुसूचित जाति के नागरिकों में क्रोध एवं क्षोभ व्याप्त है । आसपास के गांवों में अनुसूचित जाति के लोग आन्दोलित हो रहे हैं ।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर तत्काल कार्यवाही कर आवंटियों को कब्जा दिलाया जाय ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उ० प्र० को-आपरेटिव फेडरेशन में सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नतियों में आरक्षण कोटा को पूर्ण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द राय--

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण लोक महत्व का मामला लाना चाहता हूं । उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन पी० सी० एफ० में सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर प्रोन्नति आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है । शासनादेश संख्या–1334/90(2)/का-1-1994 में निहित प्राविधानों का पालन मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में परियोजनाओं मेंनवसृजित पदों पर प्रोन्नतियों आरक्षण एवं ज्येष्ठता की अनदेख कर कनिष्ठ अभियन्ताओं की प्रोन्नतियां की गई है । जिससे सम्पूर्ण पी० सी० एफ० कार्यरत कर्मचारियों में क्षोभ एवं कुंठा व्याप्त है जो कभी भी विस्फोटक हो सकती है कर्मचारी आन्दोलित हो रहे हैं ।

अतः मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय पर शासन द्वारा अविलम्ब कार्यवाही की जाय एवं अनियमित प्रोन्नतियों को निरस्त कर पात्र आरक्षित वर्ग के अवर अभियन्ताओं को प्रोन्नति दी जाय ।]

जनपद सलीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में बनाई गई सड़कों में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती माया प्रसाद--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन सड़कों का निर्माण किया गया है या जो निर्माणाधीन है वह निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हो रहा है । सम्पर्क निर्माण में घोर अनियमिततायें हो रही हैं । सम्पर्क मार्गों के लिये स्वकृत धन का खुल रूप में अधिकारीगण दुरुपयोग कर रहे हैं ।

मैं इस लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से मांग करती हूं कि शासन स्तर से समस्त सड़कों की जांच करके निर्धारित मानकों के अनुसार सड़कों का निर्माण कराया जाये ।]

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मंसूरी में कतिपय मार्गों का पक्कीकरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र सिंह--

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंसूरी जनपद देहरादून के अन्तर्गत भोगपुर, बसन्तपुर-मादसी थानों-धारकोट (कोलूखेत) चूनाखला-घड़ी पानी मार्गों का निर्माण लगभग 10-15 वर्ष पूर्व किया गया था उक्त मार्गों का पक्कीकरण न होने के कारण जनता के उपयोग में नहीं आ रहे हैं । जनता एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर उक्त मार्गों के पक्कीकरण की मांग की जाती रही है परन्तु विभाग की निष्क्रियता के कारण जनता की उचित मांग क ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

महोदय उक्त लोक महत्व के विषय को स्वीकार कर उक्त तीनों मार्गों के पक्कीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में बालिका डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

[मान्यवर, जनपद कौशाम्बी विधान सभा क्षेत्र 280 सिराथू में बालिका डिग्री कालोज बनवाने के संबंध में मान्यवर, अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र सिराथू की बालिकाओं को स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है । मान्यवर, इलाहाबाद से सिराथू की दूरी लगभग 60 कि०मी० पड़ती है । बालिकाओं को सुविधा के लिये बालिका डिग्री कालेज बनना अति आवश्यक है ।

मान्यवर, अध्यक्ष जी आपसे सादर अनुरोध है कि जनहित को देखते हुये सरकार द्वारा तहसील सिराथू में बालिका डिग्री कालेज बनवाने का कष्ट करें ।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किला मोहम्मदी आदि ग्रामों की अर्जित भूमि पर कालोनी का निर्माण कर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम किशोर यादव–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान ग्राम किला मोहम्मदी बंगला बाजार, औरंगाबाद आदि ग्रामों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जहां के निवासियों की सारी भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आशियाना कालोनी के निर्माण हेतु अर्जित की गई थी उक्त अर्जित भूमि को कालोनी के निर्माण एवं विकास अन्सल हाउसिंग कम्पनी को उपलब्ध करायी थी, के विकास जैसे पानी, सड़क सीवर बिजली स्कूल आदि की व्यवस्था होनी थी, इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुसार नहीं की जा रही है जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं । तथा नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हैं । परन्तु शासन/लखनऊ विकास प्राधिकरण/अन्सल हाउसिंग कम्पनी के उपेक्षापूर्ण रवैये से भारी जनाक्रोश है । इस संबंध में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । अतः अनुरोध है कि उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार को निर्देशित करें ताकि वह प्रभावित ग्रामों एवं गांवों में अविलम्ब विकास का कार्य करायें । तथा इस संबंध में सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के कतिपय ग्रामों की भूमि जलमग्न रहने के कारण ड्रेन की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रमेश राही–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत विकास खंड महोली के ग्राम सभा महेवा, इनायतनगर, पालहापुर, चिराग अली आदि ग्रामों की भूमि लगभग 200 एकड़ जलमग्न रहती है । लगभग 24 वर्ष पूर्व इस पर ड्रेन बनायी गयी थी, परन्तु 24 वर्षों से इस पर सफाई आदि का कार्य नहीं किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में जनभावनाओं को ध्यान में रखकर तत्काल ड्रेन की सफाई हेतु सरकार को निर्देश दें, ताकि सैकड़ों एकड़ जलमग्न भूमि कृषि योग्य हो सकें और सैकड़ों परिवारों को भुखमरी से बचाया जा सके ।

मान्यवर, मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ड्रेन की सफाई कराये जाने का आदेश सरकार को देने का कष्ट करेंगे ।]

जनपद इलाहाबाद के श्री आशीष प्रसाद द्वारा न्यायालय कलक्ट्री अधिकारी सैदाबाद को दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार गबन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम सेवक सिंह–

[मान्यवर, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं । विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले शुक्रवार मा० सदस्य श्री मुराद लारी द्वारा पूछे

---

* सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[ ] : सदस्य द्वारा पढ़ा गया ।

गये अता० प्र० सं० 99 के उत्तर के संबंध में कहा गया कि श्री लालता प्रसाद द्वारा गाटा संख्या 1249 क्षेत्रफल एक बीघा सत्रह बिसवां तथा गाटा सं० 964/3, क्षेत्रफल 3 बिस्वां के बावत में पूर्व में चकबन्दी कार्यालय में कोई आपत्ति प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि श्री लालता प्रसाद ने दिनांक 6-6-97 को न्यायालय चकबन्दी अधिकारी बेंहन्दर स्थान सण्डीला जिला हरदोई को दिया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री लालता प्रसाद के नाम गाटा संख्या 1249 पर गाटा संख्या 964/3 प्रस्तावित कर दिया जाय यदि किसी प्रकार कोई व्यवस्था हो रही हो तो गाटा संख्या-964/3 को किसी अन्य स्थान में दिलाने के आदेश संबंधित अधिकारी को देने की कृपा करें। नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में यह महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। ताकि सदन सही निर्णय दे सकें।]

जनपद बांदा के विकास खंड जसपुरा में राजकीय कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा की सम्पूर्ण जनसंख्या एक लाख लगभग के है तथा 30 ग्राम पंचायतें हैं जिनके 50 के लगभग मजरे पूरवे हैं इस विकास खण्ड में कृषि उत्पादन मण्डी न होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है जसपुरा से बांदा मण्डी की दूरी 50 कि० मी० तिन्दवारी 45 कि०मी० पड़ती है जिससे अनावश्यक भाड़ा किसानों को देना पड़ता है जिससे किसान मजबूर होकर आढ़तियों के हाथ अपना अनाज बेंच देता है तथा उत्पादन का लाभ आढ़तियें उठाते हैं। जसपुरा में राजकीय कृषि उत्पादन मण्डी स्थापना की मांग करता हूं ताकि किसानों की समस्या का निदान किया जा सकें।]

अपर निदेशक स्वास्थ्य गोरखपुर के कार्यालय में कार्यरत जांच में दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सन्त प्रसाद–

[मान्यवर, मैं आपका और माननीय मंत्री जी का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अपर निदेशक स्वास्थ्य गोरखपुर मंडल कार्यालय में श्री मोहम्मद हनीफ स्टोनो विगत 15 वर्षों से लगातार ही कार्यालय से वेतन लेते हुए कार्यरत हैं। उन्होंने राज्य कर्मचारी आचार संहिता के विरुद्ध एक जीवित पत्नी/ 3 बच्चे के रहते दूसरी शादीशुदा औरत से शादी किया है। यह दोनों पति पत्नी एक ही शहर गोरखपुर में रहकर दोनों द्वारा पचासी हजार रुपया नियम के विरुद्ध आवास भत्ता लिया गया है, इनके विरुद्ध श्री राजकुमार यादव रा० ज० द० नेता गोरखपुर के शिकायत पर आयुक्त गोरखपुर मंडल से जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के माध्यम से अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर गोरखपुर से जांच करायी।

जांच में दोषी पाये गये 3 कर्मचारी स्टोनों लेखा लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण प्रशानिक दृष्टिकोण से तुरन्त कर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति जांच अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं आयुक्त गोरखपुर मंडल ने की आयुक्त गोरखपुर मंडल ने अपने पत्र संख्या आर-2-463-464, दिनांक 6 अप्रैल, 98 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं महानिदेशक, चिकित्सा उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा, परन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। शासनादेश दिनांक 12-11-97 का पालन दिनांक 1-5-98 को 5-6 माह बाद किया गया और अपर निदेशक, गोरखपुर कार्यालय के स्टोनों का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 1-5-98 का पालन अपर निदेशक गोरखपुर द्वारा अब तक नहीं किया इनका प्रतिस्थानी स्टोनों के दिनांक 3-6-96 के योगदान के बाद भी तथा हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर तैनात रहने के बाद भी पूर्व स्थानान्तरित स्टोनों को कार्यमुक्त नहीं किया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस अति अवविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर प्रतिस्थानी कर्मचारी स्टोनों जो कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, को यथावत बने रहने देने तथा दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद फतेहपुर के ग्राम पाराधनई निवासी श्री शिवलाला के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान म लाना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर में शिवलाला पुत्र श्री कामता प्रसाद निवासी ग्राम पाराधनई थाना चांदपुर तहसल बिन्दकी जो कि एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके ऊपर धारा 302/149/201 थाना चांदपुर सहित लगभग आधा दर्जन मुकदमें पंजीकृत है । यह जेल से रिहा होकर अपने निवास पर आ गया है जिससे आये दिन रात में दो चार बदमाशों को साथ लेकर नाजायज तरके से असलहे लेकर घूमता है तथा गाली गलौज करता है । स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई किन्तु उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है जिससे सारे गांव में भय व दहशत का माहौल व्याप्त है शान्तप्रिय परिवारों की पालायन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति एवं उसके साथियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरैनी में बनायी गई सड़कों में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अशोक कुमार सिंह–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि रायबरेली जनपद के विधान सभा क्षेत्र सरैनी के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया गया है एवं उस निर्माण में संबंधित अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है ।

1–सरैनी पुरे पांडे मार्ग से हथनासा सम्पर्क मार्ग निर्माण कराया गया है जिसकी अनुमानित लागत एक लाख बीस हजार है जबकि मात्र दस हजार रुपये मूल्य का मिट्टी का कार्य कराया गया है ।

2–सराय बैरिहा खेड़ा मार्ग से मुरदीपुर मजगवां सम्पर्क मार्ग ।

3–इलाहाबाद उन्नाव मार्ग से बैलहनी सम्पर्क ।

4–कर्कसा से अलौरा सम्पर्क मार्ग ।

उपरोक्त तीनों मार्गों में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है जितनी धनराशि का भुगतान हुआ है उसका 1/4 भाग भी कार्य नहीं हुआ है ।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न में व्यवस्था की मांग करता हूं । एवं अनुरोध करता हूं कि भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करें तथा उपरोक्त मार्गों का सही ढंग से निर्माण कराया जाय ताकि लोगों में व्याप्त असंतोष दूर हो सके ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा नहीं गया ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कतिपय स्थानों पर महिला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब से यह सरकार प्रदेश में आयी है तब से सारा विकास कार्य रुक गया है जनपद गोंडा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जो बहुत ही पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, यहां पर बुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नही है । क्षेत्रीय लोगों को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता है और आपातकाल की स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि शासन की नीति में भी है कि तीन हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय मनकापुर तहसील मुख्यालय पर महिलाओं के लिये और वजीरगंज कस्बे में भी महिलाओं के लिये तात्कालिक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है । बहुत सी महिलायें ऐसी हैं जो पर्दे में रहती हैं, पुरुष डाक्टरों को कुछ ऐसे रोग हैं जो बताने में सकुचाती हैं, और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उन स्थानों का सर्वे कराया जाय जो तीन हजार आबादी के सीमा में आते हों, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय और तहसील मनकापुर मुख्यालय और वजीरगंज में तत्काल जनहित में महिला अस्पताल खोलने हेतु आदेश देने का कष्ट करें ।]

जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर में लेखपाल द्वारा कतिपय व्यक्तियों के साथ भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिशुपाल सिंह यादव–

[मान्यवर, कृपया आपका तथा सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद देवरिया के तहसील रुद्रपुर के ओम प्रकाश मिश्रा लेखपाल द्वारा भ्रष्टाचार के बल पर प्रार्थीगण-अभिनन्दन, सूर्य नारायण रामजी पुत्रगण कोदई ग्राम करहकोल के भ० अ० संख्या 470 'ग' रकवा 0.061 है से नाम खारिज करके विपक्षीगण हरी, रुदल दिलीप पुत्रगण राम चन्द्र के खाता सं० 368 में गलत दर्ज कर दिये जाने पर तथा प्रार्थी सूर्य नारायण का विभिन्न भूमि नमबरानों से नाम खारिज कर दिये जाने के बावत में मा० राजस्व मंत्री जी के कार्यालय के पत्र संख्या 438/98 दिनांक 29-1-98 पत्र सं० 358/वी० आई० पी०/98 दिनांक 18-3-98 पत्र संख्या 1619/98 दिनांक 29-4-98 पत्र संख्या 2215/98 दिनांक 27-5-98 तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के पत्र संख्या देव 62/लो० शि०-3/98 दिनांक 4-2-98 पत्र संख्या सी० एम०/बी० को०/एम०–3/7974/98 दिनांक 3-3-98 पत्र संख्या सी०एम०/बी०को०/एम०–11739/98 दिनांक 9-6-98 पत्र संख्या देव-510/ली०शि०-2/98 दिनांक 30-6-98 द्वारा आदेश जारी किये गये हैं । के संदर्भ में अभी तक जांच करके भू-अभिलेखों में सुधार नहीं किया गया । इन पीड़ित लोगों को बेदखल कराने हेतु दिनांक 8-9-97 व 13-3-98 व 7-4-98 को फौजदारी करा दी गई धारा 147, 323, 421, 504, 506 आई० पी० सी० कायम किया गया एफ० आई० आर० में सभी धारायें नहीं लगाई गई ।

अतः इस लोक महत्व प्रश्न पर सदन की सभी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

स्व० ब्रह्म दत्त द्विवेदी के हत्यारों को पकड़ने वाले अवैतनिक होमगार्ड श्री सेवाराम को वैतनिक नौकरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर स्व० ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड के अपराधी को पकड़ने वाले मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के अवैतनिक होमगार्ड श्री सेवाराम को वैतनिक नौकरी हेतु प्रदेश की मंत्रिपरिषद् के कई मंत्रियों द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वैतनिक सेवा में लिये जाने के संबंध में डी० जी० होमगार्डस को लिखा गया । लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

वीरता, साहस पूर्ण कार्य करने वालों को आउट आफ टर्न प्रमोशन देने का शासन का प्राविधान है ।

लेकिन उपरोक्त होमगार्ड को अभी तक वैतनिक नौकरी न देकर डी० जी० होमगार्ड वीरता पूर्ण कार्य करने वालों को हतोत्साहित कर रहे हैं ।

इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन के संज्ञान में लाते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं ।

आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में ताज फिरोज खां क्षेत्र में नाला बनाये जाने तथा पानी निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० राम बाबू हरित–

[मान्यवर, आगरा महानगर जो विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आगरा का बहुमुखी विकास होने हेतु समय-समय पर निर्देश निर्गत किये हैं । लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में ताज फिरोज खान जहां काफी पुरानी पुरातत्व की इमारतें हैं । सिकन्दरा अजीत नगर वी०आई० पी० गेट, नगर निगम के सामने, श्री राम हास्पिटल वाली रोड़ थोड़ी सी बरसात में पानी से लबालब भर जाती है ।

ताज फिरोज खान सिकन्दरा में पानी की निकासी न होने से इन क्षेत्रों में हर समय पानी भरा रहता है यही नहीं इन क्षेत्रों की सड़कों पर पानी हर समय भरा रहने से जलकुम्भी उग आई है लोग अपने मकान छोड़ने को मजबूर हो गये हैं । तमाम लोगों के मकान अभी भी पानी की सीलन के कारण टूटकर गिर रहे हैं इन क्षेत्रों में ज्यादातर गरीब मध्यम वर्गीय जनता रहती है । ताज फिरोज खां० के क्षेत्र के पानी निकासी हेतु 23 लाख रुपये नाला बनाने हेतु स्वीकृत हो गये हैं लेकिन विभाग द्वारा कार्य बहुत ही मन्द गति से कराये जाने के कारण उसका लाभ अभी जनता को नहीं मिल पा रहा है जबकि सिकन्दरा में पानी की निकासी हेतु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

अतः आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि ताज फिरोज खान में बन रहे नाले को युद्ध स्तर पर कार्य करवाकर पानी की निकासी हेतु व्यवस्था तथा सिकन्दरा क्षेत्र से पानी की निकासी हेतु एक योजना बनाने की सरकार से तुरन्त व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।]

जनपद जालौन के सभी विकास खंडों को भारत सरकार द्वारा डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि के मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, जनपद जालौन के सभी नौ खंड विकास क्षेत्र भारत सरकार द्वारा संचालित सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित है वर्ष 1997-98 के वित्तीय वर्ष में सभी खंड विकास क्षेत्रों को धनराशि भारत सरकार द्वारा डी० आर० डी० ए० उरई को उपलब्ध कराई गई जो सामान्य रूप से सभी खण्ड विकास क्षेत्रों को उपलब्ध कराकर विकास कार्य कराये गये । परन्तु अक्टूबर, 1997 से लेकर जुलाई, 1998 तक दूसरी किश्त की सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद के सभी खंड विकास के क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई धनराशि के मात्र खण्ड विकास कदौरा व महेवा क्षेत्रों में कार्य नहीं कराया गया । परन्तु क्षेत्रों की धनराशि अन्य खण्ड विकास कठौंद, माधवगढ़, जालौन, रामपुरा, नदी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गांव, कोच व डकोर क्षेत्रों में आवंटित कर दी गई तथा खण्ड विकास कदौरा व महेवा में कार्य पूरी तरह रोक दिये गये जिन उपरोक्त सात खण्ड विकास क्षेत्रों में धनराशि दी गई, उनमें कच्ची सड़कों का कार्य शत प्रतिशत ट्रैक्टरों से कराया गया । निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया, मजदूरों से कार्य न कराये जाने से जनपद में मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है । हजारों की संख्या में मजदूर अन्य जनपद में पलायन करने लगे हैं पैसों के अभाव में बीमारों का इलाज नहीं हो पा रहा है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें ।]

वाराणसी नगर के उत्तरी इलाके में गम्भीर रूप से फैले हैजे की रोकथाम हेतु चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी नगर के शहर उत्तरी इलाके में विशेषकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में हैजे का गम्भीर प्रसार हो गया है । मोहल्ला आदमपुर, जैतपुरा तथा कोतवाली वार्ड के छित्थनपुरा, पठानी टोला, राजापुरा जलालीपुरा एवं पुराना पुल आदि क्षेत्र में हैजे का विशेष प्रकोप देखने में आ रहा है हैजे से पीड़ित 145 मरीज पीलीकोठी स्थित जामियां असपताल में भर्ती है । 70 मरीज सिर्फ बुधवार को ही अस्पताल में भर्ती हुये भर्ती मरीजों में 85 प्रतिशत 9 साल तक के बच्चे हैं । यह सिलसिला पिछले करीब 15 दिन से जारी है । लेकिन जिला प्रशासन को इनके रोकथाम व चिकित्सा के प्रति बेखबर हैं जिससे आम जनमानस में गम्भीर आक्रोश व्याप्त है । ज्ञातव्य है कि इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिये आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं से सम्पन्न जिले का स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक मरीजों की कोई सहायता नहीं प्रदान किया गया है यदि जिले के स्वास्थ्य विभाग सक्रिय होकर इस गम्भीर रोग के रोकथाम के प्रति सक्रिय नहीं हुये तो इसके अन्याय क्षेत्रों में भी फैलने की पूरी आशंका है । हैजाग्रस्त मुहल्लों में विशेष सफाई अभियान के प्रति भी नगर निगम का कोई प्रयास अभी तक देखने में नहीं आया है ।

अतः हैजा रोग ग्रस्त उपरोक्त क्षेत्रों में रोग के निदान के प्रति आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, नगर निगम, वाराणसी द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाने एवं अन्यान्य क्षेत्रों में इस रोग का प्रसार न हो इसके लिये निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को अविलम्ब निर्देशित किये जाने की माननीय सदन से मांग करता हूं ।]

उ० प्र० राज्य सेतु निगम ऐशबाग इकाई द्वितीय लखनऊ में उप परियोजना प्रबन्धक के पद पर कार्यरत श्री हेमन्त कुमार चौहान को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजेन्द्र आर्य–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकरण लाना चाहता हूं यह कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में ऐशबाग इकाई (द्वितीय) लखनऊ में श्री हेमन्त कुमार चौहान, उप परियोजना प्रबन्धक के पद पर कार्यरत हैं इनके विरुद्ध मण्डी परिषद् में तैनाती के दौरान जाफरगंज जनपद सुल्तानपुर मण्डी में साधारण सड़क का निर्माण कराया गया था जबकि उसका भुगतान पेवर रोड दर्शाकर लिया गया, जिसमें 6 लाख रुपये की रिकवरी श्री चौहान पर लगाई गई जिसकी पुष्टि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इनकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्ट के साथ अंकित है सेतु निगम इकाई लखनऊ एवं इटावा में श्री चौहान के कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तथा संबंधित सहायक लेखाधिकारी भी निलम्बित चल रहे हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री बत्रा ने इन्हें लखनऊ में एक नई इकाई का अनियमित रूप से सृजन कर उसमें नियुक्त कर दिया है।

इन्होंने सेतु निगम में अपना एक तंत्र बना रखा है जिसमें ठेकेदार तथा भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं। इनकी चहेती एक फर्म अवकाश इण्टर प्राइजेज लखनऊ को पूर्व प्रबन्ध निदेशक श्री एन० सी० सक्सेना द्वारा पूर्व में ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इन्होंने अपनी काली कमाई से करोड़ों रुपये की चल अचल सम्पत्ति अर्जित की है।

अतः आदरणीय सदन से अनुरोध है कि इन्हें तत्काल लखनऊ इकाई से स्थानान्तरित कर टेक्निकल आडिट सेल (टी० ए० सी०) से जांच कराई जाय।]

प्रदेश में गन्ने की फसल को कीट मुक्त किये जाने हेतु विषाक्त बी० एच० सी० नामक रसायन के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान ने गन्ना किसानों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गन्ना उत्पादन की बेहतर पैदावार से संबंधित नई-नई जानकारियों को उपलब्ध कराने के इरादे से प्रकाशित होने वाले अपने त्रैमासिक प्रकाशन 'गन्ना समाचार' के मार्च 1998 के विशेषांक में कीट नियंत्रण के लिये बी० एच० सी० नामक उस रसायन की सलाह दी है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू०एच०ओ०) द्वारा घोषित विषाक्त खतरनाक रसायनों के क्लास टू श्रेणी के रसायन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तथा जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1997 से ही पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है।

बाजार में यह दवा बी० एच० सी०, लिन्डेन, बेन्जीक्लारे, गैमेक्सीन, हेक्साक्लारे आदि नामों से उपलब्ध है इस रसायन को कैंसर जनक प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले तथा यकृत को क्षति पहुंचाने वाले रसायन के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे अलावा यह रक्ताल्पता (एनीमिया) बौनेपरों, संक्रमण के लिये भी जिम्मेदार है प्रतिबन्धन के बावजूद भी इस दवा का धड़ल्ले से आज भी बाजार में उपलब्ध होना तथा सहकारी समाचार पत्रों द्वारा इसका प्रचार-प्रसार करने के कारण किसानों द्वारा कीट नियंत्रण, दीमकों से छुटकारा पाने, अंकुर बेधक (सूटबारेर) काला चिकटा (ब्लैक वग) टिड्डा, ग्रास हापर तथा पायरिला रोगों की रोकथाम के लिये इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिससे कई जानलेवा हृदय विदारक घटनायें घटी हैं। पिछले हफ्ते सहारनपुर में इसके इस्तेमाल के कारण ही एक खेतिहर मजदूर को अपनी जान भी गवानी पड़ी। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। अतः शासन को उचित निर्देश देने का कष्ट करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम प्रसाद चौधरी–

[मान्यवर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितता तथा आर्थिक घपलों पर कोई कार्यवाही न किये जाने से उक्त विभाग में मनमानी बढ़ती जा रही है ।

भारत के नियंत्रक व महालेखाकार ने भी अपने वर्ष 1997 के प्रतिवेदन में करोड़ों रुपये के आर्थिक भ्रष्टाचार, दुरुपयोग के मामले उजागर किये । जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड गया में निर्मित प्रा० पा० टण्डौली के मानक के अनुसार निर्माण न कराये जाने पर संबंधित अवर अभियन्ता को निलम्बित करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल ने 99 पत्रांक 1013 दिनांक 7-6-97 निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता के बावत फैजाबाद मण्डल ने अवर अभियन्ता को निलम्बित किये जाने हेतु पत्रांक 148 दिनांक 8-4-98 निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता को लिखा उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

आपके माध्यम से उक्त मामले को सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधीन भू-गर्भ जल विभाग के यांत्रिक विंग के अधीन खोले गये फील्ड यूनिटों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में उत्तर प्रदेश सरकार के लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्रालय के अधीन भूगर्भ जल विभाग के यांत्रिक विंग के अधीन पूरे उत्तर प्रदेश में खोले गये फील्ड यूनिटों के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद महराजगंज, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, हरिद्वार, अलीगढ़, गाजियाबाद, बांदा, ललितपुर जो भी सहायक अभियन्ताओं के फील्ड यूनिट कार्यालय खोले गये हैं, उनकी वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं ली गई न ही उन कार्यालयों/स्टोर के भुगतान हेतु कोई भी बजट आदि का प्राविधान वर्ष 1997-98 एवं 98-99 में नहीं किया गया है जिससे किसी भी फील्ड यूनिट के कार्यालयों का भुगतान नहीं किया गया है जिससे प्रदेश की प्रगति पर कुप्रभाव पड़ रहा है जबकि विभाग में कुल 10 रिग महीने कार्यरत हैं । जो लगभग 20 से 25 वर्ष पुरानी है । इन फील्ड यूनिटों के खण्डीय कार्यालय से दूर होने पर उनके रख-रखाव में ज्यादा धनराशि व्यय होगी साथ ही कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदि में यात्रा भत्ता आदि का भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को प्रताड़ित किये जाने हेतु फील्ड यूनिट खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है ।]

प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग में कार्यरत कार्य प्रभावित (वर्कचार्ज) कर्मियों को नियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत भू-गर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश में कार्य प्रभावित (वर्कचार्ज) अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । इस विभाग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

का सृजन वर्ष 1973 में किया गया था तभी से विभाग में वर्कचार्ज कर्मचारियों/अधिकारियों की विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती रही हैं । जिनकी संख्या 1000 (एक हजार) है । इस विभाग में नियमित कर्मचारियों की बेहद कमी है ।

अतः वर्कचार्ज कर्मचारियों से ही कार्यालय से लेकर सुदूर क्षेत्रों पर नलकूप निर्माण जैसे लागिंग, वाहन चालन टंकण का कार्यों का सम्पादन भी किया जाता है । इन्हें वेतन के रूप में नगर प्रतिकर भत्ते को छोड़कर नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि भी दिया जा रहा है । किन्तु इन्हें अभी तक नियमित नहीं किया है । जबकि अधिकांश कर्मचारी 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं । इस प्रकार अब इनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो गया है ।

इसी विभाग की उदासीनता को देखकर अनेक कर्मचारी माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय भी गये जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इन कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश भी पारित कर चुकी है । फिर भी अभी नियमित करने के विषय में कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गई है । उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण के फलस्वरूप सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भारत नहीं पड़ेगा अपितु जी०पी०एफ० इत्यादि की कटौती प्रारम्भ हो जाने पर वापस पैसा सरकार के पास ही रहेगा । जिन पदों पर ये कर्मचारी कार्यरत हैं। वे सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं । अतः वर्कचार्ज के कर्मचारी जिन पदों पर कार्यरत हैं, उन पदों की स्वीकृत कर कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित करें ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि तत्काल उक्त सभी कार्य प्रभारित है । वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें ।]

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में कतिपय मार्गों का डामरीकरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय भट्ट–

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अनेकानेक सड़कों विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से बनी हुई है । अब तक उक्त मार्गों का डामरीकरण (मैटला ईजेशन) नहीं हुआ है । परिणामतः प्रतिवर्ष वर्षा काल में उक्त मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और यातायात समाप्त प्रायः हो जाता है । इससे क्षेत्र की आपूर्ति एवं संभरण बनाये रखने की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है जिससे समग्र क्षेत्र की जनता में त्राहि-त्राहि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जनाक्रोश उत्पन्न होता है । चम्पानगर से डीटियाल सराइखेत नामक सड़क तो सन् 1960 के दशक में बनी थी, इसी प्रकार जौरास, गनाई, भुजान, रीची, बिल्लेख, भरचूला भरेंगखाल, भोटा मार्ग भी 20 वर्ष पूर्व बन गये थे ।

आजकल ये मार्ग अवरुद्ध हो जाने से इनके आस-पास के सम्पूर्ण क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भयंकर अभाव हो गया है । जिससे जनाक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अतः उपरोक्त सड़कों को पक्का करवाने के लिये मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये तुरन्त उक्त मार्गों के डामरीकरण हेतु मांग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करता हूं तथा इतने लम्बे समय से इन मार्गों की ओर ध्यान दिये जाने के विषय पर वक्तव्य की मांग करता हूं । ।

जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्वी यमुना नहर की सफाई कार्य में की गई आर्थिक अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजपाल सिंह–

। महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के क्षेत्र खतौली के अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर लालू खेड़ी से भोराकला जैतपुर तक ग्राम बजवाडा के पूर्व से गोयला टेल तक, सिरम से सियाजुडी टेल तक, भौरतुक्का इलियापुर के बीच से गंग नहर नाला आखिरी तक तथा पूर्वी यमुना नहर अलवरपुर माजरा से कस्वा सिल होता हुआ सिकारपुर तक सफाई का कार्य कराया गया । जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने काफी अनियमिततायें की हैं । सफाई के नाम पर मात्र किनारों की घास आदि को हटा दिया गया जो शासन की नीतियों के विपरीत तथा जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालना है ।

अतः मैं अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त सफाई कार्यों की जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के लिये सरकार को निर्देश देने की कृपा करें । ।

जनपद प्रतापगढ़ में पेयजल समस्या के निदान हेतु वर्ष 1997-98 में स्वीकृत इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्रनाथ सिंह–

। महोदय, प्रतापगढ़ में जनपद में पेयजल समस्या हेतु वर्ष 1997-98 में जिला अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा स्वीकृत इण्डिया मार्का हैण्डपम्प जो उ० प्र० एग्रो प्रतापगढ़, जल निगम खण्ड–1, जल निगम खण्ड–2 प्रतापगढ़ द्वारा स्थापित किया जाना था किन्तु सूची के स्वीकृत होने के उपरान्त भी हमारे क्षेत्र के हैण्डपम्प अन्य विधान सभा क्षेत्र में चले गये । मेरे विधान सभा क्षेत्र सदन प्रतापगढ़ में पेयजल की समस्या अत्यधिक गंभीर है । अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक हित के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि सदन विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृति सूची पर शीघ्र हैण्डपम्प लगाने हेतु शासन निर्देश जारी करें । ।

जनपद महराजगंज के कस्बा फरेन्दा की लोक निर्माण इकाई द्वारा धानी-बृजमनगंज मार्ग में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा शीघ्र दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विनोद मणि–

। मान्यवर, जनपद महराजगंज में फरेन्दा लोक निर्माण इकाई द्वारा 20 वर्ष पूर्व से अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का मुआवजा आज तक नहीं मिला । इस बार लोक निर्माण फरेन्दा के धानी–बृजमनगंज मार्ग दूरी 10 किमी० में ग्रामवासियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद इस अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को भुगतान नहीं हो सका । विभाग द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि उक्त भूमि मुआवजे की धनराशि की मांग शासन में लम्बित है । इससे सैकड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर धानी–बृजमनगंज मार्ग के बकाये मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही किसानों को शीघ्र करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें । ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत मेसर्स दायबू मोटर्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में मजदूरों को निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नवाब सिंह नागर–

। महोदय, जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत मेसर्स दायबू मोटर्स लि० ग्रेटर नोएडा में पिछले सप्ताह 6 मजदूर नेताओं को निलम्बित कर दिया गया है । वे कई वर्ष से जो समझौते प्रबन्धकों के साथ हुये थे उन्हें लागू कराने के लिये प्रयास कर रहे थे । कम्पनी मजदूर नेताओं को प्रताड़ित करने के लिये बाहरी असामाजिक तत्वों का सहारा भी ले रही है । स्थानीय प्रशासन का भी कम्पनी प्रबन्धन को सहयोग मिल रहा है । अब 6 मजदूर नेताओं के निलम्बन से कम्पनी के सभी हजारों मजदूरों एवं क्षेत्रीय लोगों में कम्पनी व स्थानीय प्रशासन के प्रति भारी रोष व आक्रोष है ।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । ।

प्रदेश सरकार ने विभिन्न निगमों में मनोनीत प्रशासकों/अध्यक्षों द्वारा सरकारी धन के लिये किये जा रहे दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम औतार शाक्य–

। मान्यवर, मैं आपका ध्यान वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अनेकों निगमों में मनोनीत किये गये प्रशासकों/अध्यक्षों द्वारा सरकारी जनता के करोड़ों रुपयों की लूट फिजूल खर्ची की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

प्रदेश में जितने निगम हैं उनमें कौन-कौन अध्यक्ष/प्रशासक कब से मनोनीत है और उनसे मनोनयन के बाद मदवार अब तक कितना-कितना धन खर्च किया है का विवरण आना जनहित में आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि प्रदेश में ऐसे कितने निगम हैं जो घाटे में चल रहे हैं और किन-किन में अब तक कहां के कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन नहीं मिल रहे हैं । मुझे निश्चित जानकारी है कि उक्त निगमों में ऐसे बहुत से निगम है जो वहां कार्यरत रहे हैं । अधिकारी की गलत नीति एवं बेईमानी से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और भ्रष्टाचार की जांच होना आवश्यक है । यह एक जनहित से जुड़ा प्रश्न है । उ० प्र० सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि घाटे से ग्रसित निगमों को वित्तीय संकट से उबारने के उपाय सोचे । लोक महत्व का प्रश्न है ।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं वांछित विवरण प्रस्तुत करने की मांग करता हूं । ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में चल रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों आदि की नियुक्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबूराम यादव–

[महोदय, मेरे क्षेत्र के करहल शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है लेकिन उसमें चिकित्सकों का सदा से ही अभाव है । स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउन्ड मशीन, एक्सरे मशीन, पैथोलाजी की व्यवस्था उपलब्ध है लेकिन इन्हें संचालित करने वाले चिकित्सक नहीं हैं जिससे जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । करहल के चारों दिशाओं में 30 किमी० से नजदीक टुन्यछोई तक दूसरा चिकित्सा केन्द्र नहीं है इसलिये यहां के निर्धन लोगों को इसी चिकित्सा व्यय पर निर्भर रहना पड़ता है । स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में प्रायः निर्धन रोगियों की जिन्दगी समाप्त हो जाती है ।

अतः मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न के माध्यम से आपसे विनम्र निवेदन कर सरकार को उक्त सारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु निर्देश देने की मांग करता हूं ।]

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा, हिलौली तथा पुरवां में लगाये गये हैण्ड पम्पों को ठीक कराकर चालू किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदय राज यादव–

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । कि उन्नाव जनपद के विकास खण्ड असोहा–हिलौली तथा पुरवां के ग्रामों तथा टाउन एरिया पुरवां मौरावां में पूर्व में जल निगम यूनिसेफ द्वारा लगाये हैण्ड पम्प जिनमें से इस समय लगभग 50 प्रतिशत खराद पड़े हुये हैं जिसके संबंध में मैंने कई बार अधिशासी अभियन्ता जल निगम से उक्त हैण्डपम्पों को लिखित तथा मौखिक रूप से सही कराने हेतु कहा लेकिन आज तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई आज भी अधिकांश हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ।

आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा यह बयान भी दिया गया था कि खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने के आदेश दे दिये हैं । लेकिन आज तक खराब पड़े हैण्डपम्प ठीक नहीं कराये गये हैं जिसके कारण पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें ।]

जनपद हरदोई के कस्बा शाहबाद में प्लाई शुगर फैक्ट्री रूपापुर द्वारा गन्दे जल के निस्तारण हेतु नाला बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू खां–

[मान्यवर, आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र–89 शाहाबाद के जनपद हरदोई के किट प्लाई शुगर फैक्ट्री रूपापुर विगत तीन वर्षों से चल रही है । लेकिन उक्त फैक्ट्री ने अभी अपने गन्दे पानी के निकास हेतु न कोई नाले का निर्माण कराया है और न कोई पानी के निकास हेतु कोई दूसरी व्यवस्था की है । मान्यवर, यह गन्दा पानी समीपवर्ती किसानों के खेतों एवं गांव में फैलता है, जिस कारण तत्समय फैक्ट्री की पानी की दुर्गन्ध से पड़ोस के गांवों में बीमारी फैलने लगी है और फसलें नष्ट होने लगती हैं ।

अतः मेरे इस लोक महत्व प्रश्न पर शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें कि शासन उक्त फैक्ट्री को कड़े आदेश दे कि अपने गन्दे जल निकास हेतु नाला (ड्रेन) को अविलम्ब बनवाने का कष्ट करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अणश पत्र हुआ माना गया ।

देहरादून नगर में चाय बागानों की भूमि के भू–उपयोग में परिवर्तित या आवासीय योजनाओं हेतु बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुन्ना चौहान–

। मान्यवर, देहरादून को विश्व स्तरीय क्वालिटी चाय उत्पादन का गौरव हासिल है । आजादी के पहले से देहरादून में बड़े पैमाने पर चाय बागान थे जो धीरे-धीरे कम होते चले गये । इस स्थिति से चिन्तित होकर सरकार ने बहुत वर्षों पहले यह रोक लगी दी कि चाय बागानों के भू–उपयोग (लैंड्यूज) को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है अर्थात् आवासीय योजनाओं जैसे अन्य उपयोग में नहीं ला सकते हैं । इस रोक (प्रतिबन्ध) ऐवज में चाय बागान मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने इन्हें लैंड सिलिंग के प्राविधानों से भी मुक्त रखा । चाय बागानों के अस्तित्व को बचाने के पीछे अनेक उद्देश्य हैं–जहां एक ओर दून घाटी की विशिष्ट इकोलाजिकल व पर्यावरण संतुलन में चाय बागानों का योगदान एक पहलू है । वहीं दूसरी तरफ चाय बागानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक परिवारों की रोजी-रोटी/रोजगार अति महत्वपूर्ण पहलू है । परन्तु चाय बागान के मालिकों ने लैण्ड सीलिंग ऐक्ट में प्रदत्त छूट का पूरा लाभ उठाकर परन्तु प्रतिबन्ध का उल्लंघन करते हुये समय-समय में जमीनों को आवासीय योजनाओं हेतु बेचते रहे ।

वर्तमान समय में हरवंश वाला टी स्टेट की जमीन को टी०एच०डी०सी० को बेचने की मालिकों व प्रशासन की साजिश है जिससे श्रमिकों में तीव्र आक्रोश है और निरन्तर आन्दोलन कर रहे हैं । दुख की बात है कि प्रशासन इस साजिश में हिस्सेदार बनकर रह गया जबकि उसे श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिये । यदि शासन भी मूक दर्शक बना रहा तो उग्र आन्दोलन हो सकता है जिससे कानून व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न होगी ।

विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है । अतः सदन में चर्चा करके चाय बागानों की जमीनों के भू–उपयोग में परिवर्तन या आवासीय योजनाओं हेतु बेचने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता हूं । ।

जनपद हरदोई के ग्राम पूरा बहादुर थाना कोतवाली देहात जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार में श्री वीरेन्द्र बाजपेयी को पुलिस द्वारा अपमानित किये जाने की घटना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० अशोक बाजपेयी–

। श्री वीरेन्द्र बाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व महामंत्री है तथा जनपद के प्रतिष्ठित व्यापारी भी । गत दिनों ग्राम पूरा बहादुर थाना कोतवाली देहात में जिला प्रशासन द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया था । श्री बाजपेयी को इस दरबार में आमंत्रित किया गया । सामाजिक कार्यकता होने के नाते श्री बाजपेयी इस जनता कचेहरी में समय से उपस्थित हुये । इसमें जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जनपद के अन्य विभागीय अधिकारी तथा क्षेत्रीय जनता उपस्थित हुई । श्री बाजपेयी यह नहीं जानते थे कि जनपद के सत्तादल के एक वरिष्ठ नेता उनसे राजनैतिक विद्वेष करते हैं जिसके कारण वह जिला प्रशासन पर दबाव डालकर उन्हें अपमानित करना चाहते थे जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में एक फर्जी शिकायत पर श्री बाजपेयी को सार्वजनिक रूप से पुलिस द्वारा अपमानित कराया गया और उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर हथकड़ी डालकर पैदल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

घुमाया गया और उसके बाद तरह-तरह की मानसिक यातनायें देकर जेल भेज दिया गया । यह पूरी घटना सुनियोजित एवं राजनैतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है और जिसके चलते श्री बाजपेयी को अपमान का घूट पीना पड़ा । इस घटना से कोई भी राजनैतिक व्यक्ति को सत्ता दल के विपरीत है उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है । पूरे जनपद के राजनैतिकों में क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित और तात्कालिक विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों को दण्ड दिये जाने तथा थानाध्यक्ष कोतवाली देहात के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्यों को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम अचल राजभर–

[भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनते ही विकास का काम ठप्प सा हो गया है । जनपद लखनऊ में विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज विकास खण्ड मोसाईगंज में लोनी नदी पर ग्राम पस्तरा का पुल सुश्री मायावती जी के शासनकाल में स्वीकृत था । शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था, उसे रोक दिया गया । इसी क्षेत्र में विकास खण्ड मोहनलालगंज में लखनऊ, रायबरेली मार्ग से शेखपुर लवल होते हुये नन्दौली तक जाने वाली सड़क सुश्री मायावती जी के शासनकाल में स्वीकृत होकर बनना प्रारम्भ हुआ परन्तु भाजपा शासनकाल में काम रोक दिया गया ।

इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में विभिन्न विभागों में संबंधित विकास के काम जो सुश्री मायावतीजी के शासनकाल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था उसे पूरी तरह रोक दिया गया ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में रुके हुये उपरोक्त विकास कार्य को पूर्ण कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोसाईगंज में किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर० के० चौधरी–

[जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र मोहनलाल गंज विकास खण्ड मोसाई गंज के अन्तर्गत ग्राम गौरिया कला के पास गोमती नदी पर लगभग चार साल पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा एक पुल तथा पुल को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया गया । पुल और सड़क बनाने के लिये उस गांव के सुखा पुत्र पितई, सुखा पुत्र मोहिनी, राम खेलावन, मैकूलाल, अशोक, बंशराज, कंथई, जगदेव, परीदीन, ओटेलाल, रामनाथ, जगदीश, श्रीमती दुलारा, छेदालाल, बंगल, नत्था, रमई, परमेश्वर, भगवानदीन, गंगाराम, राम किशुन, मोछलाल, नन्हें लाल, राम प्रसाद, नौपीलाल, रुकमिन, माखन, चेतई, महावीर, मोहले, मोहनलाल, सीताराम, खुसीराम, लल्लू, नरायन, हबीबुद्दीन, फजरुद्दीन, अलाउद्दीन आदि गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहण करके ली गई । परन्तु अब तक उन्हें जमीन का मुआवजा नहीं दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया ।

नोट :– । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया । इन गरीब किसानों में भयंकर असन्तोष एवं आक्रोश है । वे कभी भी अभूतपूर्व आन्दोलन पर जा सकते हैं ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये किसानों की जमीन का मुआवजा भुगतान किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद सुल्तानपुर के कस्बा गौरीगंज में औपचारिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नये केन्द्रों को खोलने एवं अनुदेशकों की भर्ती में की गई अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तेजभान सिंह–

[उपरोक्त जनपद के गौरीगंज में अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत इस समय नये केन्द्र खोलकर अनुदेशकों की नियुक्तियां हो रही हैं जिसमें परियोजनाधिकारी ने पैसा लेकर गलत तरीके से केन्द्र खोलने का कार्य किया है । शिकायतों में बाल गणना न करना, गणना के आधार पर केन्द्र न खोलना, विज्ञापन में आरक्षित अनारक्षित का कोई उल्लेख न करना, विज्ञापन सम्पूर्ण न्याय पंचायत का निकाल कर सुविधा शुल्क मनमानी ग्राम सभाओं का चयन कर शेष छोड़ देना जबकि आवेदन सभी के स्वीकार किये गये हैं, हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न करना, ब्लाक की चयन समिति के माध्यम से कोई केन्द्र न खोलना तथा केन्द्र खोलने में मनमानी कर किसी-किसी ग्राम में 6.6 केन्द्र खोल देना किसी में 2 किसी-किसी को छोड़ देना तथा ग्राम मऊ में शिक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वयं अपना नाम प्रस्तावित कर लेना, शिक्षा समिति की बैठक कहीं न करना आदि की गंभीर शिकायतें हैं । इस तरह से बड़े पैमाने पर की गई धांधली से जनता में भारी असन्तोष एवं आक्रोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सभी अवैध नियुक्तियों को निरस्त कर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद सुल्तानपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सूर्यभान सिंह–

[उपरोक्त गांव में इस समय चकबन्दी का कार्य चल रहा है जहां चकबन्दी अधिकारियों के द्वारा नागरिकों के मुकदमों को न सुनने, मौके पर या तहसील केन्द्र पर अदालत न लगाने, मुसाफिर खाना, सुल्तानपुर में तथा उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद गौरीगंज में बैठकर मुकदमा न करने, तारीख देकर किसानों का शोषण करने एवं एक मुकदमों को वर्षों से लटकाये रखने, बगैर 9–ए, 9–बी के निस्तारण किये तथा रकबा दुरुस्त हुई फाइलों के आदेशों का अनुपालन किये बगैर चक काटने कब्जा देने, छोटे-छोटे कास्तकारों को कई-कई चक देने, सरकारी ड्रेन जिसका मुआवजा मिल चुका है की मालियत लगाकर समायोजित करना, ग्राम सभा की भूमि की मालियत लगाकर समायोजित करने अनावश्यक रूप में उड़ान चक देने, दो चकों के बीच नाली, चकरोड न देने, पुरानी पक्की सिंचाई नाली की भी मालियत लगाने आदि के गंभीर अनियमितताएं करने तथा चकबन्दी नियमों का अनुपालन न करने से, कई मा० विधायकगण के द्वारा जिलाधिकारी को शिकायती-पत्र भेजने के बाद भी कार्यवाही न होने से अधिकारियों के शोषण धांधली, तानाशाही करने से वहां काश्तकारों में घोर असन्तोष है वहीं चकबन्दी से होने वाले लाभ से किसान जिन्दगी भर दूर हो गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये तुरन्त उच्चस्तरीय जांच कर अनियमितताओं को दूर करने के बाद ही चकबन्दी कार्य समाप्त करने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर में तैनात जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं की जांच कराकर अत्यन्त स्थानान्तरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शरदवीर सिंह–

[मैं आपके संज्ञान में जनपद कुशीनगर में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के काले कारनामों को लाना चाहता हूं कि उक्त जनपद में कार्यरत उक्त दोनों अधिकारियों ने ठेकेदारों से सांग-गांठ कर रखा है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर गलत काम के लिये नाजायज दबाव डालते हैं। गलत काम न करने पर तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त विकास कार्यों के लिये आवंटित धन से मौके पर कार्य न करवाकर काफी धन उक्त अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों की सांठ-गांठ से हड़प लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा परेशान होकर उक्त जनपद से अपना स्थानान्तरण करवाने हेतु मा० मुख्यमंत्री को फैक्स द्वारा अनुरोध किया है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल उक्त दोनों अधिकारियों का स्थानान्तरण करके कनिष्ठ अधिकारियों का उत्पीड़न एवं सरकारी धन की लूट रोकने का कष्ट करें एवं उक्त दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों की जांच कराई जाय।]

जनपद शाहजहांपुर के कस्बा पुवांया में स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चेतराम–

[मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुवांया अन्तर्गत स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल में वर्ष 1997-98 का गन्ने का अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर तहसील द्वारा कर्ज की वसूली हेतु किसानों पर काफी दबाव डाला जा रहा है जिस कारण किसानों का दोहरा उत्पीड़न हो रहा है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल वर्ष 1997-98 का किसानों का बकाया भुगतान कराया जाय तथा जब तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान पूर्ण न हो जाय तब तक किसानों से कर्ज की वसूली को स्थगित किया जाय।]

जनपद मथुरा में कतिपय सहकारी क्षेत्र समितियों एवं संघों के सचिवों द्वारा की गयी अनियमितता तथा घोटालों की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय कुमार पोइया–

[मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा एवं स्वयं जनपद मथुरा में सहकारी क्षेत्रीय समितियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं संघों में व्यापक भ्रष्टाचार व घोटाला व्याप्त है तथा खुल कर लूट की जा रही है । जगदीर सिंह सरकारी पर्यवेक्षक/सचिव सहकारी क्षेत्रीय समिति आडींग मथुरा ने अपने कार्यकाल में भारी गबन, फर्जी स्टेशनरी, बिजली फिटिंग, बिल्डिंग में मिट्टी डलवाना दिखाकर, पल्लेदारी आदि की शिकायत मदन गोपाल कौशिक अध्यक्ष क्षेत्रीय सहकारी समिति अडींग द्वारा 3-3-98 को जिला सहायक निबन्धन से करने पर राजेन्द्र सिंह पर जिला सहकारी अधिकारी की जांच अधिकारी नियुक्त होने पर 17-4-98 को जांच में तीन लाख के गबन की रिपोर्ट जिला सहायक निबन्धन को भेजी, परन्तु अभी तक रिपोर्ट पर जेल नहीं भेजा गया तथा न ही वसूली की गई, इसी प्रकार क्षेत्रीय सहकारी समिति धनगांव में 37 लाख के गबन की रिपोर्ट हुई है परन्तु कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, एवं सहकारी समिति जिखनगांव में सचिव ओम पाल सिंह द्वारा वसूली में 2.10.97 व 4.10.97, 6.10.97 में फर्जी पोस्टिंग की गई । खातों से एवं मेम्बरवाइज डिमान्ड में अन्तर है तथा नई वसूली बुक में दिनांक 1.10.97 से 22.10.97 तक धनराशि जमा नहीं हुई ।

इस संबंध में नेत्रपल सिंह सदस्य, सहकारी समिति जिखनगांव द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है । गोवर्धन ब्लाक के सहकारी संघ गोवर्धन, सौख, मगौरा तथा विभिन्न सात समितियों फरह ब्लाक के दो संघ तथा विभिन्न 8 समितियों, मथुरा ब्लाक के छठीकरण, धन गांव संघ तथा विभिन्न 8 समितियां तथा मथुरा ब्लाक क्रय विक्रय सहकारी समिति तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति गोवर्धन के विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में फर्जी गोलमाल लेखें की सी० बी० सी० आई० डी० आर्थिक शाखा से जांच किये जाने की मांग करता हूं जिससे सहकारी आन्दोलन में छुरा भोंकने वाले के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हो सके तथा गबन की गई धनराशि को उसकी एवं उसके परिवार की चल एवं अचल सम्पत्ति से वसूलयावी होकर संघ एवं समितियों के धन को सुरक्षित रखते हुये बढ़ोत्तरी हो सके ।]

लखनऊ नगर के हुसैनगंज क्षेत्र में फूलबाग एवं दीप होटल के सामने टूटी पाइप लाइनों को ठीक कराकर पेयजल समस्या के समाधान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणधीर सिंह–

[मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुये शासन से अनुरोध है कि हुसैनगंज क्षेत्र के फूलबाग एवं दीप होटल के सामने सड़क को चौड़ा किये जाने के दौरान पाइप लाइन टूट जाने तथा लाखों गैलन पीने का पानी नालियों में निरन्तर बहने के संबंध में है । परन्तु प्रशासन और विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रही है जबकि पीने का पानी इस समय बहुत ही परेशानी बढ़ती जा रही है और घरों में पानी न आने के कारण पानी की समस्या और बढ़ती जा रही है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब पाइपों को दुरुस्त कराने की तथा क्षतिग्रस्त सड़क का कार्य पूर्ण कराने की मांग करता हूं ।]

---

* कक्षा में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया ।

नोट :–] [इस बीच कुछ कुछ भाग छोड़ा गया ।

होम्योपैथी निदेशालय में अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण में शासन की स्थानान्तरण नीति का पालन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सरवर अली खां–

[मई, जून, 1998 में होम्योपैथी निदेशालय द्वारा भारी पैमाने पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण शासन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के विपरीत निहित स्वार्थ में कर दिया गया है । स्थानान्तरण का आधार नीति को न बनाकर गत वर्ष हुये प्रान्तीय होम्योपैथी चिकित्सा सेवा संघ व केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली के चुनाव को बनाया गया है । चुनाव के सहयोगियों को उनके इच्छानुसार जगहों पर समायोजित किया गया है, वहीं विरोधियों को अकारण महत्वहीन एवं सुविधा साधन विहीन जगहों पर स्थनान्तरित किया गया है ।

अकर्मण्य, अयोग्य, अक्षम, अनुभव विहीन अधिकारियों/कर्मचारियों को मनचाही जगहों पर भेजा गया है, साथ कर्तव्यनिष्ठा कठोर परिश्रमी, लोकप्रिय एवं समर्पित अधिकारियों/कर्मचारियों को दंड स्वरूप कठिन जगहों पर स्थानान्तरित किया गया है । उचित, ग्रामीण एवं तथ्यपूर्ण अनुरोधों को गैरकानूनी एवं मनमाने ढंग से अस्वीकार किया गया । पारस्परिक, दम्पत्ति तैनाती के मामले को भी नजर अंदाज किया गया है । प्रशासनिक आधार पर जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया है । वे शासन के प्रभावी स्थानान्तरण नीति में परिभाषित प्रशासनिक स्थानान्तरण की सीमा में नहीं आते हैं । इन तबादले की आड़ में होम्योपैथी निदेशालय द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों का भारी पैमाने पर शोषण एवं दोहन किया जा रहा है । निदेशालय के पक्षपातपूर्ण भूमिका नीति विपरीत कृत्य एवं शोषण दोहन से प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी, उनके परिवारजन उनके संबंधी व जनप्रतिनिधिगण क्षुब्ध एवं असंतुष्ट है । प्रभावित पक्षों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार सम्पूर्ण तथ्य शासन के संज्ञान में लाये जा रहे हैं किन्तु शासन इस प्रकरण के मेरिट पर निस्तारण के प्रश्न पर मौन है । स्वच्छ प्रशासन एवं जनहित में इस स्थानान्तरण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच एवं होम्योपैथी निदेशालय के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही नितान्त आवश्यक है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले की काफी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुये नीति विपरीत स्थानान्तरण प्रकरण के उच्चस्तरीय जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी में नवनिर्मित किसान मण्डी की दुकानों का आवेदन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री धर्मराज निषाद–

विकास खण्ड भीटी जनपद अम्बेडकर नगर में सन् 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सात लाख रुपये की लागत से किसान मण्डी बनाई गई है । मण्डी टिन से छाकर तैयार है । मण्डी का आवंटन किसानों को नहीं किया गया है न मण्डी में किसान अपनी दुकान रख रहा है जिसके कारण उसका टिन तोड़ा जा रहा है । उस मण्डी में जानवर रह रहे हैं, किसान लोग अपनी दुकान को भीटी बाजार में सड़कों पर रख कर सामान बेंच रहे हैं जिसके कारण आवागमन बाधित रहता है और किसान मंडी को राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं किसान मंडी भीटी जो लगभग 7 वर्ष से बेकार पड़ी है उसमें किसानों की दुकान रखवाने का कष्ट करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मुरादाबाद में डींगरपुर पाकवाड़ा मार्ग को चौड़ा किये जाने के संबंधा में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अकबर हुसैन–

[जनपद-मुरादाबाद के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र कुन्दरकी में डींगरपुर-पाकवाड़ा मार्ग जो दिल्ली आंवला (इफ्को प्लान्ट) से आकर बरेली को जाता है । उक्त दर्शाया गया मार्ग अत्यन्त छोटा है, इस मार्ग से होकर हल्के व भारी वाहन आते जाते हैं । उक्त मार्ग को गत वर्ष लगभग 12 किमी० चौड़ा किया गया है यदि यह मार्ग जो कि लगभग 20 कि०मी० है का शेष 8 किमी० का मार्ग चौड़ा कर दिया जाय तो जनहित में आवागमन की सुविधा तो होगी और मुरादाबाद बाईपास की भी समस्या कुछ हद तक हल हो जायेगी ।

अतः मैं जनहित में उक्त मार्ग को चौड़ा किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।]

जनपद इटावा में बीहड़ सुधार योजना ऊसर सुधार योजना तथा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों में बरती गई अनियमितता क जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिवपाल सिंह यादव–

[मैं आपका ध्यान जनपद इटावा में बीहड़ सुधार योजना व ऊसर सुधार योजना व भूमि संरक्षण विभाग द्वारा मानकों व नियमों के अनुसार श्रमिकों से कार्य न कराने से श्रमिक भूखों मरने के कगार पर पहुंच गये हैं । उक्त योजनाओं में गुणात्मक रूप से कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 1998-99 में व विगत वर्षों में भी सीधे ट्रैक्टरों व मशीनों से कार्य कराया गया है तथा फर्जी मानव दिवस सृजित करने का रिकार्ड तैयार किया जबकि भौतिक रूप से श्रमिकों से कार्य नहीं कराया जा रहा है जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार तो हैं ही साथ ही भुखमरी की समस्या से पीड़ित हैं । इन योजनाओं ब्लाक जसवंतनगर, क्षेत्र जसवंतनगर, इटावा में खासतौर से साउथ बिशुन (तिजौरा) न सल्बहदी, न० रामसुन्दर, सिरसा, बीवामऊ, पीहनपुर, सरामई में काफी वित्तीय घपले कर सरकारी धन की लूट की गयी है ।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं उच्चस्तरीय जांच करवाने तथा दोषियों को दण्डित करने की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर में डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

[आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी मछलीशहर तहसील जनपद जौनपुर मुख्यालय पर डिग्री कलेज की स्थापना नहीं हो पाई है जिससे इस ग्रामीण इलाके के गरीब छात्र तथा छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, गरीब छात्र तथा छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये तहसील मुख्यालय पर एक सरकारी डिग्री कालेज की नितान्त आवश्यकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस सदन के माध्यम से मछलीशहर तहसील मुख्यालय पर एक सरकारी डिग्री कालेज खोलने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर में तैनात थानाध्यक्ष की गतिविधियों की जांचकर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रिफाकत हुसैन चौधरी–

[महोदय, जिला मुरादाबाद में थाना–भगतपुर के थानाध्यक्ष श्री चन्द्रपाल ने अपनी गतिविधियों से अंधाधुन्ध रुपया कमाने, असमाजिक तत्वों को शरण देने और राजनैतिक दबाव एवं गैर कानूनी तौर से धन कमाने के लिये आजकल चर्चित है। इन्होंने गतिविधियों में थाने के एस० आई०, श्री राजेन्द्र सिंह यादव व सिपाही राजेन्द्र सिंह यादव व सिपाही श्री राजेन्द्र सिंह राठी को भी बराबर का हिस्सेदार बना रखा है और इन तीनों से मिलकर भ्रष्टाचार का ऐसा (रावण) क्षेत्र में खड़ा कर दिया है जिससे अशान्ति, भय व रोष क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र में रोष व्याप्त है। तो जनता की अनेकों शिकायतों पर भी आज तक थानाध्यक्ष व उनके सहयोगियों के विरुद्ध न तो कोई जांच हुई और न ही कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध की गई है। मान्यवर, सरकार के भयमुक्त समाज का एक उदाहरण सामने रखना चाहता हूं।

दिनांक 9-5-98 को एक व्यक्ति "बाबर" के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक हमला किया। जिसकी रिपोर्ट थाना–भगतपुर में मु०अ०सं०–156/98 अन्तर्गत धारा–147/148/149/307 आई० पी० सी० दर्ज हुई परन्तु अपराधियों द्वारा थानाध्यक्ष को भारी भेंट देने के फलस्वरूप और साजिश करके चन्द घंटों के भीतर ही जवाबी कार्यवाही में एक झूठा व फर्जी मुकदमा अ० सं० 156ए/98 अन्तर्गत धारा 279/337/429/147/504/506 आ० आई० पी० सी० थाना भगतपुर में क्षेत्र के सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विरुद्ध मुर्गी का एक्सीडेन्ट का दर्ज करा दिया गया और जब मुर्गी का पोस्टमार्टम हुआ तो वह कथित घटना के कई घंटों पहले मृत पायी गयी। दूसरी तरफ पुलिस ने अपराधियों से मिलकर उनकी मदद हेतु पहले मुकदमें में धारा 307 आई० पी० सी० समाप्त कर दी। बाद वाले फर्जी मुकदमें में भले, शरीफ और बेगुनाह लोगों के यहां पुलिस ने दबिश डाली और अभद्र व्यवहार किया। उच्चाधिकारियों से बार-बार शिकायतें करने पर भी आज तक उक्त थानाध्यक्ष व उसके सहयोगियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, इसी माह थाना भगतपुर के अन्तर्गत पुलिस द्वारा प्रतिदिन जनता के मान, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लाखों क्षेत्रवासियों में अत्यन्त रोष व्याप्त है तथा स्थिति विस्फोटक हो चुकी है।

अतः मैं इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के ग्राम सरोसा के ग्राम प्रधान द्वारा मिट्टी के तेल एवं चीनी वितरण में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रमेश राही–

[मान्यवर, जनपद-सीतापुर के ग्राम सरोसा, न्याय पंचायत-लिलसी गारा विकास खण्ड-पिसांवा, तहसील मिश्रिख के ग्राम प्रधान द्वारा आज तक मिट्टी का तेल व चीन के वितरण में काफी अनियमितता की जाती है। ज्यादातर यह कोटा को ब्लैक कर लेते हैं और ग्रामवासियों को नहीं देते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के लिये सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नव-सृजित जनपद हरिद्वार में राजकीय चिकित्सालय की स्थापना एवं डाक्टरों के कतिपय पद सृजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अम्बरीष कुमार–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद का सृजन वर्ष 1988 में हो गया था, परन्तु जिला चिकित्सालय के रूप में प्रयोग में आ रहे हर मिलाप राजकीय सामान्य रोग चिकित्सालय में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद सृजित नहीं किये गये ।

हरिद्वार प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है । वर्ष भर मेले चलते रहते हैं । अतएव दुर्घटना भी सामान्य बात है ।

अतः अविलम्ब सामान्य चिकित्सकों के साथ-साथ आर्थोपेडिक सर्जन, पैथोलाजिस्ट, बालरोग, हृदयरोग विशेषज्ञ तथा आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद सृजित होने आवश्यक है ।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है अतएव तत्काल शासन का ध्यान आकृष्ट करायें ।]

जनपद आजमगढ़ मुख्यालय को टांस नदी की बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु बनाये गये बन्धे की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, इस विषय के सन्दर्भ में बताना है कि आजमगढ़ जनपद का मुख्यालय जो तीन तरफ से टांस नदी से घिरा हुआ है, सम्प्रति बाढ़ की विभिषिका से बंधे के टूटने का खतरा बना हुआ है, बन्धा कभी भी टूट सकता है । विगत कई वर्षों से बन्धे की मरम्मत नहीं हुई है । मरम्मत के नाम पर जो बजट दिया जाता है । वह उसका उपयोग न करके अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता है । बन्धा काटकर लोगों द्वारा मकान बना लिया गया है । जिससे बन्धा कमजोर हो गया है । इस तरह से अवैध कब्जे हटाकर बन्धे के मरम्मत की तुरन्त आवश्यकता है । यह भी बताना है कि बन्धे के किनारे जो बाढ़ पम्पिंग स्टेशन बने हैं सभी खराब पड़े हैं । शहर के अन्दर का पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है । जिसे शहर के मुहल्ले हरवंशपुर दैदोपुर, मड़या, मुलामीपुरा, रहमतनगर आदि में पानी भरा रहता है । जिसे लोगों का जीना दूभर हो गया है ।

टांस नदी की बाढ़ से कुछ गांव बहुत ही ज्यादा प्रभावित है फसले नष्ट हो रही हैं । पूरब पट्टी, चकिया दूबे रामपुर अरैया वनहरा, कोल्ह, चौहानबस्ती, शिवराजपुर, मदारपुर, तिमोहानी, गेगपुर, आइमाचक बुद्धान, जहांगीरपुर, शिब्ती, एक रामपुर बाग लतराव, हरैया, हथिया, भोजरापुर, ककरहटा एवं कोल्ह आदि गांव बाढ़ की तबाही से ग्रस्त है । सिलनी नदी के बाढ़ से कई गांव प्रभावित है । बडसरा, आइमा, गौरा वनकटा, विसौली, दूधनारा, गमासपुर, मातनपुर एवं मुजफ्फरपुर आदि गांवों में बाढ़ से तबाही मची हुई है । आजमपुर नाला, कोठिहार,नाला, मदसिया नाला, बैरमपुर नाला सभी पूर्ण रूप से पट गये हैं । जिनकी खोदाई कराना अत्यन्त आवश्यक है । तभी बाढ़ का प्रभाव कम किया जा सकता है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्रालय में न्यायालय के आदेशानुसार अधिशासी अभियन्ता के पद को पुनर्जीवित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नीरज चतुर्वेदी–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में प्रदेश के लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं कि लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्रालय के अन्तर्गत भू-गर्भ जल विभाग में 3 अधीक्षण अभियन्ता 30 जून,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

1998 तक कार्यरत थे । भू-गर्भ जल विभाग के निदेशक जो मंडल–2, इलाहाबाद के अधीक्षण अभियन्ता भी थे दिनांक 30-6-98 से सेवा निवृत्त हो चुके हैं । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंड पीठ लखनऊ द्वारा यह आदेश पारित किये गये थे जैसे ही अधीक्षण अभियन्ता मंडल–2 इलाहाबाद पद रिक्त होगा वैसे ही अधीक्षण अभियन्ता यात्रिंकी लखनऊ अधिशासी अभियन्ता भू-भाग जल अन्वेषणात्मक छिद्रण खंड प्रथम लखनऊ के पद पर परिवर्तित कर अधिशासी अभियन्ता के पद को पुर्नजीवित कर दिया जाये । परन्तु न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है जबकि इलाहाबाद के अधीक्षण अभियन्ता का पद 30 जून, 1998 से रिक्त है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित कृषकों हेतु नलकूप निर्माण की योजना का समुचित ढंग से क्रियान्वयन हो सकें ।]

जनपद सीतापुर के ग्राम सरोसा के ग्राम प्रधान द्वारा मत्स्य पालन हेतु आवंटित पट्टों में अनियमितायें किये जाने की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जटा शंकर–

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के ग्राम सरोसा न्याय पंचायत लिल्सी गोरा विकास खंड-पिसांवा तहसील मिश्रिख की ग्राम प्रधान श्रीमती रामपती द्वारा न्याय पंचायत के बाहर दबंग लोगों को मत्स्य पालन हेतु तालबों के पट्टों का आवंटन किया है जब कि ग्राम में इसके लिये पात्र लोग थे । ग्राम सभा के मछुआ समुदाय के लोगों ने इसके लिये प्रयास भी किया परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा भारी मात्रा में कमीशन ली गई है ।

अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी जांचा कराकर कार्यवाही करने की कृपा करें ।]

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम कुमाल्ट निवासिनी श्रीमती कुसुमा देवी को विधवा पेंशन दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुराद लारी–

[महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना नियम 301 के अन्तर्गत देना चाहता हूं । ग्राम कुमाल्ट पो० कपड़ा तहसील रानीखेत ब्लाक दोराघाट जिला अल्मोड़ा में निवासी स्व० श्री कुन्दन लाल का देहान्त 1995 मेंहो गया । उनकी पत्नी श्रीमती कुसुमा देवी जोनिर्धन निःसंतान अनुसूचित जाति की विधवा है । इनका कोई सहारा नहीं है । मेहनत करके जीवन यापन कर रही हैं । 1995 से कुसमा देवी विधवां पेंशन हेतु सभी स्तर पर लगातार निवेदन करती आ रही है जबकि अनौपचारिकतायें ग्राम प्रधान तथा पटवारी के द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है । किन्तु आज तक उक्त विधवां को पेंशन सुविधा नहीं मिल पाई हैं । जबकि विधवां पेंशन हेतु श्रीमती कुसुमा देवी सभी शर्तें पूर्ण करती हैं । पूर्णतया यह सरकार के नीतियों तथा नियमों का उल्लंघन करता है ।

अतः मैं चाहूंगा कि श्रीमती कुसमा देवी को तत्काल विधवां पेंशन दिलाने के आदेश संबंधित अधिकारी को यह सदन देने की कृपा करें । यह सूचना सदन को नियम 301 के अन्तर्गत दे रहा हूं ताकि यह सदन सही निर्णय ले सकें, तथा एक विधवां का जीवन यापन हेतु पेंशन स्वीकृति की संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें । ताकि एक अनुसूचित जाति की विधवा के साथ न्याय हो सकें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उन्नाव में निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय स्टोर द्वारा सामग्री आपूर्ति में की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुरील–

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में एक लोक महत्व की अति महत्वपूर्ण सूचना नियम 301 के अन्तर्गत लाना चाहता हूं जिससे निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग, उन्नाव में मई, 1997 से अप्रैल, 1998 तक केन्द्रीय स्टोर के माध्यम से प्रतिमाह लाखों रुपयों का आपूर्ति आदेशों का भुगतान किया गया यह भुगतान केवल कुछ ठेकेदारों से व्यक्तिगत नोटेशन लेकर आपूर्ति आदेश दिये गये और स्टोर में बिना सामग्री लिये हुये ही भुगतान कर दिया गया क्योंकि जितनी आपूर्ति उक्त समय में कैशबुक के अनुसार दिखाई जा रही है उतनी सामग्री को रखने के लिये स्टोर में पर्याप्त जगह नहीं है एवं न किये गये कार्यों के विरुद्ध उतनी सामग्री की ही आवश्यकता थी एवं जब हर माह में लाखों रुपयों की सामग्री की आवश्यकता थी तो उन्हीं कार्यों के संबंध में निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया । लाखों रुपयों के धन की हेराफेरी का मामला है ।

इस संबंध में नियम 301 के माध्यम से लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मामले में जांच के आदेश दिये जायें एवं उसमें जनप्रतिनिधि भी जांच कमेटी का एक हिस्सा हों जिससे कोई भी तथ्य छुपाया ना जा सके ।]

जनपद फतेहपुर के ब्लाक भिटौरा में पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राघवेन्द्र द्विवेदी के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुरलीधर–

[महोदय, जनपद फतेहपुर में श्री राघवेन्द्र द्विवेदी ब्लाक भिटौरा में पंचायत अधिकारी पद पर कर्मठता एवं ईमानदारी से सेवारत थे । जिनका कार्य व्यवहार जनता के प्रति समर्पित था । जनता इनके कार्यों से संतुष्ट थी । दिनांक 28 मई, 1998 को अपने निवास–50 नम्बर गेट शहर फतेहपुर से कार्य स्थल खण्ड विकास मुख्यालय भिटौरा जा रहे थे । रास्ते में कुछ अराजक तत्वों ने पकड़ कर अपहरण कर लिया । जिनका अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है । श्री राघवेन्द्र द्विवेदी जी की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक फतेहपुर से अपहरणकर्ताओं के नाम की जानकारी दिया । पत्रकारों को भी उक्त जानकारी दिया । लेकिन फतेहपुर पुलिस आज तक मुल्जिमानों को पकड़ नहीं रही है । इस काण्ड से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है जिससे जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं ।

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि लोक महत्व के इस विषय की ग्राह्यता को सुनकर चर्चा कराने की कृपा करें । जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके एवं मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हो सके ।]

जनपद रायबरेली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फुरसतगंज में कार्यरत प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितता तथा कर्मचारियों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मस्तराम–

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना नियम 301 के अन्तर्गत लाना चाहता हूं । प्रा० स्वा० केन्द्र फुरसतगंज, जनपद–रायबरेली में कार्यरत प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० बी० एस० तोमर द्वारा अनेक अनियमितताओं/वित्तीय अनियमितता/सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निम्न प्रकार है। डा० तोमर द्वारा एक रुपये प्रति पर्चा एवं 3 से 10 रुपया इंजेक्शन लगाने का मरीज से वसूलते हैं, जबकि यह सब फ्री मिलता है। डा० तोमर दिनांक 13 मार्च, 1997 से 27 मार्च तक एल० टी० सी० पर रहे, एल० टी० सी० में इन्हें बाहर जाना था, परन्तु एल० टी० सी० की अवधि में ओ०पी०डी० देखी, मेडिकल लीगल केस भी देखें, तथा कैश बुक पर हस्ताक्षर कर बैंक से पैसा भी आहरित किया।

जबकि एल० टी० सी० की धनराशि हड़पकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई। यहीं नहीं स्टाफ में कार्यरत कर्मचारियों से 200 से 400 रुपये प्रति माह लेते हैं, जो कर्मचारी नहीं देते हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगकर परेशान करते हैं, उक्त डा० के उत्पीड़न के विरुद्ध श्रीमती वीना श्रीवास्तव, बी० एच० डब्लू० ने तत्कालीन मुख्य मंत्री से शिकायत की जिसके संदर्भ में मुख्य मंत्री के सचिव कुंवर फतेहबहादुर ने प्रमुख सचिव चिकित्सा को जांचकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र दिनांक 21-7-97 एवं पत्रांक 3843 लो० मि०–3/97, दिनांक 15-9-97 को आदेश दिये जिससे जांच में जांच अधिकारी को पैसा देकर अपने फेवर में जांच करा ली।

इस संबंध में नियम 301 के माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट चिकित्साधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित कर जांच कराकर उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने की कृपा करें।]

वर्ष 1996-97 को जनपद हमीरपुर को बुन्देलखण्ड विकास निधि को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामाधार सिंह–

[महोदय, जिला हमीरपुर की वर्ष 96-97 की बुन्देलखण्ड की धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है जबकि योजनायें स्वीकृत हैं लेकिन धन उपलब्ध न होने से योजनाओं का कार्य शुरू नहीं हो रहा है। जिससे विकास कार्य करवाने में विवशता है तथा जनता को विशेष मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य को धन तुरन्त देने के निर्देश देने की कृपा की जाये।]

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत कतिपय स्वीकृत मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अरिमर्दन सिंह–

[महोदय, राठ विधान सभा क्षेत्र जिला हमीरपुर क्षेत्र बंगरा से जिगनी 4 कि० मी० एवं राम चन्डौत मार्ग शेष भाग एक कि० मी० तथा सरीला से 4 कि० मी० का धन 1996-97 में आवंटित हो चुका है। परन्तु अभी तक उपरोक्त सम्पर्क मार्ग में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

गांव के लोगों के आने-जाने में भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण जानबूझकर लापरवाही करके गांवों का विकास अवरुद्ध करना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः कृपया अविलम्बनीय उपरोक्त मार्गों पर कार्य कराने का कष्ट करें ।]

आगरा महानगर स्थिति स्वामी बाग एवं दयालबाग नगर पंचायत को नगर महापालिका आगरा में सम्मिलित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*सेठ किशन लाल बघेल–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद आगरा में स्वामीबाग व दयालबाग नगर पंचायत को महानगर पालिका आगरा में सम्मिलित किये जाने हेतु सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । उपरोक्त प्रकरण पर परगनाधिकारी आगरा से इसकी जांच कराई गई । जांच की विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 20-4-89 को आयुक्त आगरा मण्डल आगरा द्वारा सचिव, आवास एवं नगर विकास लखनऊ को पत्रांक 3367/इक्कीस (3)/88-89 को भेजा गया । इस रिपोर्ट में दयालबाग समिति भंग करके आगरा नगर महापालिका सीमा क्षेत्र में विलय की सिफारिश की गई थी ।

विशेष सचिव श्री आर० सी० श्रीवास्तवके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 131ए/9-7-91/ए/89 दिनांक 1991 के क्रम में मुख्य नगर अधिकारी आगरा ने दिनांक 26-6-91 को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुये लिखा कि स्वामीबाग दयालबाग बिल्कुल शहर के अन्दर स्थिति है और चारों ओर नगरपालिका सीमा लगी हुई है अतएव इसको टाउन एरिया के रूप में रहने का कोई औचित्य नहीं है ।

दिनांक 29 अगस्त, 1990 को संयुक्त सचिव नगर विकास के अ० शा० प० सं० 1528ए/11-11-7-90-89 द्वारा तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी को संबोधित किया गया कि आगरा स्थिति टाउन एरिया स्वामीबाग तथा दयालबाग को नगर महापालिका आगरा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विभिन्न स्तर से प्राप्त हुये हैं, सदस्य राजस्व परिषद् ने भी उक्त टाउन एरियों को नगर महापालिका आगरा में सम्मिलित करने की संस्तुति की है । कृपया प्राथमिकता के आधार पर स्पष्ट आख्या/संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें । मुख्य नगर अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रस्ताव/संस्तुति शासन को तत्काल भेजी गई :–

सम्पूर्ण नगर के समुचित एवं समस्त विकास हेतु पर्यटकों की असुविधा से बचाने के लिये एवं नागरिकों को समस्त नागरिक सुविधा उपलब्ध करायी जा सकें इस हेतु यह आवश्यक है कि दोहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था समाप्त कर दयालबाग एवं स्वामीबाग टाउन एरिया को नगरपालिका आगरा के अन्तर्गत समायोजित किया जाये ।

अतः माननीय महोदय मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि समस्त औपचारिकतायें एवं विभिन्न उच्च अधिकारियों की संस्तुति पूर्ण हो चुकी है, के आधार पर तात्कालिक प्रभाव से स्वामीबाग एवं दयालबाग नगर पंचायत को नगर महापालिका आगरा में सम्मिलित करने के निर्देश शासन को देने की कृपा करें ।]

प्रदेश में भूमि अर्जन कार्य की समीक्षा हेतु प्रत्येक विशेष भूमि अभ्याप्ति अधिकारी को इकाई में सेक्शनिफिक के स्थान पर सेक्शकार का पद सृजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विभूति प्रसाद निषाद–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राजस्व परिषद् के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–5956/10(भू०अ०)/30/84, दिनांक 20 नवम्बर, 1984 एवं पत्र संख्या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

5955/10 (भू०अ०)/30/84 दिनांक 20 नवम्बर, 1984 पर दिनांक 10-7-1985 को प्रदेश के भूमि अर्जन कार्य की प्रगति की समीक्षा के संबंध में समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारियों एवं अध्याप्त निकायों की मा० राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई । इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की इकाई में एक नायब तहसीलदार एवं एक लेखाकार के पदों का सृजन अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि एक इकाई में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक प्रतिकर की धनराशि का भुगतान होता है ।

अतः अभिलेखों के रख-रखाव एवं अभिनिर्णय को दोहरी जांच के लिये एक अधिकारी का होना अत्यन्त आवश्यक है । तत्कालीन राजस्व मंत्री ने बैठक में कहा था कि कार्य में गतिशीलता लाये जाने की दृष्टि से प्रत्येक इकाई में एक नायब तहसीलदार व एक लेखाकार उपलब्ध कराये जाने का निर्णय ले लिया गया है । शासनादेश शीघ्र ही जारी होगा । विशेष वेतन 100/- बढ़ाकर 150/–कर दिया गया है । मान्यवर, दिनांक 20 सितम्बर, 1985 को शासनादेश संख्या 6/(3)(3)/85-111अरा०-13 जो इस संबंध में जारी हुआ तो उसमें नायब तहसीलदार का पद तो रखा गया परन्तु लेखाकार के स्थान पर लेखालिपिक कर दिया गया । इस प्रकार से उक्त बैठक में निर्णय लिये गये निर्णय की अवहेलना की गई ।

अतः मेरा मा० महोदय से अनुरोध है कि प्रदेश की भूमि अध्याप्ति इकाइयों में लेखालिपिक के स्थान पर लेखाकार पद नाम देते हुये समस्त लाभ दिये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह उक्त शासनादेश को निरस्त करते हुये दूसरा शासनादेश जारी करें जिसमें लेखाकार का पद नाम दिया जाय ।]

जनपद कानपुर देहात के ग्राम वैरीसाल में स्थित महर्षि यमदग्नि के पौराणिक आश्रम तथा शिव मन्दिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सड़क बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लालमणि प्रसाद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में जनपद कानपुर देहात से संबंधित एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण को लाते हुये शासन से त्वरित कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं । जनपद कानपुर देहात की नवनिर्मित तहसील रसूलाबाग के अन्तर्गत ग्राम वैरीसाल जो कि उसकी मकनपुर रोड पर पड़ता है, में स्थित महर्षि यमदग्नि के पौराणिक आश्रम तथा शिव मंदिर जहां महा शिवरात्रि के पर्व पर विशाल मेला लगने के साथ-साथ अनेकों गणमान्य व प्रतिष्ठित लोगों के साथ शासन के श्रृद्धालु मंत्री गण आते हैं, की दुर्व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं उक्त पौराणिक मंदिर तथा आश्रम का आस्तिकों में विशेष महत्व है और इस धार्मिक स्थल तक पहुंचाने के लिये कोई सम्पर्क मार्ग इत्यादि आजादी से अब तक 50 वर्षों में भी नहीं बन सका है । अतः धर्मावलम्बियों को खेती के बीच से जीव जन्तुओं से स्वयं को बचाते हुये काफी दिक्कत से मन्दिर आना पड़ता है । यदि उक्त धार्मिक स्थल के लिये एक खड़न्जा मार्ग ग्राम जोत अथवा ग्राम वेरीसाल से सीधा 500 मीटर का बना दिया जाए तो यह धार्मिक स्थल एक पौराणिक व उत्कृष्ट स्थल बन सकता है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से यह मांग करता हूं कि उक्त महर्षि यमदग्नि आश्रम (वेरीसाल) का ग्राम वेरीसाल तथा ग्राम जोत से सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में राज्य अथवा जिला सेक्टर से धन आवंटित करने का तथा उक्त मन्दिर को एक पौराणिक पर्यटक स्थल घोषित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करने की कृपा की जाय । साथ ही उक्त मंदिर के पास स्थित बरसाती नाले पर वेरीसाल के समीप एक पक्का पुल निर्मित करा दिये जाने के संबंध में शासन को निर्देशित कराने का कष्ट करें ।]

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर स्थित कर्वी कोतवाली में कार्यरत निरीक्षक श्री मदन सिंह द्वारा श्री राम सिंह की हत्या कर दिये जाने के कारण जांच एवं अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ददूू प्रसाद–

[महोदय, दिनांक 1-7-98 को रात्रि में लगभग 10.00 बजे मुकाम कालू कुवां वादा स्थित श्री चन्द्रभान सिंह के निवास से श्री राम किशोर पुत्र नन्हा निवासी ग्राम कछेटा माफी थाना पहाड़ी जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को, निरीक्षक मदन सिंह, कोतवाली कर्वी, जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, जबरिया पकड़कर ले गया । श्री राम किशोर के पास तीस हजार रुपया नगद था । इस घटना की मुकाम कालू कुवां वादा के तमाम लोगों ने देखा है । श्री मदन सिंह के साथ में पुलिस स्टाफ भी था ।

मदन सिंह ने राम किशोर को मारा पीटा तथा कर्वी कोतवाली में बन्द किये रहा । परन्तु कर्वी कोतवाली से राम किशोर लापता कर दिया गया या उससे तीस हजार रुपया छीनकर मदन सिंह ने जान से मार दिया । इस विषय को मैंने व माननीय विधायक श्री आर० के० पटेल ने दिनांक 16-7-98 को नियम 56 की सूचना के तहत विधान सभा में उठाया तो मदन सिंह ने मुझे भी देख लेने की धमकी टेलीफोन पर दी है । श्री राम किशोर निर्दोष व्यक्ति था । उसके विरुद्ध किसी धारा में कोई मामला नहीं था । अतः इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर श्री मदन सिंह के विरुद्ध अपहरण डकैती व हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाये तथा मदन सिंह का स्थानान्तरण कहीं दूरस्थ जगह पर कर दिया जाय ताकि वह विवेचना को प्रभावित न कर सकें । लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुये तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद छत्रपति शाहूजी नगर में ग्रामीण भूमि अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की गई धांधली की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय कुमार–

[महोदय, जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग बांदा का वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा से निम्नानुसार धन अवमुक्त किया गया था ।

1–क्षेत्र पहाड़ी मे कर्वी पहाड़ी मार्ग से चक जाफर भुहरी, इटौरा होते हुये कंपनी सम्पर्क मार्ग के लिये 10 लाख रुपया (II) गनीवा फामैग्से व्यास वन्ना सम्पर्क मार्ग को छः लाख रुपये (III) अगरहुण्डा से नहरा सामपुर सम्पर्क मार्ग को सात लाख पचास हजार रु० (IV) देवकली से वचवारा सम्पर्क मार्ग को दो लाख रुपया ।

2–क्षेत्र राम नगर में (I) राजापुर मार्ग से पियरिया मावली सम्पर्क मार्ग को एक लाख रुपया (II) राजापुर मार्ग से घुरेहटा सम्पर्क मार्ग के लिये तीन लाख रुपया (III) हन्ना मार्ग के चक भडेसर सम्पर्क मार्ग को तीन लाख रुपया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3–क्षेत्र मऊ से (I) पश्चिम पताई से कोटरा खम्भा सम्पर्क मार्ग को आठ लाख रुपये (II) छिवलहा से भिटारी सम्पर्क मार्ग तीन लाख रुपया। (III) वरगढ़ से सेमरा सम्पर्क मार्ग दो लाख रुपये (4) चचोखर करे टवकर माफी होते हुये कटैया डांडी सम्पर्क मार्ग तीन लाख रुपये (5) मऊ ओझर मार्ग को एक लाख रुपया उपरोक्त में क्रम संख्या 3 (II) में वर्ष 1997-98 में भी सु०रो० बोज 9 से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण छत्रपति शाहूजी महाराजनगर से छः लाख रुपये और अवमुक्त किये गये हैं। परन्तु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से संबंधित अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के भ्रष्टाचार तथा कमीशन खोरी के कारण अवमुक्त किये धन के सापेक्ष निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है। आहरित धन का खुले आम दुरुपयोग किया गया है। मजदूरों को उचित दर से मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। मात्र पैंतीस रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी गई है।

मस्टर रोल रजिस्टर में फर्जी लोगों के नाम भर रखे गये हैं तमाम मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है तथा मस्टर रोल रजिस्टर पर फर्जी हस्ताक्षर तथा फर्जी अगूंठा निशान लगाये गये हैं। पुलिया निर्माण में सीमेन्ट व बालू का अनुपात 1 : 16 रखा गया है तथा सड़क निर्माण में निर्धारित मानक के अनुसार गिट्टी नहीं डाली गई तथा गिट्टी की कुटाई व तराई नहीं की गई। लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः उपरोक्त सभी निर्माण कार्यों को टी० ए० सी० से जांच करवाकर दोषी अधिकारियों से दुरुपयोग किये धन की वसूली करवाने में दण्डात्मक कार्यवाही करवाने हेतु शासन का ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें।]

लखनऊ स्थिति आवास विकास परिषद् की कालोनी राजाजीपुरम् सेक्टर–II में अतिक्रमण हटाकर सड़कें एवं नालियां बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद् कालोनी राजाजीपुरम् सेक्टर II में अन्दर की 6 मीटर चौड़ी सड़कें और नालियां ध्वस्त पड़ी हैं। जिससे काफी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और आवागमन बाधित हो गया है। दूसरी ओर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह स्थिति काफी भयावह हो गई है। लगभग 150 मकान इस असुविधा से ग्रस्त हो गये हैं।

कतिपय लोगों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करके मकान और बाउन्ड्रीवाल बनवा ली गई है। जिससे सड़कें तंग हो गई है।

अतः वर्णित परिस्थितियों में श्रीमान जी से निवेदन है कि कृपया उक्त क्षेत्र की सड़कें और नालियां बनवाने और अतिक्रमण को भी हटवाने की कार्यवाही हेतु तत्काल निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने की कृपा करें।]

जनपद फैजाबाद स्थित कुमारगंज में 132 के०वी०ए० विद्युत सब स्टेशन के अधूरे निर्माण को पूरा कराकर चालू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामचन्द्र यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० विद्युत मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद के कुमारगंज नामक स्थान (तहसील मिल्कीपुर) पर वर्ष 1989 से 132 के०वी०ए० विद्युत सब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्टेशन निर्माणाधीन है और उक्त पर लगभग रुपये एक करोड़ बीस लाख का व्यय भी हो चुका है परन्तु अधिकारियों की उदासीनता एवं सुचारु रूप से कार्य न पूर्ण करने के कारण उक्त सब स्टेशन अधूरा पड़ा हुआ है जिससे कि इतना धन व्यय होने के बाद भी पूरे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था दयनीय हालत में है।

उल्लेखनीय यह भी है कि उक्त सब स्टेशन के समीप ही नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। जो कि विद्युत समस्या से ग्रस्त रहता है जिसके कारण विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत मुसाफिर खाना एवं बी०एच०ए०एल० में वर्तमान में कार्य कर रहे विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य उक्त सब स्टेशन के बाद प्रारम्भ हुआ था और वे विगत पांच वर्षों से कार्य भी कर रहे हैं। परन्तु इस सब स्टेशन का निर्माण ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जोकि खेदजनक है और क्षेत्रीय जनता के साथ अन्याय है।

अतः मैं मा० विद्युत मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विद्युत सब स्टेशन को पूरा करने की निश्चित अवधि निर्धारित करके उसे ऊर्जीकृत कराने का कष्ट करें जिससे कि विश्वविद्यालय/जनता की विद्युत समस्या का समाधान हो सके।]

श्री गंगाराम निवासी बगिया मुंशीगंज, डालीगंज, लखनऊ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री छोटेलाल–

[मा० अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्री गंगाराम पुत्र स्व० श्री सरजू प्रसाद जो बगिया मुंशीगंज, डालीगंज लखनऊ के निवासी हैं। उनकी दादी स्व० श्रीमती प्रभु देई, पत्नी स्व० रामपत नेता ने एक जमीन भवन संख्या 494/9सी 43 सराय हसनगंज डालीगंज को श्री गंगाराम व उनके भाइयों के नाम रजिस्ट्री की थी, जिस पर उनका स्वामित्व आज भी है। किन्तु उनके पड़ोस में रहने वाले जय प्रकाश उर्फ छोटू महेश उर्फ मुन्नी दरोगा पुत्रगण भगवान वरन उक्त भवन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और गंगाराम के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जिसकी सूचना मैंने मुख्यमंत्री को 17-10-97 को दी थी जिस पर जांच करे आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को दिया गया था। उक्त प्रकरण पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उक्त प्रकरण को संज्ञान में लाते हुये आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में उचित निर्देश देने का कष्ट करें।]

आगरा महानगर के आस-पास जिलों में कतिपय उद्योगों को प्रदूषण के कारण बन्द किये जाने से बेरोजगार हुये मजदूरों की रोजी-रोटी की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजयपाल सिंह–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी जिले जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा प्रान्तों की सीमा से लगे जिले हैं उन जिलों में पुरातत्व, तीर्थस्थल, धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्थलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण से बचाये जाने हेतु अपने निर्णय में उन सभी छोटे उद्योगों, जो कि गैस व धुआं रहित उद्योग हैं, को प्रतिबन्धित कर दिया है। आगरा में ताजमहल, सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जन्मभूमि मथुरा घना पक्षी बिहार भरतपुर आदि से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं अलीगढ़ का कुछ भाग प्रभावित हुआ है। सुनने में आया है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बटेश्वर तीर्थ स्थल को भी उसी प्रतिबन्धित परिधि में शामिल कर लिया है। उपरोक्त प्रतिबन्धित से उक्त जिलों में लाखों की संख्या में मजदूर जो कि रोज कमाने खाने वाले थे, उनकी रोजी-रोटी छिन गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हम आदर करते हैं लेकिन एक कल्याणकारी राज्य का अपने नागरिकों का कल्याण एक अहम् जिम्मेदारी होती है। आज शासन की हीला हवाली से आगरा का ढलाई उद्योग एवं ईंट भट्ठा उद्योग तथा छोटे लघु उद्योगों में लाखों की संख्या में वे परिवार कार्यरत थे, जोकि भूमिहीन मजदूर की श्रेणी में आते हैं और दैनिक मजदूरी के आधार पर अपनी दो वक्त की रोजी-रोटी जुटाते हैं। जिनके पास रहने को मकान नहीं, एक मात्र जीविकोपार्जन का साधन ढलाई मजदूरी एवं ईंट भट्ठा उद्योग तथा वे लघु उद्योग थे जिनसे वे अपना पालन पोषण करते थे। पर्यावरण की रक्षा हो, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हो, लेकिन मजदूर को दो जून की रोटी की भी वैकल्पिक व्यवस्था हो।

आगरा जनपद से जुड़ा फिरोजाबाद जनपद है जो पूर्व में आगरा का ही अंग था। फिरोजाबाद विश्व के मानचित्र पर सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में बहन बेटी के सुहाग की चूड़ी का निर्माण तो होता ही है। साथ में कांच उद्योग के लिये भी फिरोजाबाद विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कांच को गलाकर चूड़ी का निर्माण से लेकर हाथ में पहनने तक की प्रक्रिया पूरी तरह माननीय श्रम मैनुअल प्रोसेस पर आधारित है। आज पर्यावरण की आड़ में फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग एवं कांच उद्योग पूरी तरह बरबाद हो रहा है। मजदूर भुखमरी के कगार पर बैठा है।

फिरोजाबाद में लाखों स्त्री पुरुष और बच्चे जो चूड़ी के कार्य में लगे हुये थे, रोजी रोटी छिन जाने के कारण अपने आपको असहाय एवं मोहताज समझ रहे हैं। इसी तरह अलीगढ़ जनपद का वह भाग जो मथुरा एवं आगरा जनपद से सटा हुआ है, वह भी प्रतिबन्धित परिधि में आता है। अलीगढ़ जनपद में भी ईंट भट्ठा उद्योग एवं अन्य लघु उद्योग पूरी तरह से प्रतिबन्धित है। इस तरह से आगरा फिरोजाबाद, मथुरा एवं अलीगढ़ का कुछ भाग जो प्रतिबन्धित परिधि में आता है, के मजदूर भुखमरी के शिकार हैं।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बेरोजगार मजदूरों, जो कि दैनिक मजदूरी से अपनी दो जून की रोटी जुटाते हैं, उनको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा करता हूं जिससे समाज का बहुसंख्यक मजदूर वर्ग भुखमरी से बच सके।]

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) एवं राज्य नियोजन संस्थान में जातिवाद एवं नियुक्ति में किये जा रहे घपलों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सौलत अली–

[माननवर, राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) एवं राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभाग के अन्तर्गत घोर जातिवाद रिश्तेदारवाद तथा व्यक्तिगत स्वार्थवश कुछ ही वर्ग के लोगों को नियम विरुद्ध नियुक्ति/प्रोन्नति/विनियमितीकरण/स्थानान्तरण आदि में लाभ पहुंचाया जा रहा है। जैसे कु० सुमन बाजपेयी को वर्ष 98 में समन्वय सहायक से सीधे शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गई है। तीन महिला सहायक परियोजना अधिकारी की जिले में नियुक्ति के उपरान्त गलत तरीके से स्वार्थवश शासन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में बिना किसी कार्य के लगाया गया है । दूसरे विभाग के अनर्ह मृतक के आश्रित को सीधे शोध अधिकारी, एक को लिपिक में नियम विरुद्ध सेवायोजित किया गया है । जबकि विभाग के 10-20 वर्षों से कार्यरत मूल श्रमिकों की पदोन्नति/विनियमितीकरण के मामले उपसचिव स्तर पर ब्लैक मेल करने के लिये प्रकरण को लम्बित किया गया है ।

विभाग के चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में विभागीय पदोन्नति की भी सभी औपचारिकता दो बार पूर्ण होने पर भी चयन परिणाम दो वर्ष से लम्बित है, इसी प्रकार वर्ष 1994 से तदर्थ रूप से प्रोन्नति दो प्रवर वर्ग सहायकों का विनियमितीकरण/स्थाईकरण उपसचिव द्वारा जान-बूझकर लम्बित करने का प्रयास जनवरी, 1998 से लगातार किया जा रहा है । यही स्थिति आयोग के दो अनुभाग अधिकारी/वैयक्तिक सहायकों से न करके दूसरे विभाग के प्रवर वर्ग सहायक/पी०ए० की पदोन्नति की जाती है । आयोग में मनमाने ढंग से स्टेशनरी/पेट्रोल/मोटरगाड़ी की व्यवस्था तीन विभागों के बजट से सरकारी धन निकालकर पैसे का दुरुपयोग किया जाता है और भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है, तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के चपरासी से लेकर अधिकारी तक को उनका क्लेम न देकर द्वेषवश हानि पहुंचाने का षड़यंत्र उपसचिव द्वारा किया जा रहा है । जो खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और 27 जून, 1998 पायनियर में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी किया गया है ।

अस्तु मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये चर्चा की मांग करता हूं ।]

जौनपुर नगर में गोमती नदी पर किले के बगल से पुल निर्माण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अफजाल अहमद–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद जौनपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं । जौनपुर नगर में बीचो-बीच गोमती नदी पर शाही अकबरी पुल का निर्माण कई दशक पूर्व का बना हुआ है । पुल जर्जर हो गया है उस पर काफी भार पड़ रहा है । एक पुल का निर्माण और हो जाता तो उस पर पड़ने वाला भार कम हो जाता । किले के बगल में उत्तरी से दक्षिणी जो ओलनगंज कचहरी रोड पर एक पुल बन जाता तो जनता का आना-जाना आसान हो जाता । इसंकी मांग स्थानीय जनता बार-बार कर रही है परन्तु शासन, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है । जर्जर पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गोमती नदी पर किले के बगल से एक पुल निर्माण तत्काल कराया जाय जिससे जनता को आवागमन में सुविधा हो सके ।]

जनपद आजमगढ़ में कतिपय लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्के पुल बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री वसीम अहमद–

[मान्यवर, आजमगढ़ जनपद के महराजगंज सहदेवगंज की छोटी सरजू नदी तथा जिला मार्ग बूढ़नपुर भखनहा मार्ग के छोटी सरजू नदी पर पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये लकड़ी के पुल ध्वस्त हो गये हैं । इन पुलों के जर्जर होने के कारण वाहनों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है । बहुत बड़े भाग की किसानों की कृषि उपज गन्ना आदि मिलों तक नहीं पहुंच पा रहा है । जनहित में उपरोक्त जर्जर पुलों के स्थान पर पक्के पुलों का निर्माण अत्यन्त ही आवश्यक है । सगड़ी एवं बूढ़नपुर तहसील के किसानों में भयंकर रोष है । अतः मैं तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बदायूं में बदायूं से दातागंज तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमपाल सिंह यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बदायूं के अन्तर्गत दातागंज रोड पर बदायूं से दातागंज पर जिसकी लगभग लम्बाई 5 कि० मी० है, पर 1997 में पत्थर पड़ा था और आज तक उसकी मरम्मत नहीं हो पायी है । अधिकारियों की सांठ-गांठ से फर्जी पेमेन्ट भी हो गया है, जिससे करीब दो लाख से ऊपर धन का नुकसान हुआ है और ठेकेदारों के घर सारा का सारा पैसा चला गया है । इंजीनियरों की सांठ-गांठ इसमें है । इसकी शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं होती है ।

अतः मैं आदरणीय सदन के माध्यम से उपरोक्त सड़क में किये गये घपले, फर्जी भुगतान की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं संबंधित अधिकारियों को दण्डित करने तथा अधूरे निर्माण को तत्काल पूर्ण कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद गाजीपुर–232 जमानिया दरौली के–रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कैलाश–

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर में 232 जमानियां के दरौली रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा 31-8-1994 को 10 लाख रुपया दिया गया परन्तु अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया । किन्तु विद्युत न होने के कारण आये दिन जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा इससे पूरे क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व का सवाल है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान लाकर विद्युतीकरण कराने एवं कार्यवाही कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं ।]

क्रिश्चियन इन्टर कालेज झांसी की प्रबन्ध समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र पाल सिंह–

[मान्यवर, क्रिश्चियन इन्टर कालेज झांसी की प्रबन्ध समिति भ्रष्टाचार में लिप्त है और विद्यालय के प्रधानाचार्य के चयन में सभी नियमों की अवहेलना करते हुये समिति में विभागीय विशेषज्ञ उ० प्र० शिक्षा अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत 16 एफ० एफ० (1) के अनुसार शिक्षा निदेशक द्वारा भेजे गये पैनल से चयनित नहीं किया गया है और प्रबन्ध समिति द्वारा मनमाने ढंग से नियुक्ति कर दी गई । सत्ता पक्ष के नेताओं ने दबाव डालकर उक्त शिक्षा निदेशक से गलत ढंग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया । प्रबन्ध समिति पर विद्यालय का क्रीड़ा स्थल बेचने एवं नई प्रबन्ध समिति के चुनाव न कराने संबंधित तमाम आरोपों से शिक्षकों का शोषण हो रहा है जिससे झांसी जनपद के शिक्षकों में रोष व्याप्त है ।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में गलत तरीके से सम्बद्ध अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य कतिपय व्यक्तियों द्वारा घपला किये जाने से संबंधित नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरदेव सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आयुर्वेद यूनानी निदेशालय में गलत तरीके से सम्बद्ध अधिकारियों व चिकित्साधिकारियों के तरफ दिलाना चाहता हूं । निदेशालय में गलत तरीके से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सम्बद्ध डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी, जो झांसी में तैनात हैं और गलत तरीके से निदेशालय में सम्बद्ध हैं, जिनके विरुद्ध करीब 20 जांचें वित्तीय घोटाला करने, जैसे आवासीय भत्ता लेने, रोगी पंजीकरण शुल्क न जमा करना एवं अन्य आरोपों में दोषी सिद्ध हुये हैं, अपने राजनैतिक दबाव से निदेशालय से सम्बद्ध हुये हैं, इनका वेतन उप निदेशक के पद से फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है, तत्कालिक निदेशक द्वारा स्पष्ट निर्देश थे कि श्री द्विवेदी न तो अपने नाम के साथ उप निदेशक लिखेंगे न ही उनका वेतन उपनिदेशक के पद से निकलेगा परन्तु उच्च अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अपना वेतन निकलवा रहे हैं और फर्जी तरीके से सम्बद्ध हुये हैं, इनकी जांच उच्चस्तरीय चल रही है, निवर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा हटाकर स्पष्ट आदेश जांच हेतु दिया था, परन्तु उक्त पत्रावली ही गायब करा दिये हैं। तृतीय सत्र 1998 के तीसरे बुधवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर में कहा गया है कि आवासीय भत्ते की कटौती कर ली गई है तो किस बाउचर से धन राजकीय कोष में जमा और कहां पर हुआ है ये गलत उत्तर दिया गया है।

श्री बी० डी० जोशी मूल रूप से राजकीय आयुर्वेद कालेज लखनऊ में तैनात थे, नवम्बर 1989 से 31 मार्च, 1990 तक के लिये निदेशालय से सम्बद्ध किया गया था परन्तु गलत दबाव को बनाकर बने हुये हैं और आहरण वितरण का अधिकार भी ले रहे हैं और फर्जी तरीके से प्रोन्नति ले लिये हैं। जबकि अन्य इनसे सीनियर कर्मचारी तैनात हैं। इनकी मूल पत्रावली से स्पष्ट पता चल जायेगा।

कुमारी रक्षा गोस्वामी टूड़ियागंज कालेज लखनऊ की प्रिन्सिपल थी। 1997-98 में एम० डी० की परीक्षा 6-4-98 में भारी गोलमाल पैसा लेकर कराया है जिसकी जांच हेतु तृतीय सत्र 1998 के तीसरे बुधवार हेतु अतारांकित प्रश्न सं० 34 के उत्तर में कहा गया है। विशेष सचिव से जांच की जा रही है प्रोत्साहन तौर पर इनको भी निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। जांच को स्पष्ट प्रभावित करेगी। इसके अलावा मार्च, 1998 में खुले आम कालेज के बजट का दुरुपयोग किया गया है जो आडिट में स्पष्ट है, और इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये।

वर्ष 1991-92 में सुराकाण्ड गाजियाबाद के मेन अभियुक्त श्री मंगल देव त्रिवेदी जो वर्तमान सहायक औषधि नियंत्रक हैं, को आरोप पत्र दिया है और स्पष्ट दोषी माना गया है, जो विधान सभा प्रश्न 19 में दिया गया है। परन्तु उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। ये राजनीतिक दबाव से बचे हुये हैं और इनके विरुद्ध कार्यवाही करने में शासन भी हिचक रहा है, संरक्षण प्राप्त है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण की निष्पक्ष जांच उपरोक्त चारों अधिकारियों को हटाकर कराने एवं निदेशालय से हटाने का स्पष्ट आदेश देने की मांग करता हूं। जिससे निष्पक्ष जांच हो सके, और इन चारों लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके।]

जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित श्रीमती राजदेई इन्टर कालेज खुनियांव में अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़ी जाति के अध्यापकों के उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* मोहम्मद मुकीम–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इन्टरमीडियेट की परीक्षा में जनपद सिद्धार्थनगर के इटावा तहसील के श्रीमती राजदेई इन्टर कालेज खुनियांव में 24 मार्च को द्वितीय पाली की परीक्षा में दो छात्र नकल की पुर्चिया छुपा रखे थे। जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों के निवारण हेतु आकस्मिक छापा मारा जिसमें उक्त दो छात्रों द्वारा छुपाकर रखी गयी पुर्ची भी पकड़ी गई। जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई। दोनों छात्रों द्वारा नकल नहीं की जा रही थी इसके बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दो अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापक श्री शब्बीर हसन एवं उमाराज को अकारण जेल भेज दिया गया जबकि नकल विरोधी विधेयक में जब कोई अध्यापक छात्रों को नकल कराते पकड़ा जायेगा तभी उसके खिलाफ कार्यवाही का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राविधान है इसके बावजूद केवल अल्पसंख्यक समुदाय होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक ने उक्त अध्यापकों को जेल भेजने की कार्यवाही की । प्रदेश के अन्य जनपदों में भी अल्पसंख्यक दलित एवं पिछड़ी जाति के अध्यापकों एवं छात्रों के खिलाफ कार्यवाही की गई तथा जेल भेंजा गया जिससे क्षेत्र के लोगों में भयंकर रोष एवं क्षोभ है । अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं एवं उक्त अल्पसंख्यक अध्यापकों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में वापस लेने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में भू-गर्भ जल विभाग में विगत 18 वर्षों से कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स के विनियमितीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजा राम पाल–

[महोदय,मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकरण लाना चाहता हूं । भू गर्भ जल विभाग में विगत 18 वर्षों से कार्यरत (तदर्थ रूप से) डिप्लोमा इंजीनियर्स के विनियमितीकरण कराये जाने का मामला लम्बित पड़ा हुआ है । शासन की तीन वर्ष से अधिक समय से तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की स्पष्ट नीति के बावजूद भी इतने लम्बे समय से कार्यरत इंजीनियर्स को विनियमित नहीं किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च द्वारा भी दिनांक 14 जनवरी, 1998 को स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है । विनियमितीकरण के अभाव में इन सरकारी कर्मचारियों का भविष्य इतनी लम्बी सेवा अवधि पूर्ण कर लेने के बावजूद अधर में लटका हुआ है एवं उनको सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले वेतनमानों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है जिससे इन कर्मचारियों में अत्यन्त असंतोष व्याप्त है । अतः आदरणीय सदन से अनुरोध है कि इन्हें विनियमित करने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

जनपद बलरामपुर के कतिपय ग्रामों को राप्ती नदी की कटान से बचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिन्दु लाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैसड़ी के ग्राम भोजपुर व महरी जो कि राप्ती नदी के किनारे पर है । इन ग्रामों की बाढ़ के कारण कट जाने का खतरा पैदा हो गया है । मान्यवर, ग्राम भोजपुर में बनी उतरौला पम्प नहर जब से चालू हुई है उसके कारण पम्प के चलने से पानी का दबाव इन ग्रामों पर पड़ रहा है जबकि इन पर कार्य शुरु हुआ था उस समय अधिकारियों ने इन ग्रामों का बाढ़ के कटान से बचाने का आश्वासन दिया था । इस आश्वासन पर ही ग्राम भोजपुर में 5 एकड़ ग्राम सभा की जमीन भी पम्प लगाने के लिये दी थी ।

माननीय सिंचाई मंत्री महोदय जब इस पम्प पर लोकार्पण करने गये थे तब भी कुछ घोषणा करके आये थे उसमें इन ग्रामों को कटाव से बचाने के लिये भी आदेश दिया था । लेकिन उनके बावजूद भी इस पर कोई कार्य नहीं कराया गया जिससे इन ग्रामों के राप्ती नदी में डूब जाने का खतरा हो गया है । इससे यहां के लोगों में बड़ा असंतोष है क्योंकि उतरौला पम्प नहर के चालू होने से ही खतरा पैदा हुआ । यदि इन ग्रामों को बचाने का कार्य जल्दी नहीं किया गया तो शान्ति भंग होने का भी खतरा हो सकता है । यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन ग्रामों को कटने से बचाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराने की कृपा करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ महानगर के इन्दिरा नगर क्षेत्र में सी ब्लाक के पास खोदी गई सड़क को ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पीतम राम–

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की सूचना आज सदन में देना चाहता हूं :–

"प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इन्दिरा नगर क्षेत्र (सेक्टर–2) के सी ब्लाक में प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जनता क्वार्टर्स के समक्ष खुदाई का कार्य लगभग 2 माह पूर्व आरम्भ करके मलवा छोड़ दिया गया है जिससे न केवल चारो ओर गंदगी और बदबू का माहौल बन गया है बल्कि उससे संक्रामक रोग भी फैलने की आशंका हो गई है। इस क्षेत्र का विस्तार भवन संख्या–सी–2105/7 से प्रारम्भ होकर आस-पास के 15-20 मकानों तक है। इस खुदाई के कारण बरसात के मौसम में भीषण वर्षा होने से खोदे गये गड्ढों में पानी भर जाने से नागरिकों को अत्यन्त कठिनाई हो रही है और प्रभावित मकानों के समक्ष की पक्की नाली बनाये जाने के नाम पर छोड़ी गयी अधूरी खुदाई के कारण वर्षा का पानी घरों में घुसने लगा है। ऐसी स्थिति में सदन की ओर से शासन को इस आशय का निर्देश जाना नितान्त आवश्यक है कि अधूरे कार्य को प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराये। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि अविलम्बनीय महत्व के इस विषय को नियम 301 के अन्तर्गत आज सदन में उठाने की अनुमति देने की कृपा करें।]

लखनऊ महानगर के अलीगंज क्षेत्र में स्थित आवास विकास की शेखूपुरा कालोनी में सफाई आदि की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेश अग्रवाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्नलिखित लोक महत्व की सूचना देना चाहता हूं।

लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में स्थित आवास विकास की शेखूपुरा कालोनी में कूड़े की सफाई, टूटी-फूटी सड़कें तथा जल भराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कालोनी में जगह-जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। भवन संख्या एम० आई० जी०–1 से लेकर 4 के सामने, भवन संख्या–12, 13 के साथ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे महामारी फैलने की आशंका है। इसी प्रकार भवन संख्या 39,40,42 के सामने स्थित पार्क के उत्तर पश्चिम कोने में मलवा बरसों से पड़ा हुआ है। परन्तु तमाम अनुरोधों के बावजूद अभी तक उठाया नहीं जा रहा है। कालोनी की सड़कें खस्ताहाल में हैं तथा भवन संख्या एल० आई० जी०–100 तथा सभासद के मकान के सामने स्थाई जल भराव है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपसे अनुरोध है कि उक्त समस्याओं के निराकरण के लिये प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।]

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम कटकोरी में स्थित सोना मिल्क प्रोडक्ट प्रा० लि० कटकोरी में विद्युत चोरी को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामवीर सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान ग्राम कटकोरी, ब्लाक मदनपुर, तहसील–शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद (सोना मिल्क प्रोडक्ट प्रा० लि० कटकोरी) में लम्बे अरसे से लगाये गये विद्युत कनेक्शन से उत्पन्न हो रही लाखों रुपये की हानि की ओर आकर्षित कराना चाह रहा हूं । उल्लेखनीय है कि उक्त फर्म का 50 हार्सपावर है जिसमें प्रतिमाह दो लाख रुपये का विद्युत उपयोग हो रहा है और यह क्रम दो वर्ष से लगातार चल रहा है । कागजात में उक्त फर्म के मालिक द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिये 14-1-1998 को प्रार्थना-पत्र अवश्य दिया गया था । परन्तु 9-2-1998 को कनेक्शन स्वीकृत होने के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों में उक्त फर्म के मालिक की मिली भगत के कारण अवैधानिक रूप से कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है और कोई मीटर भी नहीं लगाया गया है और कोई बिल भी नहीं आ रहा है । उक्त फर्म से संबंधित मालिक बहुत बड़े लोगों में पहुंच वाले हैं । और षड़यंत्र से सरेआम सरकारी धन की लूट कर रहे हैं और राजस्व को हानि कर रहे हैं । यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर अवैध कनेक्शन चलाने वाले फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जाय व अवैध रूप से उपभोग की गई लाखों रुपये की धनराशि को वसूला जाय । दोषी लोगों के नाम उजागर किये जायें, कार्यवाही की जाय ।]

लखनऊ महानगर स्थित हाता रामदास बगिया सदर कैंट में विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आलम बदी–

[मान्यवर, आपका ध्यान मैं लखनऊ के हाता रामदास बगिया सदर कैंट लखनऊ की तरफ ले जाना चाहता हूं । यहां विद्युत व्यवस्था बहुत गड़बड़ है । 100 मीटर लम्बे केबिलों से विद्युत कनेक्शन दिया गया है । दो फेस विद्युत होने के कारण बल्ब दीप की तरह टिमटिमाते हैं ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि विद्युत रात दिन मिलाकर दो या तीन बार न जाय । इसके पहले भी इस विषय में माननीय विनोद मणि विधायक ने सूचना इसी नियम से इसके पहले जब दी थी मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि दो माह में विद्युत व्यवस्था ठीक कर दी जायेगी । परन्तु 6 माह बीत जाने पर भी कुछ नहीं हुआ । माता अस्पताल के छोर एवं सेन्ट मेरी स्कूल के सामने घर के सामने तार रहित खम्भा लगभग एक साल से लगा हुआ है । बहुत प्रयास के बावजूद तार नहीं आया है, उधर के जितने मकान हैं 200 मीटर लम्बे केबिलों से कनेक्शन प्राप्त हैं, घनी आबादी की वजह से दो फेसों में विद्युत आपूर्ति संभव नहीं है ।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि हाता रामदास बगिया को विद्युत तार तीन फेस जल्दी से जल्दी करके माता अस्पताल सेन्ट मेरी तथा आर० बी० सिंह के घर के सामने जो तार रहित खम्भा है, लगभग एक वर्ष से खड़ा तार दौड़ाकर तथा अलग ट्रांसफारमर लगाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें । ताकि यहां व्याप्त लोगों ने असन्तोष दूर हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सके । माननीय ऊर्जा मंत्री जी के उत्तर के अनुरूप कार्यवाही न किये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित कराने की कृपा करें ।]

उ० प्र० शासन में शासन की प्रतिबद्धता के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० सरजीत सिंह डंग–

[उत्तर प्रदेश शासन की मंशा स्वस्थ पारदर्शी एवं सुदृढ़ शासन देने की है और शासन का संकल्प एवं प्रतिबद्धता है कि स्थानान्तरण आदेशों का कड़ाई से अनुपालन हो । इसके अतिरिक्त असत्य तथ्य/सूचना देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का भी संकल्प सरकार का है । किन्तु कई ऐसे उदाहरण प्रकाश में आये हैं जो इस संकल्प के विपरीत हैं । उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही जहां से पूरे प्रदेश के लिये नीतियों का निर्धारण, नियमन तथा नियंत्रण होता है, जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासन की प्रतिबद्धता के विपरीत कार्य किया जा रहा है । उदाहरणार्थ चिकित्सा विभाग के एक अनुसचिव तथा अधीनस्थ कर्मी द्वारा माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री के आदेशों की अवहेलना की बदनीयती से चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्य दिये गये जिसके कारण मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री के आदेशानुसार सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा उस अनुसचिव को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया किन्तु चिकित्सा मंत्री जी के अनुरोध पर, जो कि तथ्यों से अनभिज्ञ थे । अधिकारी का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है ।

उक्त स्थिति से जहां गलत प्रवृत्ति के अधिकारियों/कर्मचारियों की दुष्प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा वहीं ईमानदार एवं कर्मठ अधिकारी/कर्मचारीगणों का मनोबल गिरेगा तथा इस प्रवृत्ति से विधान सभा सदस्यों को भी जनहित के कार्यों में कठिनाई उत्पन्न होगी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बदायूं में सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिये कतिपय नहरों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य–

[बदायूं जनपद में सिंचाई पूर्ण रूप से स्टेट ट्यूबवेल/निजी ट्यूबवेलों पर निर्भर है । यहां ट्यूबवेल से सिंचाई होने के कारण भू-गर्भ जलस्तर गिर रहा है । यद्यपि जनपद में 40 हजार हेक्टेयर भूमि में से 33.8 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हैं । तथापि सिंचित क्षेत्र लगातार कम हो रहा है । इसका कारण भूगर्भ जल स्तर का नीचे जाना है । इसलिये बागों के सूखने की घटनायें निरन्तर हो रही हैं तथा मिट्टी में दीपक के बढ़ने की शिकायतें आम तौर पर कृषकों द्वारा की जाती हैं । कुल 18 विकास खंडों में से 8 विकास खण्ड सूखे क्षेत्र में आ चुके हैं । 6 विकास खण्ड ग्रे श्रेणी में आ गये हैं ।

बिडम्बना है कि जहां गंगा और रामगंगा नदियों की बाढ़ के प्रकोप से यह जनपद पीड़ित है इन नदियों में सिंचाई की सुविधा अप्राप्त है । इस स्थिति में सुधार हेतु जनपद में नहर आधारित सिंचाई प्रणाली के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है । इस अवधारणा का अनुभव करते हुये वर्ष 1986-87 में एक नहर परियोजना बनाई गई थी । इस योजना के अन्तर्गत बिजनौर स्थित मध्य गंगा बैराज (रावली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बैराज) से मुरादाबाद, बरेली, बदायूं होते हुये 317 कि० मी० तथा 5300 कि० मी० वितरण शाखाओं का निर्माण किया जाना है । इसका पूरा सर्वे कार्य सम्पन्न हो चुका है किन्तु यह योजना सरकार की उदासीनता के कारण लागू नहीं की जा रही है ।

इस योजना की मूल लागत 295.52 करोड़ थी जो पुनरीक्षित करने पर 842.70 करोड़ हो जायेगी । इस नहर के निर्माण से बदायूं में 68 हजार हेक्टेयर सींच की क्षमता में वृद्धि होगी तथा भू-गर्भ जल स्तर में सुधार होगा साथ ही साथ मुरादाबाद में 72 हजार हेक्टेयर तथा बरेली में 7600 हेक्टेयर सींच क्षमता में वृद्धि होगी । इससे 3.42 मी० टन अतिरिक्त धन का उत्पादन होगा । गंगा नदी पर प्रस्तावित जलाशय योजना और टिहरी बांध कोटला मैन बांध आदि के पूर्ण होने के बाद यह नहर प्रणाली दोनों फसलों में पानी देगी ।]

अतएव इस लोक महत्व एवं जनहित की सूचना के द्वारा सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनपद की नहर प्रणाली की व्यवस्था चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की जाय ।]

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में पिछड़े वर्ग के बी०एम०एस० छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भगवती प्रसाद–

[राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में पिछड़े वर्ग के बी० एम० एस० छात्र एवं छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति अभी तक नहीं प्राप्त हुई है जिसके कारण उक्त छात्र एवं छात्राओं को काफी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है । जिससे उनका पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने की मांग करता हूं ।

पी० एम० एस० संवर्ग के उच्च डिग्री प्राप्त चिकित्सकों को अतिविशिष्ट प्रमाण-पत्र देते हुये विशिष्ट इकाई में तैनात किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[एस० जी० पी० जी० आई० अधिनियम की धारा–36 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत पी० एम० एस० संवर्ग के उच्च डिग्री प्राप्त चिकित्सकों के प्रकरण में मा० कुलाध्यक्ष पी० जी० आई० में दिनांक 18-6-96 को यह निर्णय दिया गया कि शासनादेश संख्या 4666/चिकि० 4 दिनांक 10-7-92 के तदर्थ प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को अतिविशिष्ट प्रमाण-पत्र देते हुये इनकी तैनाती शासनादेश के अनुबन्ध के अनुसार विशिष्ट इकाई में की जाये ।

यह प्रकरण तारांकित प्रश्न संख्या–20 विधान सभा के प्रथम सत्र के छठे बुधवार के लिये दिनांक 13-4-94 को उत्तरित हुआ । यही प्रकरण मा० उच्च न्यायालय द्वारा भी याचिका के माध्यम से निर्णित किया गया । यह उल्लेखनीय है कि पी० एम० एस० संवर्ग के चिकित्सकों को न तो अवमुक्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया जा रहा था और न ही प्रमाण-पत्र दिया जा रहा था । अतः संदर्भित याचिका को देखते हुये मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 28-1-98 को निर्णय दिया गया । फलस्वरूप चिकित्सकों को प्रमाण-पत्र 10-2-98 को हस्तगत कराया गया परन्तु अभी तक इन चिकित्सकों की तैनाती विशिष्ट इकाई में नहीं हुई । जबकि शासन का लगभग 3 लाख रुपया इन पर व्यय हो चुका है ।

अतएव आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि शासनादेश दिनांक 10-7-92 के अनुसार मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28-1-98 के परिपेक्ष्य में इन चिकित्सकों की तैनाती विशिष्ट इकाई में करने हेतु निर्दिष्ट करने की कृपा करें ।]

जनपद उन्नाव के कतिपय गांवों में विद्युत के कटे हुये तारों को पुनः लगाकर विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामशंकर पाल–

[मेरे विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ जनपद उन्नाव के 40 ग्रामों के 5 वर्षों से तार कटे हैं । मैंने कई बार लिखित रूप से अधिशासी अभियन्ता विद्युत उन्नाव को दिया, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे बड़ा ही असन्तोष है, कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, मैंने धरने पर आश्वासन दिया कि हम विधान सभा में आपकी बात उठायेंगे ।

मान्यवर, अति लोकमहत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है, इसीलिये तात्कालिक है, सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि जो तार काट लिये गये हैं उनको पुनः लगाकर विद्युत व्यवस्था हेतु प्रभावी कार्यवाही कराई जाय ।]

जनपद अम्बेडकर नगर स्थित टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को नौकरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा–

[टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा अम्बेडकर नगर में किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी । उस समय राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रभावित कृषकों को नौकरी में लेने का निर्णय लिया गया था, परन्तु लगभग 18 वर्ष के उपरान्त भी अभी तक लगभग 400 परिवारों को नौकरी नहीं दी गयी । जिसके कारण उक्त प्रभावित कृषक भुखमरी के कगार पर हैं । जिसके कारण जनता में आक्रोष व्याप्त है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त प्रभावित कृषकों को नौकरी दिये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ, गोपालपुर तथा साऊघाट में अधूरी बनी सड़कों को शीघ्र बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, रामनगर विधान सभा क्षेत्र जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ, गोपालपुर तथा साऊघाट में लोक निर्माण विभाग की चाहे जिला प्लान की सड़कें हों या राज्य सेक्टर की या अन्य योजनाओं की दर्जनों सड़कें या तो अधूरी पड़ी है या उन पर अभी तक कार्य ही प्रारम्भ नहीं हो पाया है । इस संबंध में अनेकों बार विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया गया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला ।

मेरा आशय यह है कि सड़कें सही और समयबद्ध तरीके से बनाई जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चूंकि यहां मार्गों के निर्माण में विलम्ब हुआ है। अतः नियम 301 के द्वारा मैं शासन का ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूं कि प्राथमिकता देते हुये विकास खण्ड रामनगर, सल्टौआ तथा साऊघाट जिला बस्ती के मार्गों का निर्माण किया जाय ।]

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रुड़की में ग्राम कोटा मालहर हेडी व जस्सावाला के बीच पड़ने वाली नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सिंह सैनी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लोक महत्व की समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र रुड़की में ग्राम कोटा मालहर हेडी व जस्सावाला, ब्लाक बहादुराबाद के बीच एक नदी पड़ती है जिस पर पुल न होने के कारण नदी पार के लगभग सैकड़ों गांवों का न तो विकास हो पाया है और बरसात के दिनों में यह क्षेत्र जनपद के दूसरे भाग से अलग-थलग पड़ जाता है । जिससे वहां के लोग बीमार होने पर अपनी चिकित्सा नहीं करा सकते । बच्चों की पढ़ाई ठप्प हो जाती है तथा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है । बहुत से लोग तथा जानवर नदी में डूब भी जाते हैं जिससे इस क्षेत्र में हमेशा त्राहि-त्राहि मची रहती है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर इस नदी पर पुल के निर्माण की मांग करता हूं ।

प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में 8-10 साल से कार्यरत शिक्षकों को विनियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्नलिखित लोक महत्व की सूचना देना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा नियुक्त शिक्षकों की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है । शिक्षक विद्यालयों में अल्प वेतन पाकर पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं । कुछ शिक्षक तो इन विद्यालयों में विगत 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं । किन्तु सरकार द्वारा आज तक उनकी नियुक्ति हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है । बी० एड०, एल० टी० करने के बाद भी इनको कोरा आश्वासन ही मिलता रहा है । परन्तु सरकार द्वारा इनका उन्हीं विद्यालयों में नियुक्ति हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है । जो इन अल्प वेतन भोगी शिक्षकों के साथ अन्याय है। इन शिक्षकों-शिक्षिकाओं को माध्यमिक विद्यालयों में ही समायोजित करने हेतु ठोस कदम उठाया जाना आवश्यक है ।

आपसे अनुरोध है कि इन शिक्षक और शिक्षिकाओं को जो प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 8-10 साल से अध्यापन कार्य कर रहे है, तथा पूर्ण अर्हता रखते हैं, उन्हें विद्यालयों में नियुक्त किया जाय ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो सके ।]

जनपद पडरौना के विकास खण्ड–खड्डा के कतिपय गांवों का गण्डक नदी की बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दीपलाल भारती–

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत नेपाल से आने वाली गण्डक नदी (नारायणी) से प्रतिवर्ष विकास खण्ड–खड्डा के ग्राम–शिवपुर, रिडरपुर, नारायनपुर, मरचहवां बालगोविन्द छपरा, वकुलादह,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सानिकपुर, महेदना तथा नरकहवां के ग्रामीण बाढ़ व कटान से पीड़ित रहते हैं। रेज क्षेत्र में गन्ना व धान की खड़ी फसल नदी के कटान से नष्ट हो जाती है तथा सैकड़ों एकड़ कृषि उपज प्रभावित होती है, इससे ग्रामीणों के समक्ष भुखमरी की स्थित उत्पन्न हो जाती है।

इस वर्ष पीपरासी तटबन्धा टूटने के पहले से ही उक्त गांव की जनता बाढ़ में डूबी हुई थी, उनके लिये आरक्षित नावें इस वर्ष हटा ली गई हैं तथा राहत सामग्री पूर्व की भांति नहीं दिया जा रहा है। मेरे द्वारा मांग किये जाने पर दिनांक 20-7-98 को कुछ परिवारों को मात्र 500 रुपया नगद जिला प्रशासन ने राहत स्वरूप दिया है जो बहुत ही कम है, अभी भी सैकड़ों परिवार आर्थिक सहायता से वंचित हैं।

अस्तु अत्यन्त लोक महत्व के प्रकरण को सरकार तक पहुंचाकर आशा करता हूं कि बाढ़ पीड़ितों को नावें तथा राहत सामग्री तत्काल सुलभ हो तथा उन्हें ऊंचे स्थान पर बसाया जाय।]

जनपद मुरादाबाद की तहसील चन्दौली में कार्यरत लेखपाल श्री जवाहर का पता लगाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान तहसील, चन्दौली, जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत चल रही है। उ० प्र० लेखपाल संघ की हड़ताल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 12-7-98 को श्री जवाहर लेखपाल अपने तैनाती क्षेत्र कैथला, तहसील चन्दौली में धारा 392/98, 364 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। परन्तु आज तकन तो पुलिस ने गायब हुये लेखपाल का पता ही लगाया है और न ही दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है। जिससे समस्त लेखपाल संघ पुलिस और सरकार की निष्क्रियता के कारण रोष प्रकट करते हुये हड़ताल पर चले गये हैं तथा जिसकी वजह से तहसील के समस्त कार्य ठप्प हो गये हैं तथा किसानों के प्रतिदिन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुये गायब हुये लेखपाल का पता लगाने के लिये सरकार से मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में जो सूचनायें दी गई, उसका मैंने कक्ष में अवलोकन किया है वह कोई 300 में नहीं आती है, इसलिये सारी सूचनायें अग्राह्य की जाती हैं।

(सदन के फ्लोर पर आये हुये विपक्षी सदस्य लगातार नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 एवं 1987-88

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 एवं 1987-88 को भारत का संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 2, मद संख्या 3, मद संख्या 4, मद संख्या 5 में कुछ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री दद्दू प्रसाद जी चर्चा प्रारम्भ करें ।

श्री दद्दू प्रसाद जी अनुपस्थित हैं ।

उत्तरांचल की क्षेत्रीय पारस्परिक पनचक्कियों (घाटों) को लघु उद्योग घोषित करके सरकार द्वारा उनके विकास हेतु एक स्थानीय नीति बनाये जाने विषयक श्री हरबंश कपूर आदि द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

श्री हरबंश कपूर, श्री राजेन्द्र, श्री लाखीराम जोशी तथा श्री मोहन सिंह रावत गांववासी के अनुरोध पर यह संकल्प स्थगित किया जाता है ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास, अनुसंधान एवं सार्थक शिक्षा व्यवस्था के लिये प्रदेश में आयुर्वेदिक विद्यालयों की स्थापना से संबंधित डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के अनुरोध पर यह संकल्प स्थगित किया जाता है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

वह अनुपस्थित हैं ।

(श्री मुन्ना चौहान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

अनुपस्थित हैं ।

नियम 103 के अन्तर्गत उ० प्र० विधान परिषद् में अभिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड–5 में शब्द ''साहित्य'' से पूर्व शब्द ''विधि'' रखे जाने संबंधी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय की तथा जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गांवों में लिये जा रहे आवागमन कर को समाप्त किये जाने संबंधी श्री अजय कुमार पोइया के प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

8 एवं 9 से संबंधित माननीय सदस्यों के अनुरोध पर चर्चा स्थगित की जाती है ।

(श्री लालजी वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी चर्चा प्रारम्भ नहीं कर रहे हैं । मैं अगली मद ले रहा हूं ।

प्रदेश के भू-गर्भीय जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट, सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच, नौचन्दी मेले में व्याप्त दुर्व्यवस्था के संबंध में, मेरठ महानगर में नाली की सफाई न होने से जल भराव की समस्या, परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन की योजनाओं पर धन व्यय के उपरान्त लक्ष्य की अप्राप्ति, दारुलशफा सहित सभी विधायक आवासों में पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था, प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि में वृद्धि तथा प्रदेश की जनता के दैनिक उपभोग में आने वाली डबल रोटी की मूल्य वृद्धि से संबंधित चर्चाओं का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों के अनुरोध पर चर्चायें स्थगित की जाती हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लाल मणि प्रसाद तथा श्री राम ललित चौधरी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य चर्चा प्रारम्भ नहीं कर रहे हैं, मैं अगली मद में ले रहा हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री श्रीराम पाल, श्री आर० के० चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री ददू प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य चर्चा प्रारम्भ नहीं कर रहा है। मैं अगली मद ले रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री अवधेश प्रसाद, श्री मुन्ना चौहान, श्री अम्बरीष कुमार, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री लालजी वर्मा कृपया चर्चा प्रारम्भ करें।

(किसी सदस्य द्वारा चर्चा प्रारम्भ न करने पर।)

मैं अगली मद ले रहा हूं।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों की फीस में वृद्धि से संबंधित डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

चर्चा माननीय सदस्यों के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल जी चर्चा प्रारम्भ करें।

(चर्चा प्रारम्भ न करने पर)

मैं अगली मद ले रहा हूं।

कानपुर विकास प्राधिकरण स्थापित होने के बाद प्राधिकरण द्वारा वर्ष भर अर्जित की गई सम्पत्ति में की गई वर्ष भर बढ़ोत्तरी के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

चर्चा माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

श्री मुन्ना चौहान तथा श्री अम्बरीष कुमार जी चर्चा प्रारम्भ करें।

(चर्चा प्रारम्भ न किये जाने पर)

मैं अगली मद ले रहा हूं।

श्री बी० आर० वर्मा, श्री प्रमोद तिवारी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह, डा० सरजीत सिंह डंग, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी व श्री बाल चन्द्र मिश्र कृपया चर्चा प्रारम्भ करें।

(किसी के द्वारा चर्चा प्रारम्भ न किये जाने पर)

मैं अगली मद में लें रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री अवधेश प्रसाद, सीताराम निषाद, श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री अखिलेश सिंह, श्री सुधाकर सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह कृपया चर्चा प्रारम्भ करें।

(किसी के द्वारा चर्चा प्रारम्भ न किये जाने पर)

मैं अगली मद में ले रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह, श्री राम औतार शाक्य कृपया चर्चा प्रारम्भ करें।

(किसी के द्वारा चर्चा प्रारम्भ न किये जाने-पर)

मैं अगली मद में ले रहा हूं।

प्रदेश में वर्ष 1999 की परीक्षा के लिये कक्षा 9 का पाठ्यक्रम कक्षा–10 की हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा से पृथक कर दिये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन में पूर्व विधायकों, सांसदों तथा लखनऊ स्थित अतिथि गृहों में वर्तमान विधायकों के लिये ठहरने का किराया बढ़ाये जाने से संबंधित नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित शहरी/ग्रामीण परिवारों को पुर्नगठित किये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

श्री अम्बिका चौधरी कृपया चर्चा प्रारम्भ करें।

(माननीय सदस्य द्वारा चर्चा प्रारम्भ न करने पर)

मैं अगली मद में ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री जगदम्बिका पाल, श्री रामजग, श्री विनोद मणि, श्री राम स्वरूप सिंह, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम नरेश यादव, श्री राम ललित चौधरी, श्री पी० आर० वर्मा, श्री लाल जी वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, श्री विजय कुमार, श्री अम्बिका चौधरी, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय कृपया चर्चा प्रारम्भ करें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा चर्चा प्रारम्भ न किये जाने पर)

मैं अगली मद में ले रहा हूं।

मेरठ में अवैधानिक रूप से बनाये जा रहे नकली गैस सिलेण्डरों के निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

नियम 51 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24-7-98 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुई इसमें अग्राह्य को छोड़ते हये निम्नलिखित 41 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकृत हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं :– श्री विनोद मणि, श्री रणधीर सिंह, श्री विजय प्रकाश, श्री बाबूलाल कुरील, श्री मस्तराम, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री अजय भट्ट, श्री राम शंकर पाल, श्री भारत सिंह रावत, श्री धर्मराज निषाद, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री रामदेव आचार्य, श्री विजय पाल सिंह, श्री अजय कुमार पोइया, श्री संजय गर्ग, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम चन्द्र यादव, श्री मुन्ना चौहान, श्री श्याम देव राय चौधरी, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री विरेन्द्र सिंह सोलंकी, डा० कौशल किशोर, श्री मुश्ताक सोलंकी, श्रीमती विजमा यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री उदय राज यादव, श्री दीपक कुमार, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री श्रीराम पाल, श्री महेन्द्र पाल निषाद, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री गोमती यादव, डा० रामबाबू हरित, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री मुरलीधर, चालीसवी सूचना श्री सौलत अली, श्री अकबर हुसैन, श्री रिफाकत हुसैन की और इकतालीसवीं सूचना श्रीमती उर्मिला यादव, श्री रामवीर सिंह, श्री मानिक चन्द्र, डा० अशोक बाजपेयी तथा श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि की है ।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 तथा संशोधित नियमावली–1993 की धारा–3 के द्वितीय भाग को शासन द्वारा लागू न किये जाने से मृतक आश्रितों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) में यह प्राविधान किये गये हैं कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य जो कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उक्त दोनों सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों को छोड़कर उपयुक्त सेवायोजन दिया जायेगा । सेवायोजन के लिये यह भी आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो, सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो और सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करें । उक्त पांच वर्ष की समय सीमा को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार सरकार को है । शिथिलीकरण संबंध में यह प्राविधान उक्त नियमावली में तृतीय संशोधन दिनांक 16 अप्रैल, 1993 द्वारा नियम 5 (1) में परन्तुक के माध्यम से किया गया है परन्तु शिथिलीकरण की उक्त व्यवस्था गुणावगुण के आधार पर नितान्त विशेष एवं अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के लिये ही है । परन्तुक की उक्त व्यवस्था सामान्य प्राविधान की व्यवस्था की भांति प्रयोग नहीं की जा सकती ।

2–उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य जे०जी० 1994 (3) एस०सी० 525 में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसे सेवायोजन के लिये युक्ति-युक्त (रीजनेबुल) समय नियमावली में होना चाहिये । यह कोई अधिकार नहीं है, जो जब चाहे तब और निर्धारित अवधि के बाद मांगा जा सके । इसका उद्देश्य केवल आर्थिक संकट में परिवार की सहायता करना है । अस्तु

नोट :–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस निर्णय के परिपेक्ष्य में, 17-18 वर्ष के पुराने मामलों में उक्त समय सीमा का शिथिलीकरण दिया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है ।

3–जहां तक पद की उपलब्धता का प्रश्न है उपरोक्त नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है कि यदि पद नहीं है तो अधिसंख्य (सुपरन्युमरेरी) पद सृजित मानें जायेंगे जो बाद में रिक्त उपलब्ध होने पर उसमें समायोजित हो जायेंगे । अतः पद की अनुपलब्धता का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

4–अस्तु मृत सरकारी सेवक के परिवार के एक सदस्य को सेवायोजित किये जाने का उद्देश्य परिवार को तत्काल राहत एवं सहायता पहुंचाना है । यह कोई सुविधा नहीं है जो लम्बे अन्तराल के बाद प्राप्त की जा सके ।]

जनपद मथुरा में अराजक तत्वों एवं भू-माफियाओं द्वारा महन्त रामोबाई को गायब किये जाने से सम्पूर्ण साधु समाज एवं विश्व हिन्दू परिषद् के आन्दोलित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रश्नगत मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार मामले में वास्तविक तथ्य यह है कि रामोबाई स्व० हजारी लाल की विधवा है तथा मूलरूप से डींग, जिला भरतपुर की रहने वाली हैं । ये करीब 20 वर्ष से कनक भवन स्थित राधाकुण्ड तिराहा गोवर्धन में रह रही थी । श्री गिरजादास बाबा को ठाकुर जी महाराज के नाम राजा भरतपुर की ओर से गोठियामठ की जमीन व सम्पत्ति की गद्दी प्राप्त हुई थी । इस बात की भी जानकारी मिली है कि बाबा गिरजादास की विधवा श्रीमती लीलावती ने रामोबाई को उक्त जमीन वारिस बैनामा स्वरूप दी थी । रामोबाई ने अपने समय में नियुक्ति पत्र श्री गणेश दास के नाम लिख दिया था तथा बाई के जाने के बाद श्री गणेश दास ने नियुक्ति पत्र श्री सीताराम दास के नाम लिख दिया । अब आश्रम में उन्हीं दो व्यक्तियों का स्वामित्व है, जिनका रामोबाई के समय था । इसी प्रकार से फर्जी इकरारनामा का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

रामोबाई के आश्रम के पास ही कामनी इण्टर कालेज के सामने साढ़े छः बीघा जमीन है, जिसका मुकदमा चकबन्दी में चल रहा है । उक्त वाद भरतपुर महाराज स्टेट बनाम रामोबाई के मध्य तथा लल्ला बाबू बनाम रामोबाई के मध्य चल रहा है । यह भी ज्ञात हुआ है कि एक वर्ष पूर्व रामोबाई चकबन्दी कार्यालय बयान देने गई थी । तबसे कनक भवन गोवर्धन नहीं आई । रामोबाई के लापता होने के बाद उक्त जमीन पर गंगाराम निवासी मलसराय ने कब्जा कर लिया है और रामोबाई का प्रतिनिधि बनकर उक्त जमीन हड़पना चाहता है । मुख्य मुद्दा उक्त जमीन का ही है ।

उक्त जमीन का बैनामा रामोबाई के बाद किसी के नाम नहीं हुआ है । रामोबाई के लापता होने की संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना जनपद मथुरा के किसी भी थाने पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं दी गई है एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का मुकदमा किसी भी थाने में अंकित नहीं है ।]

जनपद मथुरा में स्थित गोवर्धन ड्रेन की पुर्नस्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि के अनियमिततायें एवं मनमानी कर हड़पने के संबंध में श्री अजय कुमार पोद्दया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[भारत सरकार के निर्णयानुसार अर्न्तराज्यीय गोवर्धन ड्रेन के वार्षिक अनुरक्षण कार्यों पर होने वाला व्यय हरियाणा राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्रमशः 25%, 41% व 34% के अंश में वहन करना था, किन्तु विभिन्न विवादों के कारण हरियाणा व राजस्थान राज्यों द्वारा विगत 10 वर्ष से अधिक की अवधि से इस ड्रेन के अनुरक्षण कार्य के लिये कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी । फलस्वरूप इसकी क्षमता शनैः-शनैः कम होती गई । परिणाम स्वरूप वर्ष 1996 में माह जून के तृतीय सप्ताह में ड्रेन

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के कैचमेन्ट क्षेत्र में अप्रत्याशित भारी वर्षा हुई । जिसके कारण पूरे क्षेत्र में बाढ़ की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी ।

2–स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1997 में विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त ड्रेन की पुनस्थापना हेतु रुपया 270 लाख की योजना बनाई गई तथा योजना में प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने हेतु निविदायें भी आमंत्रित की गई थी । किन्तु धन की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण सभी निविदायें निरस्त कर दी गई । प्रदेश सरकार द्वारा जून, 1997 के आरम्भ में दैवी आपदा से रुपये 60 लाख तथा राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से क्रमशः 10-10 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा समयाभाव के कारण आवश्यक कार्य जैसे कटिंग को बन्द करना, तटों का सुदृढ़ीकरण करना, क्षतिग्रस्त रेगुलेटर का पुनर्निर्माण, नाले के आंतरिक भाग से जंगल की सफाई, पटेरा, ठेकों को हटाया जाना, आन्तरिक सेक्सन सुधार तथा इनसेटों पर कवर लगाने आदि के कार्य कराये गये । इस प्रकार दिनांक 15-7-97 तक रुपये 124 लाख के कार्य कराये गये । कराये गये कार्यों का स्थलीय निरीक्षण गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के चेयरमैन द्वारा दिनांक 24-8-97 को किया गया तथा कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर कराये गये कार्यों को सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण परियोजना को केन्द्रीय सरकार से वित्त पोषित कराये जाने की संस्तुति की गई थी । फलस्वरूप केन्द्र सरकार को इस योजना को वित्त पोषित कराये जाने हेतु संदर्भित किया गया । केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई रुपये 80 लाख की धनराशि को कम करते हुये शेष रुपये 190 लाख की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गई, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा माह मई, 1998 में अवमुक्त करते हुये अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिससे चालू वित्तीय वर्ष में ड्रेन के आन्तरिक भाग में अवशेष कार्यों की निविदायें आमंत्रित कर अनुबन्धों द्वारा कराये गये जिनका संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21-6-98 को नोटिस दाता मा० विधायक जी द्वारा भी दिया गया ।

3–यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि गत वर्ष कराये गये कार्यों की जांच तकनीकी सम्परीक्षण प्रकोष्ठ से कराई गई थी । इस वर्ष भी नोटिसदाता माननीय विधायक जी की शिकायत पर मंडलायुक्त आगरा द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में कराये गये कार्यों की जांच के लिये एक तकनीकी समिति का गठन कर लिया गया है, जिसके अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग तथा मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता सदस्य हैं ।

4–अन्ततः अभी तक कराई गई जांच से शासकीय धन के दुरुपयोग की कोई बात प्रकाश में नहीं आयी है । जहां तक मामले की जांच सी० बी० सी० आई० डी० की आर्थिक शाखा से कराये जाने का प्रश्न है इसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है । वर्तमान में नाले के जल प्रवाह में कोई अवरोध नहीं है ।]

डफरिन महिला चिकित्सालय गोलागंज लखनऊ में फंगस ग्लूकोज इंजेक्शन से कई लोगों के मरने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

डफरिन महिला अस्पताल, गोलागंज, लखनऊ में फंगस युक्त ग्लूकोज इंजेक्शन से लोगों के मरने की कथित शिकायत की जांच व सत्यापन कार्य अपर निदेशक लखनऊ मंडल को सौंपी गई थी अपर निदेशक द्वारा प्रश्नगत ग्लूकोज के बैच संख्या–ए० बी० 135-निर्माण/95 कालातीत जनवरी, 1998 के 10 प्रतिशत ग्लूकोज (डैक्स्ट्रोज) के नमूने महिला चिकित्सालय, गोलागंज लखनऊ से औषधि निरीक्षक द्वारा करवाकर जांच हेतु जन विश्लेषक, उ० प्र० को भेजे गये थे । जन विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 29-4-97 द्वारा प्रश्नगत ग्लूकोज की बोतलें मानक के अनुरूप एवं जीवाणु रहित घोषित की गईं । तदनुसार फंगस युक्त ग्लूकोज क्रय करने एवं उसके प्रयोग की शिकायत असत्य पाई गई । ग्लूकोज के चढ़ाने से चिकित्सालय के किसी भी रोगी की मृत्यु होने की खबर भी असत्य पाई गई ।

जांच अधिकारी द्वारा चिकित्सालय के रोगियों से बातचीत भी की गई और सभी रोगी संतुष्ट पाये गये तथा किसी भी रोगी की ग्लूकोज से मरने की पुष्टि जांच में नहीं हुई । बी काम्पलेक्स इंजेक्शन घटिया किस्म के क्रय करने की शिकायत की भी जांच, जांच अधिकारी द्वारा की गयी ।उक्त बैच नम्बर के बी-काम्पलेक्स इंजेक्शन के नमूने की जांच राजकीय जन विश्लेषक, उ० प्र० द्वारा कराई गई ।जन विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 24-9-96 द्वारा बी-काम्पलेक्स इंजेक्शन के 5 वाइल्स में से एक वायल में सस्पेक्टेड पार्टीकल्स का पाया जाना सूचित किया गया था । बी-काम्पलेक्स के प्रश्नगत इंजेक्शन की प्रमुख अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय लखनऊ द्वारा निर्माता फर्म से 1403 बाइल्स बदलवा लिये गये थे । यह कार्यवाही उक्त शिकायत प्राप्त होने से पूर्व ही कर ली गई थी । अब तक फंगस युक्त बी-काम्पलेक्स इंजेक्शन अथवा ग्लूकोज इंजेक्शन के लगाने से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई और न ही इस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया गया है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सालय के प्रशासन एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य विवाद होने के फलस्वरूप ही इस संबंध में उक्त शिकायत में उक्त औषधियों के तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाना जांच अधिकारी द्वारा पाया गया । यह भी कहना असत्य पाया गया कि उक्त चिकित्सालय में मरीजों की संख्या घटकर 50 रह गई है । वर्तमान में पर्याप्त संख्या में मरीज भर्ती होकर उपचारित हो रहे हैं ।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा क्षेत्र में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोयडा क्षेत्र में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय शासन द्वारा दिनांक 27-8-97 को लिया गया था एवं तद्नुसार दिनांक 3-9-97 को एक संस्थापक समिति का गठन किया गया था । जिसमें निम्नलिखित सदस्य रखे गये थे ।

1–श्री बी०के० कौल, सेवानिवृत्त कैबिनेट सचिव, भारत सरकार एवं भारत के अमेरिका में पूर्व राजदूत ।	अध्यक्ष
2–श्री जी० के० अरोरा, पूर्व वित्त सचिव एवं सचिव, प्रधान मंत्री भारत सरकार ।	सदस्य
3–प्रो० वी० पी० सिंह, यू० जी० सी० इमेरेठिस फेलो	सदस्य
4–प्रो० ए० के० खन्ना, पूर्व अध्यक्ष, ए० आई० सी० टी० ई० पूर्व उपाध्यक्ष, यू० जी० सी० ।	सदस्य
5–अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा श्री अशोक खुराना ।	सदस्य-सचिव ।

संस्थापक समिति द्वारा उक्त विश्वविद्यालय की रूप-रेखा तैयार करने में भी एजूकेशनल कन्सलटेंट इंडिया लि० को इंगेज किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1998 में दी थी । इस

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रिपोर्ट का शासन द्वारा गहराई से परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये जो अधिनियम प्रस्तावित हैं वह विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से काफी भिन्न हैं।

भिन्नताओं की प्रश्नगत समस्याओं के संबंध में 27-6-98 को उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें संस्थापक समिति एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सम्प्रति शासन इस संबंध में विचार कर रहा है।]

विधान सभा क्षेत्र बछरावां जनपद रायबरेली की कतिपय ड्रेनों के अर्द्धनिर्मित पुलों के निर्माण विषयक श्री श्याम सुन्दर भारती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत महराजगंज ड्रेन के कि०मी० 86.00 पर कोटवा मदनियां के पास, बछरावां ड्रेन के कि०मी० 0.5 पर ककरिया रायपुर के पास अगांवा ड्रेन के कि०मी० 4.3 पर अर्द्धनिर्मित पुलों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ इसिया ड्रेन के कि० मी० 28.70 पर कन्नावा और पठान गांव के मध्य राय खेड़ा (सेहगो पूरब गांव के पास) बी० आर० बी० के निर्माण की आवश्यकता है, जिसका निर्माण भी इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक कराये जाने का प्रस्ताव है।]

गोण्डा जनपद की मसकनवां, वजीरगंज तथा बभनान बाजारों को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना प्रस्तुत करते हुये उल्लेख किया है कि प्रदेश में जब से यह सरकारी आयी है, उसी समय से प्रदेश का विकास कार्य अवरुद्ध हो गया। जनपद गोण्डा में वजीरगंज, कस्बा बाजार और मसकनवा बाजार, बभनान बाजार जो बहुत ही पुरानी बाजार है, उक्त बाजारों में बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं, जो ग्राम सभाओं के द्वारा समस्याओं के निराकरण नहीं किया जा सकता। बाजारों में न खड़न्जा लगा है और जल भराव होने के कारण बाजार में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर बरसात के मौसम में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। क्षेत्रीय जनता बराबर मांग कर रही है कि उक्त बाजारों की जनसंख्या 15,000 से ऊपर है और नगर पंचायत बनाने की मांग को शासन का ध्यान मेरे द्वारा लाया गया है, यदि मसकनवां, वजीरगंज और बभनान बाजारों को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाय, तो वहां की जनता की समस्याओं का निराकरण हो सकता है।

उपरोक्त के संबंध में स्थिति यह है कि किसी भी ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 1986 में यह व्यवस्था है कि जिस ग्राम की आबादी 20,000 होगी उसे ही नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा। मा० विधायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में गोण्डा जनपद के वजीरगंज कस्बा बाजार और मसकनवां बाजार और बभनान बाजार की आबादी 15,000 के ऊपर बताई गई है, जो निर्धारित मानक को पूरा नहीं करती है। उक्त तीनों बाजारों को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के संबंध में जिलाधिकारी गोण्डा से सूचना प्राप्त की जा रही है। जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही नगर पंचायत घोषित किये जाने के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 10-9-86 के परिपेक्ष्य में निमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।]

विधान भवन परिसर में पान बीड़ी, सिगरेट तथा पान मसाले आदि के खाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उ० प्र० सचिवालय में स्वच्छता बनाये रखने और सुरक्षा के उद्देश्य है । धूम्रपान न करने और पान की पीक न डालने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये जा रहे हैं । इस संबंध में सचिवालय नियम संग्रह के नियम–56 में यह व्यवस्था की गई है कि कार्यालय अधिष्ठान का कोई भी सदस्य स्वाल्पाहार कक्ष व खुले स्थान के अतिरिक्त सचिवालय भवन के किसी भी भाग में धूम्रपान नहीं करेगा । सचिवालय के अनुभागों तथा सचिवालय भवन के बरामदों में धूम्रपान पूर्णतया निषिद्ध किया गया है । सचिवालय के अनुभागों के अन्दर धूम्रपान न हो और पान की पीक न डाली जाये, इसके लिये अनुभाग अधिकारियों तथा बरामदों एवं सीढ़ियों पर ऐसा न हो, इसके लिये विधान भवन रक्षकों को पूर्णतया उत्तरदायी बनाया गया है ।

इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों/अनुभाग अधिकारियों/विधान भवन रक्षकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जानें का प्राविधान है । सचिवालय परिसर की स्वच्छता तथा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पान, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि की दुकानें अभी कुछ महीनें पूर्व सचिवालय परिसर से हटा दी गई हैं । इस प्रकार सचिवालय परिसर की सुरक्षा व स्वच्छता के लिये पान, बीड़ी, सिगरेट तथा पान मसाला के सेवन पर समुचित प्रतिबन्ध लगाये जाने के साथ-साथ उक्त वस्तुओं की दुकानें भी परिसर से हटा दी गई हैं ।]

जनपद उन्नाव में राज्य स्तर से बनी सड़कों के शेष कार्य के लिये अपेक्षित धनराशि अवमुक्त न किये जाने से उसका निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण जन सामान्य के आवागमन बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय विधायक श्री दीपक कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 17-7-1998 को दी गई सूचना जनपद उन्नाव में राज्य स्तर से बनी सड़कों की स्थिति निम्नवत् है :–

सिकन्दरपुर सरोसी ब्लाक के अन्तर्गत सरोसी–शंकरपुर वाया पिडोरखा मार्ग–

राज्य योजना 1994 में दिनांक 19-9-94 को सिरोसी से पिडोरखा होते हुये शंकरपुर तक अधूरे मार्ग का निर्माण नाम से 5.00 कि०मी० लम्बाई हेतु रु० 14.60 लाख की स्वीकृति है । इस पर 3/98 तक कुल व्यय 3.99 लाख रुपये है इससे अभी तक कुल 3.00 कि०मी० टाप-कोट स्तर तक तथा 2.00 कि०मी० लेपन स्तर तक कार्य हो चुका है ।

सिकन्दरपुर से हाजीपुर मार्ग–

यह मार्ग सिकन्दरपुर-सरोसी से वर्धना मार्ग के नाम से राज्य योजना 1994 में दिनांक 19-09-94 से 5.00 कि०मी० लम्बाई के लिये रु० 20.50 लाख हेतु स्वीकृत है । इसमें अब तक 4.00 कि०मी० पी०–1 (लेपन स्तर) तक कार्य पूर्ण है । अवशेष 01 किमी० टाप-कोट का कार्य प्रगति पर है । 3/98 तक इस पर कुल व्यय रु० 13.50 लाख है । इस वर्ष इस कार्य पर रु० 6.00 लाख का अनुदान प्राप्त है । इनके विरुद्ध कार्य प्रगति पर है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सिकन्दरपुर से भीमेश्वर मार्ग–

यह मार्ग राज्य योजना 1994 में सिकन्दरपुर-भीमेश्वर मार्ग करीमाबाद से ऐरा भदियार चौराहे से भीमेश्वर मंदिर तक के नाम से दिनांक 19-9-94 को 5.00 किमी० लम्बाई हेतु रु० 15.30 लाख स्वीकृत हुआ था । इसके अन्तर्गत अब तक कुल 3.25 कि०मी० में पी०–1 (लेपन स्तर) तक तथा 1.75 कि०मी० में टाप-कोट स्तर तक कार्य पूर्ण है । 3/98 तक इस पर कुल व्यय रु० 15.25 है । इस वित्तीय वर्ष में इस कार्य पर रु० 2.00 लाख का अनुदान प्राप्त है । इसके विरुद्ध कार्य प्रगति पर है ।

पतारी से राजेपुर मार्ग –

यह मार्ग राज्य योजना 1996 में 3.65 कि०मी० लम्बाई हेतु रु० 18.62 लाख की इसी नाम से स्वीकृत हुआ था । इसके अन्तर्गत अब तक 2.00 कि० मी० पी०–1 (लेपन स्तर) तक कार्य पूरा किया जा चुका है । 3/98 तक कुल व्यय 4.66 लाख है ।

पूरा से पवई–

यह मार्ग राज्य योजना 1994 में पूरा निस्पंसारी से धोकलखेड़ा मार्ग नाम से दिनांक 31-03-94 को 4.00 कि०मी० लम्बाई हेतु रु० 16.13 का स्वीकृत है । इस पर अब तक कुल 800 मीटर में टाप-कोट स्तर तक कार्य पूर्ण हुआ है । इस पर 3/98 तक कुल व्यय 3.99 लाख है । इस पर इस वित्तीय वर्ष में कोई अनुदान प्राप्त नहीं है । इसलिये निर्माण कार्य रुका है ।

बिछिया ब्लाक के अन्तर्गत

टीकर से विरक्षी मार्ग–

टीकर गढी से विरक्षी मार्ग के नाम से यह मार्ग राज्य योजना 1994 में दिनांक 31-03-94 को 6.50 कि०मी० लम्बाई हेतु रु० 16.59 लाख लागत का स्वीकृत है । इस पर अब तक कुल 5.00 कि०मी० टाप-कोट तक कार्य पूर्ण है तथा 3 कि०मी० में पी०–1 (लेपन स्तर तक) कार्य पूर्ण है । इस पर 3/98 तक कुल व्यय 16.40 लाख है । इस वित्तीय वर्ष में अनुदान 2.70 लाख है । इसके विरुद्ध निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

सिकन्दरपुर करन ब्लाक के अन्तर्गत

करमी से बन्दीपुरवा–

यह कार्य जिला योजना वर्ष 90-91 के अन्तर्गत करमी, बिजलामऊ से बन्दीपुरवा नाम से 4.60 कि०मी० लम्बाई हेतु 18.40 लाख की स्वीकृति है । इसमें 3.00 कि०मी० में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है । शेष 1.60 कि०मी० में कार्य पूर्ण करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में प्राविधान किया गया है । जिसके अनुसार कार्य प्रगति में हैं ।]

एम० बी० बी० एस० शिक्षार्थियों पर सप्लीमेन्ट्री बैच हेतु कैरी आन करने हेतु जारी शासनादेश संख्या-203/71-3-98-20/97, दिनांक 19 जनवरी, 1998 कालेज सहित प्रदेश के मेडिकल कालेजों में लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न प्रदेश व्यापी स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी मा० सदस्य ने नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में पूरक परीक्षा पद्धति में छात्रों को कैरी आन पद्धति के अन्तर्गत लाभ देने हेतु जारी शासनादेश संख्या–203/71-3-90-20/97, दिनांक 19 जनवरी, 1998 का अनुपालन मेरठ मेडिकल

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कालेज द्वारा न किये जाने से यहां के छात्र मारे-मारे फिर रहे हैं। छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है और शासन अपने को असमर्थ पा रहा है।

2–इस संबंध में सूच्य है कि शासनादेश संख्या–203/71-3-98-20/97, दिनांक 19 जनवरी, 1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को अगले प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ने की अनुमति दे दी जाये तथा जिस विषय में उसे अनुपूरक परीक्षा देनी हो अपने सामान्य अध्ययन के साथ-साथ उसे उस विषय की अनुपूरक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाये किन्तु जब तक छात्र/छात्रा अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तब तक उसे अगली प्रोफेशनल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। छात्र-छात्रा जिस विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, तो उन विषयों की अनुपूरक परीक्षा मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की नीति के अनुसार 4-6 माह के अन्दर ही करा ली जायेगी।

3–मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज मेरठ में उक्त शासनादेश लागू होने के पश्चात् प्रथम प्रोफेशनल एम० बी० बी० एस० कोर्स की परीक्षायें मार्च, 1998 में प्रारम्भ हुई थीं जिसका परीक्षाफल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से 14-5-98 को प्राप्त हुआ था। उससे पूर्व ही मेरठ मेडिकल कालेज के पत्रांक एस०–1/98/1868, दिनांक 8 मई, 1998 द्वारा संदर्भित शासनादेश संख्या–203/71-3-98-20/97, दिनांक 19 जनवरी, 1998 के अनुपालन में प्रथम प्रोफेशनल एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण दोनों श्रेणी के विद्यार्थियों को द्वितीय प्रोफेशनल एम० बी० बी० एस० की कक्षाओं को अटैण्ड करने के आदेश निर्गत किये गये थे। अतः अनुत्तीर्ण छात्र भी उत्तीर्ण छात्रों के साथ द्वितीय प्रोफेशनल एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं।

4–उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–203/71-3-98-20/97, दिनांक 19 जनवरी, 1998 का अनुपालन मेरठ मेडिकल कालेज में किया जा रहा है।]

प्रदेश में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जातियों के कर्मियों के उत्पीड़न के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के कार्मिकों का उत्पीड़न कभी भी नहीं किया गया है। श्री पी० के० शरद सहायक अधिकारी को आठ माह में महत्वहीन विभाग में स्थानान्तरित करने के संबंध में अवगत कराना है कि निगम मुख्यालय पर कोई भी विभाग महत्वहीन नहीं है। सभी विभागों का अपना-अपना महत्व है। निगम मुख्यालय के अन्तर विभागीय स्थानान्तरण कर्मचारी/अधिकारी की उपयोगिता एवं कार्यहित को ध्यान में रखते हुये किये जाते हैं। जिससे अधिकारी/कर्मचारी के पद, वेतन एवं अन्य हित लाभ प्रभावित नहीं होते हैं। अतः स्थानान्तरण से किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होता है।

2–श्री पी० के० शरद, निगम में दिनांक 3-2-1982 से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं सहायक अधिकारी के पदों पर अलग-अलग विभागों में कार्यरत रहे हैं। दिनांक 1-8-97 से 1-6-98 तक श्री पी० के० शरद, कार्मिक विभाग में कार्यरत रहे। गन्ना विभाग में कार्य अधिक होने के कारण उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये दिनांक 27-5-98 को इन्हें कार्मिक विभाग से गन्ना विभाग में स्थानान्तरित किया गया। इसी आदेश में पांच और अधिकारियों का स्थानान्तरण एक विभाग से दूसरे

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग में किया गया । जिसमें श्री नेक राम, अधिकारी (अनुसूचित जाति) को शर्करा तकनीकी विभाग से कार्मिक घिभाग में स्थानान्तरित किया गया है ।

3–कार्मिक एवं अन्य विभागों में 18-20 वर्षों से जो भी सहायक/अधिकारी कार्य कर रहे हैं, हमेशा ही उनकी उपयोगिता संबंधित विभाग के लिये उपयुक्त पाई गई जिससे उन्हें अन्य विभाग में स्थानान्तरित नहीं किया गया है । इन अधिकारियों में अनुसूचित व अन्य सभी जातियों के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं । वर्तमान में कार्मिक विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई सर्तकता जांच या अन्य जांच नहीं चल रही है । कार्मिक विभाग में अधिकारी संवर्ग में चार में से तीन अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं एवं एक अल्पसंख्यक वर्ग के हैं । वर्तमान में कुल 20 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 10 (दस) अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के अधिकारी/कर्मचारी कार्मिक विभाग में कार्यरत हैं ।

4–इससे स्वतः स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के प्रतिनिधित्व पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है । उल्लेखनीय है कि श्री पी० के० शरद द्वारा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका दायर की गई थी । जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुये स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने की याचना की गई थी जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-7-98 को सुनवाई के पश्चात् श्री पी० के शरद की याचिका को निरस्त कर दिया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि शरद द्वारा या उनके संबंध में उठाये गये बिन्दु बलहीन हैं एवं तर्कसंगत नहीं है । ।

जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत जूनामई ब्लाक के कतिपय ग्रामों में बाढ़ एवं गंगा की कटान से पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने एवं राहत दिलाये जाने के संबंध में श्री ओंकार सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। जिलाधिकारी बदायूं से प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहसवान जनपद बदायूं के ब्लाक जूनामई के ग्राम सिगोला पक्का, रुथड़ा, मेगड़ा, समसपुर गंग तथा फतेहपुर आदि गंगा के किनारे बसे हुये हैं । वर्षा ऋतु में मध्यम एवं उच्च बाढ़ होने पर प्रत्येक वर्ष इन गांवों में तथा कृषि भूमि में जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । जिसे क्षति होना स्वाभाविक है ।

ग्राम सिगोला पुख्ता, रुथड़ा, समसपुर गंग तथा फतेहपुर विगत वर्षों से आई बाढ़ के कारण कट चुके हैं । ग्राम मैंगरा में कोई कटान नहीं हुआ है ।

ग्राम समसपुर गंग के लगभग 40 परिवार सड़क के किनारे अस्थाई ढाबा बनाकर रह रहे हैं । इन लोगों के लिये ग्राम दुगाइल और बिरवारी में पुनर्वासित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है । इस समय प्रश्नगत क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति है किन्तु किसी जनजीवन और पशु जीवन को कोई खतरा नहीं है । समस्त राजस्व प्रशासन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पूरी चौकसी बनाये हुये हैं । ।

महानगर कानपुर के ऐतिहासिक श्री सिद्धनाथ मन्दिर व मकदूम शाह बाबा मजार तथा गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई एवं पूर्वी छोर के 50 गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पानी भरा रहने, जगह-जगह जानलेवा गड्ढे खुले मेनहोल होने से आवागमन की उत्पन्न गंभीर समस्या के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

।मा० सदस्य द्वारा कानपुर नगर के जिस प्रमुख मार्ग का उल्लेख किया गया है, निश्चित रूप से वह एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है, जिसके अनुरक्षण के लिये लोक निर्माण विभाग तथा नगर निगम, कानपुर

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दोनों ही उत्तरदायी है । इस मार्ग का अनुरक्षण कार्य समय-समय पर कराया जाता है किन्तु भारी वाहनों के आवागमन और सड़क के दोनों तरफ़ पटरियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण के कारण ड्रेनेज व्यवस्था बाधित होती है, जिसके कारण जलभराव हो जाता है और उससे सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं । समय-समय पर इस मार्ग को गड्ढा रहित किया जाता है । शासन द्वारा प्रदेश की समस्त सड़कों/मार्गों को गड्ढा रहित बनाये जाने की दिशा में एक अभियान बनाया जा रहा है । संसाधनों की उपलब्धता पर शीघ्र पूर्ण किया जायेगा ।]

प्रदेश के परिवहन विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापारियों द्वारा टोकेन रैकेट चलाकर भ्रष्टाचार एवं घोटाला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[परिवहन विभाग के वाहनों के संचालन के प्रति जारी टोकनों की स्थिति की जानकारी हेतु दिनांक 11 एवं 12 जुलाई, 1998 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मुख्यालय प्रथम दल एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ द्वितीय दल को ठोस प्रमाण प्राप्त करने हेतु कानपुर भेजा गया । दोनों अधिकारियों ने ट्रकों की सघन चेकिंग करके 13 वाहनों को बन्द किया एवं अन्य कई वाहनों के चालन किये । इन अधिकारियों द्वारा वाहनो के चालकों से उनके वाहन संबंधी प्रपत्र के बस्ते भी जब्त किये गये । इन बस्तों में टोकेन, जो विजिटंग कार्ड, करेन्सी नोट, लाटरी के टिकट एवं विभिन्न चिन्हों के कार्ड के रूप में थे, पाये गये, जिसके आधार पर ओवरलोड माल भार वाहन में ले जाये जाने की अनुमन्यता प्रदान होती थी ।

2–इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।]

आगरा महानगर में नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत कालोनियों में सीवर एवं नालों की सफाई न किये जाने तथा जलोत्तरण की समुचित व्यवस्था न होने से जन सामान्य को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश के ऐतिहासिक महानगर आगरा में सफाई, प्रकाश सीवर व्यवस्था के संबंध में मा० सदस्य द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि ऐसी कालोनी जो नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है, उनमें नगर निगम द्वारा पर्याप्त मात्रा में संसाधन न होने के कारण कार्य नहीं कराये जा पा रहे हैं । मा० सदस्य द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि सीवर लाईन जगह-जगह पर चोक हो गई है, जिसके कारण बहुत सारे क्षेत्रों में सीवर का पानी बह रहा है । जिससे संक्रामाक रोग फैलने की संभावना है । मा० सदस्य ने युद्ध स्तर पर यहां सीवर व नालों की सफाई तथा जल भराव के निकासी हेतु व्यवस्था करने की मांग की है ।

आगरा प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है, जो अपने ऐतिहासिक एवं पर्यटन महत्व के लिये एक विशिष्ट स्थान रखता है । नगर निगम आगरा द्वारा, प्रतिवर्ष वर्षा से पूर्व नालों की सफाई कराई जाती है और यह सफाई व्यापक स्तर पर कराई जाती है । यह भी प्रयास किया जाता है कि नालों से जो सिल्ट निकाली जाय, वह दोबारा नालों में न चली जाय । किन्तु कतिपय अपरिहार्य कारणों से कभी-कभी सिल्ट नहीं हटाई जा पाती है, क्योंकि वहां पर ट्रैक्टर, ट्रक आदि के पहुंचने की संभावना अत्यन्त क्षीण रहती है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

महानगर की कुछ आबादी निचले स्तर पर भी बसी हुई है । जहां पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है । इस जल भराव को दूर करने हेतु अस्थाई रूप से पम्प लगाकर पम्पिंग द्वारा दूर कर दिया जाता है । यह सही है कि आगरा विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् द्वारा जो कालोनियां विकसित की जाती हैं, उन्हें कालान्तर में नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जाता है । यह अधिग्रहण किया जाना एक प्रक्रियात्मक बाध्यता है । किन्तु अधिग्रहीत कालोनी से इतना राजस्व नहीं प्राप्त होता है कि उसके अनुरक्षण के मानक स्तर पर किया जा सके । फिर भी यथा संभव ऐसे क्षेत्रों में नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने से प्रयत्न किये जाते हैं । जहां तक प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा विकसित की गई कालोनियों की बात है, इनमें से जो कालोनी भू-विन्यास पारित कर विकसित की गई है उनकी स्थिति तो ठीक है, किन्तु भू-विन्यास प्राप्त नहीं है, उनकी स्थिति यह है कि वे निचले स्तर पर ऐसे स्थलों पर विकसित की गई है, जिन्हें आगरा विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् द्वारा आवास के योग्य नहीं पाया गया था । अतः ऐसे क्षेत्रों में नागरिक समस्याओं का निराकरण करना एक दुरुह कार्य हो जाता है ।

आगरा महानगर में सीवर की सफाई हेतु वांछित निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं । यहां पर यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि प्रदेश के जल-प्लावित क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु रु० 10.00 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई ।]

जनपद फिरोजाबाद में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लाखों रुपये की हेरा-फेरी किये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में फिरोजाबाद जिले में बीहड़ सुधार योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी तृतीय एवं चतुर्थ इकाई द्वारा कराये जा रहे कार्यों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि श्रमिकों से कार्य न कराकर उक्त कार्य ठेकेदारों व प्राइवेट ट्रैक्टरों से कराये जा रहे हैं । श्रमिकों व ट्रैक्टरों के नाम फर्जी भुगतान हो रहे हैं । कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व व कार्य निष्पादन उपरान्त क्षेत्र की फोटोग्राफी नहीं की गई है ।

जनपद फिरोजाबाद में बीहड़ सुधार योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता की शिकायतें पूर्व में श्रीमती मीना राजपूत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, फिरोजाबाद के माध्यम से प्राप्त हुई हैं । जिनमें भी इसी प्रकार के आरोप लगाये गये हैं । उक्त आरोपों की जांच किये जाने हेतु शासन के पत्र सं०–649/12-1-98-910/98, दिनांक 23 मार्च, 1998 द्वारा कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि), अपराध अनुसंधान विभाग, उ० प्र० द्वारा कराये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या–3466/12-1-98-910/98, दिनांक 14 जुलाई, 1998 द्वारा निर्गत किये गये हैं ।

विधायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत जो सूचना दी गई है, उन्हीं बिन्दुओं पर इनका पत्र दिनांक 9-7-98 जो कि शासन में दिनांक 20-7-98 को प्राप्त हुआ है, पर भी जांच कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों को मिश्रित चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा का अधिकार अक्षुण्ण रखने के लिये प्रत्येक पंजीकरण रजिस्टर बनाकर पंजीकरण के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा प्रदेश के सभी मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों को भारतीय चिकित्सा परिषद् के केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत तमिलनाडु की तरह अलग अधिनियम बनाकर पंजीकरण का रजिस्टर अलग बनाकर मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा का अधिकार दिये जाने की मांग की गई है । मा० सदस्य द्वारा सूचना के माध्यम से यह बिन्दु उठाया गया है कि प्रदेश में पूर्व वर्षों में आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों में मिश्रित चिकित्सा पद्धति के कोर्स के अन्तर्गत अध्ययन कर चुके एवं उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को मिश्रित चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत चिकित्सा के अधिकार की उपलब्धता उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 17 (3) (बी) के प्राविधानों तथा पंजाब सरकार द्वारा यहां के चिकित्सकों को मिश्रित चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत चिकित्सा का अधिकार देने, तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर मिश्रित चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा का अधिकार दिये जाने तथा मा० प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा संसद सदस्य के रूप में इस पक्ष का प्रतिपादन प्रभावी तरीके से किये जाने का आधार स्वरूप उद्धत करते हुये भारतीय चिकित्सा परिषद् के अधिनियम–1970 के अन्तर्गत पृथक अधिनियम बनाकर पंजीकरण करने तथा मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा का अधिकार दिये जाने की मांग की गई है ।

इस संबंध में स्थिति यह है कि प्रदेश के सभी मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के पूर्व स्नातकों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत पूर्व में ही किया जा चुका है तथा उक्त पंजीकरण के फलस्वरूप उन्हें उक्त चिकित्सा संबंधी प्राप्त अधिकार यथावत है । अतएव प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1939 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत चिकित्सकों में से कतिपय चिकित्सकों हेतु पृथक अधिनियम बनाकर एवं पृथक रजिस्टर बनाकर पुनः पंजीकरण की कार्यवाही किया जाना समीचीन न होगा । इस संबंध में व्यवहारिक कठिनाई यह भी आयेगी कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1939 के प्राविधानें के तहत पंजीकृत चिकित्सकों में से मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के पूर्व के स्नातकों को पृथक किया जा सकना सरल न होगा । मा० सदस्य ने पंजाब सरकार द्वारा अपने यहां के चिकित्सकों को अधिकार देने तथा तमिलनाडु सरकार की तरह पृथक अधिनियम बनाकर एवं पंजीकरण पृथक रजिस्टर बनाकर मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा का अधिकार दिये जाने का जो बिन्दु उठाया गया है उसके सन्दर्भ में आवश्यक सूचना प्राप्त की जायेगी तथा सूचना प्राप्त होने पर प्रदेश सरकार में तत्संबंधी उपलब्ध नियमों एवं मिश्रित चिकित्सा प्रणाली व्यवस्था की पूर्व पृष्ठभूमि तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम–1970 के प्राविधानें के आदि के संबंध में विस्तृत विवेचना के उपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।]

जनपद लखीमपुर खीरी में श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी डी० पी०ए० पी० लखीमपुर खीरी द्वारा कतिपय ग्रामों में अधोमानक कार्य कराये जाने तथा मजदूरों को स्वीकृत दर पर मजदूरी न दिये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद लखीमपुर खीरी में पद स्थापित भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी०, खीरी को सम्प्रति शासनादेश सं०–2573/54-2-98-25(224)/98 दिनांक 27 मई, 1998 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में स्थानान्तरित कर दिया गया है । सूखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों पर लगे श्रमिकों का भुगतान करने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर से भारत सरकार के निर्देशानुसार धनराशि सीधे जल संग्रहण समितियों को हस्तानान्तरित की जाती है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अभिलेखों के अनुसार विकास खण्ड नकहा में पिपरा नदी पार, गड़ौसा तथा नकहा में कार्य पूर्ण कराये जाने की सूचना भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा दिये जाने पर वांछित धनराशि दिनांक 26-6-98 को तथा विकास खण्ड विजुआ के रुद्रपुर गुलरिया, राजगढ़ एवं गोगावां में कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर वांछित धनराशि दिनांक 25-6-98 को संबंधित जल संग्रहण समितियों के खाते में स्थानान्तरित करा दी गई है। श्रीनगर क्षेत्र में अन्य ग्रामों ओदारा, वेल उमरिया, विकास खण्ड नकहा तथा ग्राम लखरावां, विकास खण्ड विजुआ के भुगतान हेतु दिनांक 19-6-98 तक कोई मांग लम्बित नहीं है।

इस संबंध में भूमि संरक्षण अधिकारी डी० पी० ए० पी०, खीरी ने अवगत कराया है कि वर्तमान सत्र में गत वर्षों के कार्यों का भौतिक सत्यापन योजना आयोग के मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मई, 98 के अन्तिम सप्ताह में कराया गया एवं इसके पूर्व भी विभिन्न स्तरों से कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अधोमानक स्तर का कार्य होने की बात प्रकाश में नहीं आयी है। इस प्रकरण के संबंध में जिलाधिकारी, खीरी ने अपनी आख्या में यह बताया गया है कि भूमि संरक्षण अधिकारी (डी०पी०ए०पी०)द्वारा श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत जल संग्रहण समितियों के माध्यम से मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने के संबंध में कोई शिकायत अभिकरण स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है तथा मजदूरों को स्वीकृत दर रु० 47.00 प्रतिदिन की दर से ही मजदूरी का भुगतान संबंधित जल संग्रहण समितियों के माध्यम से किया जाता है। स्वीकृति दर पर मजदूरी न दिये जाने के संबंध में भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि सभी कार्यों पर लगे श्रमिकों का भुगतान स्थानीय जन प्रतिनिधियों के समक्ष रु० 47.00 प्रतिदिन की दर से किया गया है एवं उनके द्वारा श्रमिक चिट्ठी पर तत्संबंधी प्रमाण भी अंकित किया गया है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जनपद लखीमपुर -खीरी में श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी, खीरी द्वारा कतिपय ग्रामों में अधोमानक कार्य कराये जाने तथा मजदूरों को स्वीकृत दर पर मजदूरी न दिये जाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।]

विशेषाधिकार हनन की तथा सदन की अवमानना के सम्बन्ध में दी गई सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है :–

1–डा० धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 20 अप्रैल, 1997

2–श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 23 अप्रैल, 1997

3–श्री सुधाकर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 24 अप्रैल, 1997

4–श्री प्रदीप बालियान, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 10 जून, 1997

5–श्री नन्दराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 23 जून, 1997

6–श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 15 जुलाई, 1997

7–श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 21 जुलाई, 1997

8–श्री नन्दराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 22 जुलाई, 1997

9–श्री शिवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 24 जुलाई, 1997

10–श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 29 जुलाई, 1997

11–श्री शब्बीर अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 30 जुलाई, 1997

12–श्री सरदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 11 अगस्त, 1997

13–श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 12 अगस्त, 1997

14–श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 12 अगस्त, 1997

15–श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 13 अगस्त, 1997

16–श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 16 सितम्बर, 1997

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं अग्राह्य कर दी गई हैं।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

जनपद हरदोई के प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध डा० धर्मज्ञ मिश्र द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

डा० धर्मज्ञ मिश्र सदस्य विधान सभा ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत जनपद हरदोई के प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 20-4-97 को दी है। मा० सदस्य का कथन है कि दिनांक 10 अप्रैल, 1997 को जिलाधिकारी हरदोई द्वारा विश्व बैंक योजनान्तर्गत प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की संरचना एवं समीक्षा हेतु सांसदों व विधायकों की एक बैठक विकास भवन में आयोजित की गई थी। उसी समय समाजवादी पार्टी का उ० प्र० की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश जिला मुख्यालयों पर धरना व प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उक्त बैठक में सम्मिलित होने के लिये ज्यों ही वह बैठक स्थल की ओर बढ़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जाने से रोका। घटना स्थल से थाना आकर वे पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में शामिल हो गये। तत्पश्चात् पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया उन्होंने दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से प्रारम्भ होने वाली विधान सभा की बैठक में सम्मिलित होने हेतु जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया। जिला मजिस्ट्रेट हरदोई ने मा० सदस्य के पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1997 की मूल प्रतियां संलग्न कर मा० अध्यक्ष विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया।

उक्त घटना के संबंध में मा० गृहमंत्री उत्तर प्रदेश से उनका अभिकथन प्राप्त किया गया। उक्त सूचना के संबंध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने अपने पत्र दिनांक 13 अगस्त, 1997 द्वारा अवगत कराया है कि सूचना में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच मण्डलायुक्त, लखनऊ एवं पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० से कराई गई। अतिरिक्त कतिपय बिन्दुओं पर जिला मजिस्ट्रेट हरदोई से भी स्थिति की जानकारी की गई। इस संबंध में मा० मंत्री ने अवगत कराया कि उक्त तिथि को माननीय सदस्य ने अपने सहयोगियों के साथ प्रातः 10 बजे से 10.30 बजे के बीच जिला अस्पताल, हरदोई के सामने सड़क पर खड़ी पुलिस की जीप पर पथराव कर क्षतिग्रस्त किया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय आदि सरकारी भवनों को पथराव क्षतिग्रस्त करने सरकारी अभिलेखों तथा सरकारी वाहनों को नष्ट करने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 218/97 धारा 147/333/356/427 आई०पी०सी० धारा 7 क्रिमनल ला एमेन्डमेन्ट एक्ट धारा 3 प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट तथा कतिपय अन्य मुकदमों के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी की गई सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक की संयुक्त आख्या व अन्य अभिलेखों के परीक्षण से विदित होता है

कि जिनने व्यक्तियों के साक्ष्य लिये गये थे। श्री मिश्र के पक्ष में थे किन्तु इन व्यक्तियों के बयानों में विसंगति से स्पष्ट होता है कि माननीय सदस्य उक्त तिथि को 10 से 10.30 बजे के बीच कलेक्ट्रेट में थे। अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भी माननीय सदस्य व उनके सहयोगियों को तोड़फोड़ में शामिल होना बताया गया है। माननीय सदस्य ने इसके विरोध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

मण्डलायुक्त ने अपनी आख्या में इस तथ्य को अंकित किया है कि दिनांक 11 अप्रैल, 1997 को दैनिक आज, अमर उजाला व हिन्दुस्तान आदि समाचार पत्रों में माननीय सदस्य एवं सहयोगियों द्वारा सरकारी अभिलेखों में क्षतिग्रस्त संबंधी चित्र प्रकाशित किये गये हैं। दिनांक 10 अप्रैल, 1997 को जिलाधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के अंगरक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में जांच किये जाने पर ज्ञात होता है कि उक्त तिथि को प्रातः 10 बजे से 10.30 बजे के मध्य माननीय सदस्य भीड़ के साथ विकास भवन पर तोड़फोड़ किये परन्तु अंगरक्षक द्वारा उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

दिनांक 10 अप्रैल, 1997 की घटना की सूचना माननीय सदस्य ने दिनांक 20 अप्रैल, 1997 को दी जो विलम्बित भी है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य के उक्त कृत्यों का संबंध सदन अथवा उसकी समिति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं है। उक्त सूचना जिला हरदोई के प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध दी गई है। जिसमें किसी का नाम अथवा पता इत्यादि का उल्लेख नहीं है विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना किसी व्यक्ति विशेष के नाम से दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1985-89 के पृष्ठ 287 पर निर्णय संख्या 615 के अनुसार जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के प्रशासनिक कृत्यों के संबंध में विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं उठाया जा सकता है। उक्त निर्णय में यह कहा गया है कि माननीय सदस्य के प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ है, तो उन्हें सामान्य कानून के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है।

वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न प्रागदर्शन में अंतर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है। अतः मैं माननीय सदस्य की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल पूर्व विधायक को पकड़ने हेतु ली गई कमरे की तलाशी के संबंध में सी० ओ० हजरतगंज लखनऊ के विरुद्ध श्री अरिमर्दन सिंह द्वारा विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत सी० ओ० हजरतगंज, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 25-4-97 को दी है। मा० सदस्य का आरोप है कि दिनांक 15-4-97 को उनकी सरकारी आवास एफ- 5 पार्क रोड, लखनऊ पर पुलिस क्षेत्राधिकारी हजरतगंज के नेतृत्व में छापा डाला गया तथा हमीरपुर के पूर्व विधायक श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल को पकड़ने के संबंध में उनके कमरे की तलाशी ली तथा उनके कमरे में मौजूद क्षेत्रीय लोगों से पूंछतांछ की जिससे उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

उक्त प्रसंग में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की गई इस संबंध में संसदीय कार्यमंत्री ने अपने पत्र दिनांक 16-7-97 में यह सूचित किया कि प्रश्नगत मामले में जांचोपरान्त यह पाया गया कि थाना हजरतगंज लखनऊ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 238/97 धारा 392 आई० पी०

सी० में वांक्षित अभियुक्त अजय उर्फ कन्हैया हमीरपुर के पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह के सम्पर्क में है जो इनके साथ पार्क रोड स्थिति आवास संख्या–5 में देखा गया और यदि, तलाश की जाय तो मिल सकता है । इस सूचना के आधार पर मा० विधायक के आवास की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुये रात्रि 11.00 बजे के आसपास श्री अशोक सिंह पुत्र विधायक के संबंध में जानकारी की गई ताकि अभियुक्त अजय उर्फ कन्हैया का पता चल सके किन्तु उसका पता नहीं लगा ।

दिनांक 15 अप्रैल, 1997 की घटना की सूचना मा० सदस्य ने दिनांक 23 अप्रैल, 1997 को दी जो विलम्बित भी है । इसके अतिरिक्त मा० सदस्य के यहां पड़ी दविश में सदन अथवा उसकी समिति के कार्य से कोई संबंध नहीं है । अध्यक्ष पीठ से दिये गये नियमों का संकलन (1985-89) के पृष्ठ 287 पर निर्णय संख्या 615 के अनुसार जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के प्रशासनिक कृत्यों के संबंध में विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं उठाया जा सकता । उक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि मा० सदस्य के प्रति यदि कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उन्हें सामान्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है ।

वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न प्राग्दर्शन में अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः मैं मा० सदस्य की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

प्रथम सत्र 1997 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में श्री सुधाकर सिंह द्वारा पशुधन एवं मत्स्य राज्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री सुधाकर सिंह, सदस्य विधान सभा ने उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को अभिसूचित की है । मा० सदस्य का कथन है कि विधान सभा के 1997 के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर सदन में गलत देकर गुमराह किया गया है । माननीय सदस्य का यह भी आरोप है कि चयनित मछुवारों को आवास आवंटन नहीं किये गये हैं जबकि माननीय मंत्री द्वारा सूचना दी गई है कि प्रश्नगत आवास चयनित मछुवारों को आवंटित किये जा चुके हैं । मा० सदस्य का आगे यह भी कथन है कि एक भी आवास अभी तक मछुवारों को आवंटित नहीं किया गया है ।

उक्त प्रसंग में राज्य मंत्री, दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी की गई । मा० राज्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1997 द्वारा यह सूचित किया है कि प्रश्नगत आवास चयनित मछुवारों को सहायक निदेशक, मत्स्य मऊ के आवंटन प्रमाण-पत्र दिनांक 19-4-97 द्वारा आवंटित किये गये हैं । इस संबंध में उक्त आवंटन प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियां भी माननीय मंत्री द्वारा प्रमाण स्वरूप संलग्न की गई है । उल्लिखित लाभार्थियों अभ्यर्थियों ने दिनांक 29-4-97 से अपने परिवार के साथ नियमित रूप से इन आवासों में रहना प्रारम्भ कर दिया है । माननीय राज्यमंत्री ने उक्त अध्यासियों द्वारा किये गये शपथ-पत्र की प्रतिलिपियां भी प्रमाण स्वरूप संलग्न की हैं । इस प्रकार माननीय राज्यमंत्री का कथन है कि उनके विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

मा० सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की अभिसूचित सूचना तथा राज्यमंत्री द्वारा प्रेषित वस्तुस्थिति के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है और उन्होंने सदन को किसी प्रकार गुमराह नहीं किया है ।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः मैं माननीय सदस्य की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

आई० जी० (प्रशासन) श्री चमन लाल तथा सिपाही श्री राकेश कुमार द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार द्वारा विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रदीप कुमार सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत आई०जी० (प्रशासन) श्री चमन लाल तथा सिपाही श्री राकेश कुमार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 10-6-97 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 19-6-97 को जनहित की समस्याओं के संबंध में श्री चमन लाल आई-जी० (प्रशासन) द्वारा 11.15 बजे पूर्वाह्न मिलने का समय देने पर जब ये उनसे मिलने उनके कार्यालय गये तो उनके कार्यालय पर तैनात सिपाही राकेश कुमार से प्रतीक्षा के लिये बैठने को स्थान पूछा तो उसने उपहास उड़ाते हुये कहा कि यहां तो सभी विधायक लाइन में खड़े रहते हैं । बाद में आई० जी० ने आधे घण्टे प्रतीक्षा करने के पश्चात् मिलने से मना कर दिया जिससे विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना हुई ।

उक्त प्रसंग में श्री चमन लाल आई०जी० (प्रशासन) से वस्तु स्थिति की जानकारी की गई । उन्होंने अवगत कराया कि श्री प्रदीप बालियान, सदस्य, विधान सभा ने जब दिनांक 10-6-97 को सुबह 9.30 बजे जनहित की समस्याओं के लिये वार्ता करने की समय मांगा तो उन्हें 11.15 पर कार्यालय में मिलने को कहा गया और जब माननीय सदस्य कार्यालय मिलने आये तो वहां पर तैनात सिपाही राकेश कुमार ने बताया कि डी०जी०पी० के यहां मीटिंग में गये हैं । जब माननीय सदस्य ने पूछा कि प्रतीक्षा करने का स्थान कहां है तो सिपाही ने बताया कि यहां जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं उसी पर बैठकर लोग इन्तजार करते हैं ।

यह पूछे जाने पर कि विधायकों के लिये आगन्तुक कक्ष कहां है ? इस पर सिपाही ने कहा कि यहां आगन्तुक कक्ष नहीं है अपितु अनुभाग–4 के बगल में एक कक्ष है वहां बैठकर आप इन्तजार कर लीजिये । माननीय सदस्य को वह कक्ष बताने के लिये स्वागत कक्ष ले गया । पुलिस महानिरीक्षक के आने पर सिपाही उन्हें बुलाने गया तो माननीय सदस्य वहां नहीं थे । पुलिस महानिरीक्षक का कथन है कि जहां तक माननीय सदस्य के उपरान्त मिलने से मना करने का प्रश्न है कि माननीय सदस्य के पुनः आने की सूचना उन्हें नहीं दी गई अन्यथा वे अवश्य मिलते तथा उनकी जन समस्याओं का निराकरण करते । उन्होंने अपने 24 वर्ष की विशिष्ट सेवाओं का उल्लेख करते हुये यह अवगत कराया कि अभी तक किसी जन प्रतिनिधि से यह शिकायत नहीं है कि उनसे नहीं मिले । पुलिस महानिरीक्षक ने यह भी अवगत कराया कि सिपाही राकेश कुमार ने माननीय सदस्य को जानबूझकर परेशान करने का प्रयास नहीं किया जो माननीय सदस्य की गरिमा के विरुद्ध हो । फिर भी सिपाही को भविष्य में और जागरूक रहने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । अन्त में उन्होंने उक्त संबंध में माननीय सदस्य की हुई असुविधा के लिये खेद व्यक्त किया है ।

वर्णित परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० सदस्य द्वारा जो सूचना दी गई है उससे माननीय सदस्य के सदन से संबंधित कार्यों में अथवा सदन की किसी समिति के सदस्य के रूप में

उनके कृत्यों से इसका कोई संबंध नहीं है । प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः मैं माननीय सदस्य के इस विषय को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं प्रदान करता हूं परन्तु इस संबंध में शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि शासन द्वारा समय-समय पर माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार से संबंधित जारी किये गये शासनादेशों का अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाय ।

...र्य-मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बुलाये जाने संबंधी विधान सभा के पत्र को जिलाधिकारी बरेली द्वारा समय से उपलब्ध न कराये जाने संबंधी श्री नन्दराम द्वारा जिलाधि...री बरेली तथा अन्य कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार ह... ...ी सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री नन्दराम सदस्य, विधान सभा उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 6[3][4] के अन्तर्गत श्री आर०एस० श्रीवास्तव, जिलाधिकारी बरेली एवं उनके कार्यालय कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 23-6-97 को दी है । मा० सदस्य की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति 1997-98 में उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया गया था और उक्त समिति की दिनांक 17-4-97 को होने वाली बैठक में बुलाये जाने संबंधी पत्र विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 12-4-97 को स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 15-4-97 को, फैक्स द्वारा जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से उन्हें भेजा गया था, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा उक्त सूचना समय से माननीय सदस्य को उपलब्ध न कराये जाने के कारण बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके । इससे मा० सदस्य को विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना हुई है ।

उक्त प्रसंग में मा० मुख्य मंत्री जी से जानकारी की गई । नियुक्ति अनुभाग–5 के पत्र संख्या 4717/2-5-97-22(49)/72, दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के साथ जिलाधिकारी बरेली का अभिकथन प्राप्त हुआ है । जिलाधिकारी बरेली ने अपने अभिकथन में कहा है कि प्रश्नगत मामलों में कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक की सूचना संबंधी फैक्स द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 12-4-97 शिविर कार्यालय में दिनांक 15-4-97 को प्राप्त हुआ जिस उसी दिन मा० सदस्य को प्राप्त कराने हेतु तहसीलदार फरीदपुर को भेजा गया । उक्त पत्र को तहसीलदार के चपरासी द्वारा मा० सदस्य को उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया परन्तु उनके आवास पर ताला लगा होने के कारण उनके आवास से लगभग दो सौ मीटर दूर उनके एक परिचित श्री प्रदीप जायसवाल के मेडिकल स्टोर पर उपरोक्त पत्र प्राप्त कराया गया ।

पूर्व में भी उनकी अनुपस्थिति में प्रायः उनके पत्र उक्त मेडिकल स्टोर को प्राप्त कराये जाते रहे हैं । मेडिकल स्टोर के मालिक द्वारा उक्त पत्र मा० सदस्य को दिनांक 17-4-97 को प्राप्त कराया गया । स्पीड पोस्ट से भेजे गये पत्र के संबंध में सूचित किया गया है कि ऐसे पत्रों का लेखा जोखा न होने के कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त पत्र कब और कहां भेजा गया है । जिलाधिकारी बरेली ने मा० सदस्य को स्पीड पोस्ट से भेजी गई सूचना समय से उपलब्ध न कराने के संबंध में संबंधित कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने की बात कही है । नियुक्ति अनुभाग–5 के पत्र दिनांक 11-11-97 के साथ जिलाधिकारी बरेली की आख्यानुसार उक्त सूचना माननीय सदस्य के आवास में ताला लगा होने के कारण माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं कराई जा सकी । अतः उक्त मामले में जिलाधिकारी, बरेली की कदाचरण परिलक्षित नहीं होती । फिर भी जो लापरवाही बरती गई उसके संबंध में शासन से यह अपेक्षा है कि सदन तथा उसकी समितियों की बैठकों की महत्वपूर्ण सूचना संबंधित माननीय सदस्य को दिये जाने की व्यवस्था तत्परता से सुनिश्चित की जानी चाहिये ।

अतः वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न ही अन्तर्ग्रस्त होता हुआ नहीं प्रतीत होता है । अतः मैं माननीय सदस्य की उपरोक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

प्रथम सत्र 1997 के प्रथम बुधवार दिनांक 23-4-97 को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा सिंचाई मंत्री के विरुद्ध की गई विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 15 जुलाई, 1997 को दी गई है ।

सूचना में मा० सदस्य की शिकायत है कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1997 के प्रथम बुधवार दिनांक 23-4-97 को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–29 के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने जनपद हरिद्वार में 20.50 कि०मी० लम्बाई के भोगपुर वालावाली बांध की योजना की पुनरीक्षित लागत के संबंध में सदन को गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया है जिससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है ।

उक्त प्रसंग में माननीय सिंचाई मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की गई । मा० मंत्री ने अपने अभिकथन में यह उल्लेख किया है कि जनपद हरिद्वार में प्रस्तावित भोगपुर-वालावाली बांध की परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य बांध नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 84वीं बैठक जो दिनांक 24/25 मार्च, 1998 को हुई थी । उस समय के मूल्यों के लागत के आधार पर रुपये 467.08 लाख आंकी गई थी ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के पत्र दिनांक 4-12-1990 द्वारा उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत दिनांक 7-9-92 को रुपये 466.84 लाख आंकी गई थी । वर्ष 1991-92 तक इस परियोजना पर रुपये 58.13 लाख का व्यय हो चुका था । इसके पश्चात् राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा बाढ़ निरोधक कार्य कराये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश को दृष्टिगत रखते हुये इस परियोजना पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता । वर्ष 1996 की दरों पर इसकी लागत रुपये 1329.00 लाख आती है । चूंकि उक्त प्राक्कलन मात्र एक प्रस्ताव के रूप में था इसलिये इसका समावेश प्रश्न के उत्तर में नहीं किया गया था । इस प्रकार उक्त योजना के पुनरीक्षित लागत के संबंध में कोई भ्रम अथवा त्रुटि मुख्य अभियन्ता (गंगा) अथवा शासन स्तर पर नहीं हुई है जिससे विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न नहीं उठता है ।

अतः वर्णित स्थिति में दिनांक 23-4-97 को मा० सिंचाई मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही नहीं प्रतीत होता है । मा० सदस्य की सूचना एवं मा० सिंचाई मंत्री के अभिकथन के अवलोकन से प्रश्नगत सूचना के प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः माननीय सदस्य की उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।

पूर्वांचल विकास निधि को समाप्त किये जाने के विरुद्ध श्री अमरमणि त्रिपाठी आदि द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री अमरमणि त्रिपाठी जी, श्री जगदम्बिका पाल व श्री चन्द्र किशोर सदस्यगण, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल

विकास निधि को समाप्त किये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 21 जुलाई, 1997 को दी है ।

माननीय सदस्यगण का कथन है कि पूर्वांचल विकास निधि से पूर्वांचल के विधायक अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उस निधि का प्रयोग करते रहे हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु मात्र 65 करोड़ रुपये पूर्वांचल के नाम, पूर्वांचल के विधायकों को प्राप्त हो रहे थे, उनको सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है । मा० सदस्यगण का कथन है कि विधायकों द्वारा उनके क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र में 5 गांवों का विद्युतीकरण, पंचायत भवन, प्रारम्भिक पाठशाला इत्यादि तमाम विकास के कार्यों का प्रस्ताव माननीय विधायकगण से किया गया था । विधायकों के इस विशेष अधिकार का हनन इस सरकार द्वारा किया गया है ।

उपर्युक्त सूचना के अवलोकन करने से स्पष्ट नहीं होता है कि माननीय सदस्यगण ने विशेषाधिकार हनन की सूचना किसी के विरुद्ध अभिसूचित की है । विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना में दोषारोपित व्यक्ति का नाम, पद एवं पता स्पष्ट होना चाहिये । जहां तक पूर्वांचल विकास निधि हेतु संसदीय प्राविधानों का विषय है । वह माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है ।

वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है । अतः मैं माननीय सदस्यों की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गलत उत्तर दिये जाने से संबंधित राजस्व मंत्री एवं जिलाधिकारी बरेली के विरुद्ध श्री नन्दराम द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री नन्दराम, सुदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत मा० राजस्व मंत्री तथा जिलाधिकारी बरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 22-7-97 को दी है । माननीय सदस्य का कथन है कि उनके द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा० राजस्व मंत्री द्वारा अपने पत्र दिनांक 15-7-98 में जिलाधिकारी, बरेली के माध्यम से ग्राम समुदा इलाका नगरिया कला के डीनोटीफिकेशन होने के कारण भूमि के आवंटन न होने की सूचना दिनांक 11-7-97 को अभिसूचित किया है । उक्त के संबंध में उन्होंने गजट नोटीफिकेशन की प्रति संलग्न की है । उनका कथन है कि मा० राजस्व मंत्री द्वारा सूचना देकर सदन को गुमराह किये जाने के कारण विशेषाधिकार का हनन हुआ है ।

उक्त प्रसंग में मा० राजस्व मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की गई । उन्होंने अपने पत्र दिनांक 30-10-97 में यह सूचित किया है कि प्रश्नगत मामलों में जिलाधिकारी बरेली से पुनः प्राप्त की गई और उनकी आख्या के अनुसार नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना में ग्राम नगरिया कला का उल्लेख है । वस्तुतः ग्राम नगरिया कला और समुदा ब्लाक नगरिया कला दोनों अलग-अलग राजस्व ग्राम हैं । ग्राम समुदा ब्लाक नगरिया कला का डिनोटीफिकेशन हो चुका है और नगरिया कला का डिनोटीफिकेशन नहीं हुआ है । उक्त पत्र के साथ मा० मंत्री जी ने मा० सदस्य को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि विचाराधीन पत्र के साथ सूचनार्थ संलग्न की है ।

वर्णित परिस्थितियों में मा० सदस्य की सूचना तथा मा० मंत्री के उत्तर के अवलोकन एवं समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के उत्तर का संबंध विशेषाधिकार की अवहेलना से नहीं होता है क्योंकि उक्त सूचनाओं का उत्तर विधान सभा की कार्यवाही का भाग नहीं बनता है । अतः मैं माननीय सदस्य की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष श्री जी०एस० सोहेल द्वारा भेंट न किये जाने से संबंधित श्री शिवेन्द्र सिंह की विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री शिवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष श्री जी०एस० सोहेल के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 24-7-97 को दी गई थी । मा० सदस्य का कथन है कि वह दिनांक 23-7-97 को 11.00 बजे पूर्वाह्न मा० खेलकूद मंत्री से प्राप्त-पत्र को देने राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष श्री जी०एस० सोहेल से मिलने गये थे । अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् से मिलने का निर्धारित समय पूर्वाह्न 11.00 बजे से मध्याह्न 12.00 तक के बीच था । वहां पहुंचने पर मा० सदस्य ने अपनी पर्ची उनके स्टाफ को उपलब्ध करा दी थी । इसी बीच कतिपय अन्य मा० सदस्य श्री सोहेल से मिलकर चले गये परन्तु उन्हें 12.00 बजे मध्याह्न तक इन्तजार कराया गया तथा बाद में प्रधान निजी सचिव श्री साबिर हुसैन द्वारा मा० सदस्य को सूचना दी गई कि अध्यक्ष बैठक में चले गये और मुलाकात नहीं करेंगे । मा० सदस्य का कथन है कि इस प्रकार राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष को उनसे न मिलना और उन्हें 12 बजे तक सदन की बैठक में जाने से रोके रखना विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना है ।

उक्त प्रसंग में मा० ऊर्जा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी तथा श्री सोहेल का अभिकथन मांगा गया था । मा० ऊर्जा मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी, 1998 द्वारा प्रश्नगत विषय पर वस्तुस्थिति की जानकारी तथा श्री सोहेल से प्राप्त अभिकथन की छाया प्रति उपलब्ध कराई है । मा० ऊर्जा मंत्री जी ने अपने पत्र में यह उल्लेख किया है कि उक्त संबंध में श्री जी०एस० सोहेल तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् से वस्तुस्थिति की जानकारी की गई है । श्री सोहेल द्वारा इस संबंध में यह अवगत कराया गया है कि किसी भ्रमवश मा० सदस्य को अधिक समय तक इन्तजार करना पड़ा एवं विलम्ब होने के फलस्वरूप व विधान सभा में अपनी व्यस्तता के कारण वे उनसे बिना मुलाकात किये चले गये । मा० मंत्री जी का यह भी कथन है कि अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् ने कभी किसी माननीय सदस्य को मुलाकात करने से मना नहीं किया फिर भी मा० सदस्य को उस दिन हुई असुविधा के लिये श्री सोहेल ने खेद व्यक्त किया है । श्री सोहेल ने भी अपने अभिकथन में यह आस्वस्त किया है कि उनका किसी प्रकार से मा० सदस्य अथवा विधान सभा के प्रति अनादर एवं उसकी गरिमा के प्रतिकूल कार्य करने का किसी प्रकार कोई इरादा नहीं रखता है ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री शिवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा दिनांक 23-7-1997 को अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को खेलकूद मंत्री का पत्र देने गये थे । मा० सदस्य का उक्त कृत्य सदन अथवा उसकी किसी समिति के कृत्य एवं कार्य-कलापों से संबंधित नहीं प्रतीत होता है । विशेषाधिकार की अवहेलना सभा सदन की अवमानना का प्रश्न सदन अथवा उसकी समिति के कार्यों में बाधा पहुंचाने अथवा किसी सदस्य के ऐसे कार्यों में अवरोध पैदा करने से उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त श्री सोहेल तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने उक्त घटना के संबंध में खेद भी व्यक्त किया है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामलों में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । अतः मा० सदस्य, श्री शिवेन्द्र सिंह की उक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं साथ ही मैं शासन से यह अपेक्षा भी करता हूं कि मा० विधायकों के प्रति अत्यन्त सम्मानजनक एवं शिष्ट व्यवहार किये जाने के विषय में पर्व में निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय ।

दिनांक 28 जुलाई, 97 को सदन में संसदीय कार्य मंत्री के कथन से सम्बन्धित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की श्री प्रमोद कुमार द्वारा दी गई सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली; 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 29 जुलाई, 1997 को अभिसूचित की है। मा० सदस्य का कथन है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 28 जुलाई, 1997 को सदन में कहा था कि प्रदेश के मैदानी भाग को तीन हिस्सों में बांटने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार मा० मंत्री द्वारा सदन को गुमराह किया गया जिससे विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना हुई है।

उक्त प्रसंग में मा० संसदीय कार्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की गई। मा० संसदीय कार्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 19-9-97 में यह सूचित किया है कि प्रदेश के मैदानी भाग को तीन हिस्सों में बांटने का न कोई निर्णय किया गया और न ही कोई ऐसा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। मा० सदस्य एवं उनके दल के कुछ सदस्यों ने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना के संबंध में यह कहा गया था कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शासन के मैदानी क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मा० मंत्री का यह कथन है कि राज्य के मैदानी हिस्सों को बांटने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं था और न ही ऐसा कोई निर्णय लिया गया था। अतः उन्होंने दिनांक 28 जुलाई, 1997 को उत्तर सदन में दिया था। वह वास्तव में वस्तुस्थिति को प्रकट करता है। यह सही नहीं है कि सदन को गुमराह करने की नियत से गलत सूचना सदन को दी गई है।

अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन वर्ष 1979–84 के पृष्ठ 282 पर मद संख्या 526 में यह निर्णय दिया गया है कि गलत सूचना देने के बावजूद विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तब तक नहीं बनता है जब तक सदन को गलत सूचना जानबूझकर न दी गई हो।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री से प्राप्त जानकारी का भली-भांति अध्ययन किया और सम्पूर्ण मामलों में सभ्यकरण से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त प्रस्ताव किसी भी मंत्री अथवा माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष विचारार्थ नहीं लाया गया था तथा मा० सदस्य की सूचना के संलग्नक में किसी विभाग अथवा अधिकारी के हस्ताक्षर आदि न होकर केवल छाया प्रति ही संलग्न है। अतः प्रश्नगत सूचना एवं माननीय मंत्री जी के अभिकथन के अवलोकन से प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है। अतः मैं माननीय सदस्य की उपरोक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।

वर्ष 1997 के प्रथम सत्र में नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण समय से प्रस्तुत न किये जाने से संबंधित तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध श्री शब्बीर अहमद द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री शब्बीर अहमद, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री बरखूराम वर्मा, तत्कालीन मा० संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 30–7–97 को अभिसूचित की थीं।

माननीय सदस्य का आरोप है कि वर्ष 1997 के प्रथम सत्र में नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का जो विवरण दिनांक 23 जुलाई, 1997 को सदन के पटल पर रखा गया, उससे यह विदित होता है कि सूचनाओं का उत्तर देने में मा० अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों का पालन नहीं किया गया।

मा० सदस्य का यह भी कथन है कि निर्देश संख्या 14 वें अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं का अन्तिम उत्तर मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर संबंधित सदस्य को भेजा जाना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं किया जिससे विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना हुई है ।

उक्त प्रसंग में मा० संसदीय कार्य मंत्री के वस्तुस्थिति की जानकारी की गई । मा० मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 10-9-97 में अभिसूचित किया है कि यह सही है कि अधिकांश मामलों में यह महीने के अन्दर सूचना का उत्तर नहीं दिया गया परन्तु उनके द्वारा जो विवरण सदन के पटल पर रखा गया है वह अन्य विभागों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित करते हुये निर्देश संख्या 4131 के अनुपालन में ही रखा गया है । मा० मंत्री का यह भी कथन है कि मा० सदस्य की सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि विशेषाधिकार हनन किस प्रकार हुआ तथा उनके किस कृत्य से सदन की अवमानना हुई । जबकि विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न सदन को जानबूझकर गुमराह करने या गलत सूचना देने पर होता है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन 1979–89 के पृष्ठ 306 मद संख्या 597 तथा नियमों का संकलन वर्ष 1985–89 के पृष्ठ 298 मद संख्या 629 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया है कि उक्त निर्णय के अनुसार नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के उत्तर का संबंध विशेषाधिकार की अवहेलना से नहीं होता है ।

वर्णित परिस्थितियों में माननीय अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के अध्ययन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत मामलों में प्रादर्शन में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का मामला अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । परन्तु मैं शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि नियम 301 के अन्तर्गत उठाई गई सूचनाओं का पूर्ण उत्तर समय से माननीय सदस्यों को देने के संबंध में निदेश संख्या 14 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । अतः मैं माननीय सदस्य की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–34 का अधूरा उत्तर दिये जाने से संबंधित संस्थागत वित्त मंत्री के विरुद्ध श्री सरदार सिंह द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री सरदार सिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय संस्थागत वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की प्रश्न की सूचनायें दिनांक 11–8–97 को अभिसूचित की है । मा० सदस्य की यह शिकायत है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र०सं० 34 के प्रस्तर 4 के उत्तर में मा० संस्थागत वित्त मंत्री ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि रमेश्वर प्रसाद मौर्य, पद सेवक, व्यापार-कर कार्यालय बहराइच के किन-किन देयों का भुगतान किया गया एवं कितनी धनराशि उन्हें दी गई और न ही उनके वेतन निर्धारण के बारे में कोई उल्लेख है । मा० सदस्य का कथन है कि प्रश्न का अधूरा उत्तर देकर मा० मंत्री ने सबको गुमराह किया है । जिससे विशेषाधिकार का हनन एवं सदन की अवमानना हुई है ।

उक्त प्रसंग में मा० संस्थागत वित्त मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की गई । मा० मंत्री ने अपने पत्र जो मुझे 15-10-97 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री सरदार सिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रश्न में श्री मौर्य के देयों के भुगतान विवरण नहीं पूछा था । इसलिये उत्तर में यह कहा गया था कि बैंक ड्राफ्ट द्वारा देयों का भुगतान कर दिया गया है । वेतन निर्धारण के बारे में मंत्री जी का

कथन है कि उक्त कर्मी ने वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दिनांक 3-9-97 को प्रस्तुत किया है । प्रश्न का उत्तर दिये जाने के समय तक उसने अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया था । विकल्प प्रस्तुत किये जाने के बाद उनका वेतन निर्धारण किया गया और बकाया वेतन, सेलक्शन ग्रेड, उच्च वेतनमान तथा बोनस का भुगतान दिनांक 4-9-97 को कर दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों का संकलन 1952-67 के पृष्ठ 218 की मद 93 एवं अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित सहित संकलन मार्च, 1967 से 30 दिसम्बर, 1978 के पृष्ठ 68 के मद 34 पर दिया गया निर्णय भी अवलोकनीय है, जिसमें यह स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि मा० सदस्य की इच्छानुसार उत्तर देने के लिये मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

अतः वर्णित परिस्थिति में दिनांक 4-8-97 को मा० संस्थागत वित्त मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है । मा० सदस्य की सूचना एवं मा० संस्थागत वित्त मंत्री के अभिकथन के अवलोकन से प्रश्नगत मामलों के प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः मैं मा० सदस्य की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे बुधवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का उत्तर गलत देने से संबंधित आबकारी मंत्री के विरुद्ध श्री दलवीर सिंह की विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत मा० आबकारी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है जो दिनांक 12–8–97 को प्राप्त हुई है । मा० सदस्य ने शिकायत की है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुधवार को निर्धारित अता० प्र० संख्या 65 की माननीय आबकारी मंत्री द्वारा जो यह सूचना दी गई कि जवां से ग्राम तेजपुर व वीरपुरा अम्बेडकर गांवों से करनपुर पर वर्ष 1997–98 में ठेका स्थानान्तरित कर दिया गया, गलत है क्योंकि आज भी ये शराब के ठेके जवां वीरपुरा अम्बेडकर ग्रामों में चलाये जा रहे हैं । मा० सदस्य का कथन है कि इससे उन्होंने विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की है ।

प्रश्नगत विषय पर मा० आबकारी मंत्री से वस्तुस्थिति की सूचना मांगी गई । मा० मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 1997 में यह उल्लेख किया है कि अलीगढ़ के अम्बेडकर ग्राम वीरपुरा तथा जवां में स्थित मदिरा की दुकानों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में वस्तुस्थिति को जांचकर सही सूचना उपलब्ध कराने हेतु आबकारी आयुक्त उ०प्र० को निर्देशित किया गया था । इस संबंध में उन्होंने अवगत कराया कि अलीगढ़ के अम्बेडकर ग्राम वीरपुरा तथा जवां में स्थित देशी मदिरा की दुकानों को क्रमशः करनपुर तथा तेजपुर में एवं विदेशी मदिरा की दुकान जवां से तेजपुर में स्थानान्तरित कर दी गई है तथा वर्तमान में भी उक्त आबकारी की दुकानें क्रमशः करनपुर तथा तेजपुर में ही चल रही हैं और वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 1997–98 हेतु इन्हीं स्थानान्तरित स्थलों पर उक्त दुकानों का व्यवस्थापन किया गया है ।

अतः विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता०प्र०सं०–65 का उत्तर उपलब्ध सूचना के अनुसार सही था और सदन को कोई गलत सूचना नहीं दी गई थी ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय आबकारी मंत्री द्वारा दिनांक 6-8-97 को सदन में दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है । मा० सदस्य की सूचना एवं माननीय आबकारी मंत्री के अभिकथन के अवलोकन

से प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है। अतः मैं माननीय सदस्य की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में खाद्य एवं रसद मंत्री के विरुद्ध श्री दलवीर सिंह की विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–65 के अन्तर्गत माननीय खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 12 अगस्त, 1997 को है। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता०प्र०सं०–22 का सदन में माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया गया है। माननीय सदस्य का आरोप है कि अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के राशन कार्ड न बनाये जाने के संबंध में माननीय खाद्य मंत्री ने सूचना दी है कि अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बनाये गये हैं जबकि माननीय सदस्य का कथन है कि आज तक जनपद के ग्रामीण उपभोक्ताओं के राशन कार्ड नहीं बनाये गये हैं। माननीय सदस्य का कथन है कि इस प्रकार माननीय मंत्री ने गलत सूचना देकर विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की है।

उक्त प्रसंग में माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई। माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 22-1-98 में यह सूचित किया है कि जिलाधिकारी अलीगढ़ से विस्तृत सूचना प्राप्त की गई जिसके अनुसार अलीगढ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड बनाये गये हैं। माननीय मंत्री का यह भी कथन हे कि देहात क्षेत्रों में राशन कार्ड बनाये गये हैं। माननीय मंत्री का यह भी कथन है कि देहात क्षेत्रों में राशन कार्ड बनाये गये हैं। माननीय मंत्री का यह भी कथन है कि देहात क्षेत्रों में राशन कार्ड/यूनिटों के सत्यापन कार्य के लिये ग्राम पंचायत अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अधिकृत हैं। सत्यापन कार्य के लिये ग्राम पंचायत अधकारी/खण्ड विकास अधिकारी अधिकृत हैं। सत्यापन कार्य कराने के लिये खण्ड विकास अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं राशन कार्ड बनाने, जीर्ण अवस्था में कार्ड बदलने एवं खोये हुये राशन कार्डों के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं। वहां खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से नियमतः राशन कार्ड जारी कर दिये जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने यह भी अवगत कराया है कि अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 30-6-97 को प्रचलित राशन कार्डों की संख्या 4,03,658 थी जिस प्रकार प्रति माह आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में जो सूचना माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में दी गई है वह तथ्यों पर आधारित है और सही है। माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने से इंकार किया है।

अतः वर्णित स्थिति में दिनांक 1-8-97 को माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है। माननीय सदस्य की सूचना एवं माननीय मंत्री जी के अभिकथन के अवलोकन से प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन से विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है।

अतः मैं माननीय सदस्य की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–71 का उत्तर गलत दिये जाने से सम्बन्धित श्री अमरमणि त्रिपाठी द्वारा विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 13–8–97 को दी थी । मा० सदस्य का कथन है कि द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–71 में उन्होंने सरकार से जिलाधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाये जाने पर आर०ई०एस० द्वारा डी०आर०डी०ए० का पैसा वापस करने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की थी । मा० सदस्य ने आगे कहा है कि बहुत दिनों से सिकन्दरा के परिसर में रहने वाले काले रंग के हिरणों के रख-रखाव एवं उनके खाने-पीने की व्यवस्था के संबंध में तथा भारत नेपाल सीमा के 10 थानों के तस्करों के मुकदमों के बारे में जानकारी मांगी थी । मा० सदस्य की शिकायत है कि उक्त प्रश्नों का उत्तर गलत देकर सरकार ने सदन को गुमराह किया है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मा० सदस्य ने उक्त सूचना में कई विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है सूचना किसके विरुद्ध अभिसूचित की गई है, यह भी स्पष्ट नहीं है जबकि सूचना में आरोपित व्यक्ति का नाम तथा पूरा पता होना आवश्यक है । मा० सदस्य की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 65 के अनुसार ग्राह्यता की शर्तों को पूरा नहीं करती है । अतः प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना का प्रश्न उसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

अतः उक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।

13 दिसम्बर, 97 को मुख्य बाजार नौतनवां जनपद महराजगंज में विकास संबंधी कार्यों हेतु आयोजित सभा में जिला प्रशासन द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने से संबंधित श्री अमरमणि त्रिपाठी का विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत जिला प्रशासन जनपद महराजगंज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 16 सितम्बर, 1997 अधिसूचित की है । मा० सदस्य का कथन है कि उन्होंने दिनांक 13 सितम्बर, 1997 को मुख्य बाजार नौतनवां जनपद महराजगंज में विकास संबंधी कार्यों एवं क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी देने के संबंध में एक आम सभा का आयोजन किया था । मा० सदस्य का आगे यह भी कथन है कि जिला प्रशासन ने उक्त सभा में अवरोध पहुंचाया । मा० सदस्य का अन्त में कथन है कि क्षेत्रीय जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का उनका विशेषाधिकार है और उसका हनन हुआ है । अतः दोषी अधिकारियों, व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय । मा० सदस्य, मा० मुख्य मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति तथा महामहिम राज्यपाल इत्यादि को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी है ।

मा० सदस्य की सूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सूचना में आरोपित व्यक्ति का नाम, पद एवं पता उल्लिखित नहीं है । विशेषाधिकार हनन का प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ही उठाया जा सकता है नकि किसी पद के विरुद्ध । इसके अतिरिक्त मा० सदस्य ने जिस आम सभा का आयोजन करने का उल्लेख अपनी सूचना में किया है । उससे सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

वर्णित परिस्थिति में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्राग्दर्शन में अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्य की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बुक्कुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान गायेंगे।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 30 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थकित हो गया)

लखनऊ :
24 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०–एल० 353 विधान सभा ( )–1998–813 (डी०टी०पी०)।